Tuesday, 28 November, 1961

लोक-सभा
वाद-विवाद

Chamber Fumigated 18/X/23

द्वितीय माला

खण्ड ५९, १९६१/१८८३ (शक)

[२० से ३० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-5-97
Fumigated
On 5-12-83
Parliament Library

पन्द्रहवां सत्र, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५९ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ५६——अंक १ से १०——२० नवम्बर से १ दिसम्बर, १९६१/२९ कार्तिक से १० अग्रहायण, १८८३ (शक)]

अंक १——सोमवार, २० नवम्बर, १९६१/२९ कार्तिक, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न* संख्या १ से ४, ६ से ११, २१, १२ और १३	१–२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ५, १४ से २० और २२ से ५७ . .	२६–५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ७४, ७६ और ७७ . .	५१–८६
दिनांक १३-३-१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१६ के उत्तर में शुद्धि .	८६
निधन सम्बन्धी उल्लेख	
स्थगन प्रस्ताव——	
(१) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मामले और उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे	८७–९०
(२) राजनैतिक दलों को मान्यता देने के बारे में चुनाव आयोग का निर्णय	९०–९२
(३) पाकिस्तान के सैनिक न्यायाधिकरण के द्वारा कर्नल भट्टाचार्य ी दोषसिद्धि	९२–९५
(४) लद्दाख क्षेत्र में चीनियों के घुस आने की घटनायें	९५–९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९७–१००
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१०१
तारांकित प्रश्न संख्या १३३५ के उत्तर में शुद्धि . . .	१०१–०२
रेलवे दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	१०२–०८
पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के बारे में वक्तव्य . . .	१०८–०९
प्रत्यर्पण विधेयक	१०९
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापित करने के समय का बढ़ाया जाना .	१०९
चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक पुरस्थापित . .	१०९
चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य . .	११०
प्रसूति लाभ विधेयक	११०–२४
विचार करने का प्रस्ताव	११०–२४
खंड २ से ३० तथा १	११४–२२
पारित करने का प्रस्ताव	१२२–२४
शिशिक्षु विधेयक	१२५–२८
विचार करने का प्रस्ताव	१२५–२८
दैनिक संक्षेपिका	१२९–३८

विषय	पृष्ठ
अंक २--मंगलवार, २१ नवम्बर, १९६१/३० कार्तिक, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ५९, ६३, ६०, ६२, ६४, ६६ से ६६, ७१, ७२, ७६, ७८, ८०, ८१, ८२, ८५, ८७, ९१ तथा ८६	१३६–६५
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या* ५८, ६१, ६३, ६५, ७०, ७३ से ७५, ७७, ७६, ८३, ८४, ८६, ८८, ९०, ९२, ९४ से ११५	१६५–८४
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८ से २०१	१८४–२३९
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	२४०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२४०–४४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति--	
नव्वेवां प्रतिवेदन	२४४
तारांकित प्रश्न संख्या १२४६ के उत्तर में शुद्धि	२४४–४५
समिति के लिये निर्वाचन	
पशु कल्याण बोर्ड	२४५
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक--पुरस्थापित	२४५–४६
शिशिक्षु विधेयक	२४६–६६
विचार करने का प्रस्ताव	२४६–६२
खंड २ से ३८ और १	२६३–६४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२६४–६६
वेतन से स्वेच्छा से कटौती (कर से विमुक्ति) विधेयक १९६१	२६६–६८
पारित करने का प्रस्ताव	२६६–६७
खंड २ से ५ और १	२६७
पारित करने का प्रस्ताव	२६७–६८
उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक	२६८–६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
खंड २ और १	२६९
पारित करने का प्रस्ताव	२६९
उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक	२६९–७३
पारित करने का प्रस्ताव	२६९–७२
खंड २ से ४ और १	२७३
पारित करने का प्रस्ताव	२७३
कॉफी (संशोधन) विधेयक	२७३–७६
खंड २ से १४ और १	२७५–७६
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२७६
दैनिक संक्षेपिका	२७७–८९

अंक ३—गुरुवार, २३ नवम्बर, १९६१/२ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या ११६, ११८ से १२४, १३१, २०१, १२५, १६७ और १३० . . . . . . २९२—३१५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११७, १२६ से १२९, १३२ से १६६, १६८ से २०० और २०२ से २०७ . . . . . ३१६—५३

अतारांकित प्रश्न संख्या २०२ से २२२, २२४ से ३३५ और ३३७ से ३६२ ३५४—४२४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ४२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . ४२४—२८

विधेयक पर समिति के बारे में . . . . . . ४२८—२९

आगामी सामान्य निर्वाचन के कार्य क्रम के बारे में वक्तव्य . . . ४२९—३१

असम नगरपालिका (मनीपुर संशोधन) विधेयक . . ४३१—३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ४३१—३३

खंड २ से ७ तथा १ . . . . . ४३४

पारित करने का प्रस्ताव ४३४

भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिह्न) संशोधन विधेयक . . ४३४—३९

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ४३४—३८

खंड १ से ७ . . . . . ४३९

पारित करने का प्रस्ताव ४३९

विदेशी पंचाट (मान्यता देना और लागू करना) विधेयक . ४३९—४०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ४३९—४०

खंड १ से ११ . . . . ४४०

पारित करने का प्रस्ताव ४४०

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव ४४०—४८

दैनिक संक्षेपिक . . . . ४४९—६३

अंक ४—शुक्रवार, २४ नवम्बर, १९६१/३ अग्रहायण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०९ से २१६ . . . ४६५—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०८ और २१७ से २४७ ४८७—५०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ४६० ५०३—४४

स्थगन प्रस्ताव—

पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा एक यात्री स्टीमर पर कथित गोलीबारी ५४४-४५

विवरण में शुद्धि . . ५४५-४६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ५४६-४७

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य	५४८
राज्य उपक्रमों सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . .	५४८–५६
प्राद्योगिकीय संस्थायें विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	५६०–६१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
नव्वेवां प्रतिवेदन	५६१
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा रास बिहारी बसु की अस्थियों के बारे में संकल्प	५६१—७१
गोआ, दमन और दीव से पुर्तगालियों को हटने के बारे में संकल्प . .	४७१—८३
दैनिक संक्षेपिका	५८४—६१
अंक ५—शनिवार, २५ नवम्बर, १६६१/४ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २४८ से २५१, २५३ से २६०, २६२ से २६४, २६८, २६६ और २७० . . .	५६३—६१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २५२, २६१, २६५ से २६७ और २७१ से ३०३ .	६१८—३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६१ से ५६७	६३६—७००
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	७००
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
कच्चे पटसन के मूल्य . . .	७०१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	७०१–०२
सभा का कार्य . . .	७०२–०३
समिति के लिये निर्वाचन—	
भारतीय केन्द्रीय गरम मसाले और काजू समिति	७०३–०४
प्रौद्योगिकीय संस्थायें विधेयक .	७०४—११
विचार करने का प्रस्ताव . .	७०४—०६
खंड २ से ३६ और १	७०६—११
पारित करने का प्रस्ताव .	७११
श्री हुमायूं कबिर .	७११
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव	७११—३१
दैनिक संक्षेपिका	७३२—४०
अंक ६—सोमवार, २७ नवम्बर, १६६१/६ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०४ से ३०७ और ३०६ से ३१६ . .	७४१—६३

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०८ और ३१७ से ३६५ . . .	७६३–८९
अतारांकित प्रश्न संख्या ५९८ से ७०२ और ७०४ से ७०९ . .	७८९–८३५
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) पुर्तगालियों द्वारा मछली पकड़ने वाली भारतीय नावों पर गोली चलाना	८३५–३६
(२) गाड़ियों का देर से चलना	८३६–३७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८३७–३८
विधेयक पर रायें	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ के बारे में विवरण .	८३८
तारांकित प्रश्न संख्या १२७९ के उत्तर में शुद्धि	८३९
तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर में शुद्धि . .	८३९–४२
वित्त मंत्री की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य	८३९–४२
पंचायत राज के कार्य के बारे में प्रस्ताव . . .	८४२–६१
चीनी (उत्पादन का विनियमन) संविहित अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	८६२–७९
विचार करने का प्रस्ताव	८६२–७९
सभा का कार्य	८७९–८०
दैनिक संक्षेपिका	८८१–९०
अंक ७—मंगलवार, २८ नवम्बर, १९६१/७ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ से ३७५, ३७७ और ३७८ . .	८९१–९१४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३७६ और ३७९ से ३९७ . .	९१४–२५
अतारांकित प्रश्न संख्या ७१० से ७७९ और ७८१ से ७८८ .	९२५–६४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
कोयला खनन उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण . . .	९६४–६५
भारत और चीन के सम्बन्धों के बारे में श्वेत पत्र संख्या ५ के सम्बन्ध में वक्तव्य	९६५–६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	९६९
तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर में शुद्धि . . .	९६९–७०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक . .	९७०

विषय	पृष्ठ
(२) लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर विधेयक .	९७०
(३) टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) संशोधन विधेयक	९७०–७१
चीनी (उत्पादन का अधिनियमन) अध्यादेश के बारे में संकल्प	
तथा	
चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक .	९७१–९९
विचार करने का प्रस्ताव . . .	९७१–८९
खंड १ से ८	९८९–९०
पारित करने का प्रस्ताव	९९०–९१
इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में संकल्प .	९९१–१०००
दैनिक संक्षेपिका	१००१–०६
अंक ८—बुधवार, २९ नवम्बर, १९६१/८ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ३९९, ४०२, ४०५ से ४०८, ४११, ४१४ से ४१९	१००७–२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४००, ४०१, ४०४, ४०९, ४१०, ४१२, ४१३, ४२० से ४२६, ४२८ से ४३१	१०२९–३६
अतारांकित प्रश्न संख्या ७८९ से ९०६ . . .	१०३६–८९
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा भारतीय अधिकारियों को परेशान किया जाना	१०८९–९२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०९२–९३
राज्य सभा से संदेश	१०९३
तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर में शुद्धि . . .	१०९४–९५
कर्नल भट्टाचार्य की दोषसिद्धि और कारावास के बारे में चर्चा . .	१०९५–११०८
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११०८–१८
दैनिक संक्षेपिका	१११९–२६
अंक ९—गुरुवार, ३० नवम्बर, १९६१/९ अग्रहायण, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३२ से ४३४, ४३६ से ४४० . .	११२७–४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३५ और ४४१ से ४६० . . .	११४९–७१
अतारांकित प्रश्न संख्या ९०७ से ९१८, ९२० से ९४६ और ९४८ से १०००	११७१–१२११

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
(१) कांगो को परिस्थिति और संयुक्त राष्ट्र संघ की कमान में रहने वाली भारतीय सेना के लिए असुरक्षा .	१२११–१४
(२) गोआ सीमा पर पुर्तगाली सेना का कथित जमाव . .	१२१४–१५
(३) पुर्तगालियों की यातना से गोआ के देश भक्त की हवालात में कथित मृत्यु	१२१५–१६
(४) उड़ीसा में भारत के गलत नक्शों का प्रकाशन, जिनमें काश्मीर को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया . . .	१२१६–१७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
फरक्का बांध को बनाने में कथित विलम्ब . . .	१२१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१२१७–१९
सदस्य की दोष सिद्धि	१२२०
प्रत्यर्पण विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१२२०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) संविधान (ग्यारहवां संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०
(२) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९६१ .	१२२०–२१
संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	११२१–३२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . .	१२३२–४२
डाक्टरों की कमी के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . .	१२४३–४५
दैनिक संक्षेपिका	१२४६–५५
अंक १०—शुक्रवार, १ दिसम्बर, १९६१/१० अग्रहायण, १८८३ (शक)	
निधन सम्बन्धी उल्लेख	१२५७
सभा की कार्यवाही	१२५७
दैनिक संक्षेपिका	१२५८

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS-III—1627LS—4-1-62—125

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० को० (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अचिंत राम, लाला (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (तिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तूर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याकण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री बिल्लीपुतुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

अष्ठाना, श्री लीलाधर (उन्नाव)

1434(Ai) LSD—1

आ

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)

इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

इलियास, श्री मुहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

उपाध्याय, पंडित मुनिश्वर दत्त (प्रतापगढ़)

उपाध्याय, श्री शिवदत्त (रीवा)

उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रेंक (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय)

एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सीमांत प्रदेश)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)

कट्टी, श्री द० अ० (चिकोड़ी)

कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)

कमल सिंह, श्री (बक्सर)

कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)

कर्णी सिंह जी, श्री (बीकानेर)

कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)

कामले, डा० देवराज नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)

कार, श्री प्रभात (हुगली)

कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)

क—(क्रमशः)

काशीराम, श्री व० (नलगोंडा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली (सम्बलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृष्ण, श्री मं० रं० (करीमनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिंगलपट)

कृष्णप्पा, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्ट कप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तु पुजा)

ख

खां, श्री उस्मान, अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारंगल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति सहाय, श्री (सुल्तानपुर)

गांधी, श्री माणिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रताप सिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री इन्द्रजीत (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री राम कृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भू चरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड़)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्त राव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुध (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तर)

गौंडर, श्री क० पेरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (करा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्रकुमार (जमशेदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, श्री अनिल कु० (वीरभूम)

च—(क्रमशः)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)
चन्द्रामणि, कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूजित आदिम जातिया)
चावल, श्री दा० रा० (कराड़)
चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा),
चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)
चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)
चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री सुं० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जमीर, श्री चुबातोशी (नागा पहाड़ियां—तुएनसांग प्रदेश)
जयपाल सिंह, श्री (रांची—पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
जांगड़े, श्री रेशम लाल (बिलासपुर)
जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)
जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)
जेधे, श्री गुलाब राव केशव राव (बारामती)
जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)
जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)
जोगेन्द्रसिंह, सरदार (बहराइच)
जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)
जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)
जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)
ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)
झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर--मध्य)
डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)
डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)
तारिक, श्री अली मोहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)
ताहिर, श्री मुहम्मद (किसनगंज)
तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
तिवारी, पंडित द्वारिका नाथ (केसरिया)
तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़--खंडवा)
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)
तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)
तुलाराम, श्री (इटावा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)
त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)
दामानी, श्री सू० र० (जालोर)
दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
दास, श्री नयन तारा (मुंगेर--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
दास, डा० मन मोहन (आसनसोल--रक्षित--अनुसूचित जातियां)
दासगुप्त, श्री विभूति भूषण (पुरुलिया)
दासप्पा, श्री (बंगलौर)
दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर--रक्षित--अनुसूचित --जातियां)
दिनेश सिंह, श्री (बांदा)
दुब, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)
दुबलिश, श्री विष्णुशरण (सरधना)

द—(क्रमशः)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)

देब, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)

देब, श्री प्र० गं० देब (अंगुल)

देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)

दोहड़, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्र नाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)

धर्मलिंगम्, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्प, श्री (नीलगिरी)

नथवानी, श्री नरेन्द्रभाई (सोरठ)

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)

नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरी)

नरेन्द्र कुमार, श्री (नागौर)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवास राव (उस्मानाबाद)

नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीन दीवी द्वीप)

नाथपाई, श्री (राजापुर)

नादर, श्री थानुलिंगम्, (नागरकोईल)

नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)

नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोजीकोड)

नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

न—(क्रमशः)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री बासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (परियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़–दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री तु० शं० (अकोला)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढो० (मीर)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर-दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

प—(क्रमशः)

पांडेय, श्री सरजू (रसरा)

पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास-उत्तर),

पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)

पुन्नूस, श्री (अम्बल पुजा)

पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)

प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जाति)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जतियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बदन सिंह, चौ० (बिसौली)

बनर्जी, डा रामगोति (बांकुरा)

बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)

बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)

बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल चन्द्र (शिवसागर)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बसुमतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बांगशी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाकलीवाल, श्री मोहनलाल (दुर्ग)

बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बालकृष्णन्, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाल्मीकि, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)

बिडरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर—दक्षिण)

बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोड़ा)

बीरबलसिंह, श्री (जौनपुर)

बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

ब—(क्रमशः)

बेरो, श्री (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय)

ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)

'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)

ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)

ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)

भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)

भगवती, श्री बि० (दरांग)

भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)

भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)

भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खानदेश)

भवानी प्रसाद, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

भार्गव, पंडित ठाकुर दास (हिसार)

भार्गव, पंडित मुकट बिहारी लाल (अजमेर)

भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालपाड़ा)

मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)

मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

मधोक, श्री बलराज (नई दिल्ली)

मनायन, श्री (दार्जिलिंग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म—(क्रमशः)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)
मसानी, श्री मी० रु० (रांची—पूर्व)
मसुरिया दीन, श्री (अफूलपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)
महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)
महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)
माईति, श्री नि० वि० (घाटल)
माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)
मानें, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मालवीय, श्री केशव देव (बस्ती)
मालवीय, श्री मोतीलाल (खजुराहो—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)
मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगु सराय)
मिश्र, श्री रघुवर दयाल (बुलन्दशहर)
मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)
मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)
मिश्र, श्री विभूति (बगहा)
मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)
मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता—मध्य)
मुत्तूकृष्णन्, श्री म० (बल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)
मुरमू, श्री पाइका (राजमहल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनू)
मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)
मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)
मुहम्मद इमाम, श्री (चितलदुर्ग)
मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

म—(क्रमशः)

मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)
मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)
मेनन, श्री वें० कृ० कृष्णन् (बम्बई नगर-उत्तर)
मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)
मेलकोटे, डा० (रायचूर)
मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)
मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)
मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)
मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)
मेहदी, श्री सै० अहमद (रामपुर)
मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)
मोहनस्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल (अहमदाबाद)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)
रंगारड्ढ, श्री (करीम नगर)
रघुनाथ सिंह जी, श्री (बाड़मेर)
रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)
रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)
रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)
रहमान श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)
राउत, श्री भोला (चम्पारन—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
राउत, श्री राजा राम बाल कृष्ण (कोलाबा)
राजबहादुर, श्री (भरतपुर)
राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री (राय बरेली)

र—(क्रमशः)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हजारीबाग)

राधा मोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामम्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुलरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौल, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राव, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)

राव, श्रीमती सहोदराबाई (सागर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम)

राव, श्री तिरुमल (काकिनाडा)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगोंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रुंगसुंग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

र—(क्रमशः)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)
रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)
रेड्डी, श्री नागी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)
रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)
रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)
रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)
रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मणसिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)
लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
लाहिरी, श्री जितेन्द्र नाथ (श्री रामपुर)
लोनीकर, श्री रा० ना० यादव (जालना)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्पारन)
वर्मा, श्री माणिक्यलाल (उदयपुर)
वर्मा, श्रीरामजी (देवरिया)
वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
वारियर, श्री कृ० कि० (त्रिचूर)
बाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विजय आनन्द, महाराजकुमार (विशाखापटनम्)
विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)
विलसन, श्री जान० न० (मिर्जापुर)

व—(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
विश्वास, श्री भोलानाथ (कटिहार)
वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, श्री (रायपुर)
वकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकांति (अडोनी)
वेद कुमारी, मोते (एलूरू)
वैरावन, श्री अ० (तंजौर)
वोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)
व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)
व्यास, श्री राधेलाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शंकर पांडियन, श्री (टंकासी)
शंकरय्या, श्री (मैसूर)
शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (छतरपुर)
शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)
शर्मा, श्री दीवान चन्द्र (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)
शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)
शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)
शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)
शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)
शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बाराबंकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)
शाह, श्रीमती जयाबेन वजूभाई (गिरनार)
शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शिवनंजप्पा, श्री (मंडया)
शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलोदा बाजार)
शोभाराम, श्री (अलवर)
श्रीनारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

सर्वदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बनलाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिड्डिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत, श्री (नामक्कल)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमरसिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० चं० (भुवनेश्वर)

साहू, श्री भगवत (बालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शाहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चण्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद, (मुंगेर)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज—बिहार)

सिंह, श्री रमेश प्रसाद (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आंतरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाजीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिद्दय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रसाद (पालामऊ)

स—(क्रमशः)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री मु० सु० (बीजापुर—उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डा० प० (तिरूचेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता—उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सोनुल, श्री हरिहर राव (नांदेड़)

सोमानी, श्री ग० ध० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालन्धर)

स्वामी, श्री (चान्दा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

हाल्दर, श्री अन्सारी (डायमन्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हिनिटा, श्री हुवर (स्वायत जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिंडा)

हेडा, श्री ह० च० (निजामाबाद)

हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

डा० सुशीला नायर

श्री मूलचन्द दुबे

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री जगन्नाथ राव

श्री ह० चं० हेडा

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य-मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री प्र० क० देव

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री राजेश्वर पटेल

श्री शिवराम रंगो राने

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री लैस राम अचौ सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री मिसुला सूर्यनारायण मूर्ति

श्री तंगामणि

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुकम सिंह—**सभापति**

श्री हेम बरुआ

श्री च० द० गौतम

श्री फतहसिंहजी घोडासार

श्री मी० रु० मसानी

श्री हरिश्चन्द्र माथुर

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री च० द० पांडे

श्री शिव राम रंगो राने

श्री अशोक कु० सेन

श्रीमती जयाबेन वजूभाई शाह

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री सत्यनारायण सिंह

डा० प० सुब्बारायन

श्री श्रद्धाकर सूपकार

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्री मानकभाई अग्रवाल

श्री अय्याकणु

श्री इगनेस बेक

श्री बी० ला० चांडक

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री नं० रं० घोष

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री गुलाबराव केशवराव जेधे

श्री बै० च० मलिक

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री राजेश्वर पटेल

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री शिवनंजप्पा

श्री रुंगसुंग सुइसा

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—**सभापति**

श्री प्रेमथनाथ बनर्जी

श्री चन्द्र शंकर

श्री वें० ईयाचरण

श्री अन्सार हरवानी

श्री हेडा

श्री मं० रं० कृष्ण

रानी मंजुला देवी

श्री विभूति मिश्र

श्री गोरे

श्री गु० सिं० मुसाफिर

श्री पद्म देव

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री पन्ना लाल

श्री करसन दास परमार

श्री थानु पिल्ले

श्री पुन्नूस

श्री राजेन्द्र सिंह

श्री रामस्वामी

श्री सतीश चन्द्र सामन्त

श्री विद्या चरण शुक्ल

श्री कैलाशपति सिन्हा

श्री सुगन्धि

श्री मोतीसिंह बहादुर सिंह ठाकुर

श्री महावीर त्यागी

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय

श्री रामसिंह भाई वर्मा

श्री बालकृष्ण वासनिक

श्री वोडयार

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अय्याकणु

श्री बासप्पा

श्री भोलानाथ विश्वास

श्री दलजीत सिंह

श्री विभूति भूषण दास गुप्त

श्री गणपति राम

श्री मूलचन्द जैन

श्री कमल सिंह

श्री कोडियान

श्री बलराज मधोक

श्री मोती लाल मालवीय

डा० पशुपति मंडल

श्री विश्वनाथ राय

श्री रामजी वर्मा

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

श्री अब्दुल सलाम

श्री अंजनप्पा

श्री जगदीश अवस्थी

श्री फतहसिंह घोड़ासर

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामचन्द्र माझी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री मथुरा प्रसाद मिश्र

श्री मुहम्मद इमाम

श्री वासुदेवन नायर

श्रीमती उमा नेहरू

श्री नानूभाई निच्छाभाई पटेल

श्री शिवनंजप्पा

श्री शिवराज

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री स० अ० अगाड़ी

श्री अकबर भाई चावदा

श्री देवी सोरेन

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री यादव नारायण जाधव

श्री भानुसाहेब रावसाहेब महागांवकर

श्री सुरेन्द्र महन्ती

श्री नि० बि० माईति

श्री थानुलिंगम् नादर

श्री त० ब० विट्ठल राव

श्री रूप नारायण

श्री अमर सिंह सहगल

श्री झूलन सिंह

श्री सुन्दर लाल

लोक लेखा समिति
लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन—**सभापति**

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री हेमराज

श्री र० सि० किलेदार

श्री माने

डा० पशुपति मंडल

श्री मतीन

डा० मेलकोटे

श्री पु० र० पटेल

डा० सामन्त सिंहार

पंडित द्वा० ना० तिवारी

कुमारी मोत्ते वेदकुमारी

श्री रामजी वर्मा

श्री वारियर

राज्य-सभा

डा० श्रीमती सीता परमानन्द

श्री लालजी पेंडसे

श्री बी० सी० केशव राव

श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

श्रीमती सावित्री देवी निगम

श्री राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

श्री जयनारायण व्यास

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति

श्री बहादुर सिंह

श्री अरविन्द घोषाल

श्री न० रे० घोष

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

डा० कृष्णस्वामी

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री मोहम्मद इमाम

श्री पु० र० पटेल

श्री करसनदास परमार

श्री रघुबीर सहाय

श्री क० स० रामस्वामी

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री झूलन सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री ब्रजराज सिंह

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री० श्री० अ० डांगे

श्री दासप्पा

श्री प्र० के० देव

श्री मूल चंद दूबे

श्री ह० चं० हेडा

श्री रंगा

श्री जयपाल सिंह

डा० कृष्णस्वामी

श्री उ० श्री० मल्लय्या

श्री अशोक मेहता

डा० सुशीला नायर

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिव राज

श्री याज्ञिक

श्री जगन्नाथ राव

आवास समिति

श्री उ० श्री० मल्लय्या—सभापति

श्री बैरो

श्री माणिकलाल मगन लाल गांधी

श्री अरविन्द घोषाल

श्री रामकृष्ण गुप्त

श्री खुशवक्त राय

श्रीमती पार्वती कृष्णन

श्रीमती मफीदा अहमद

श्री राजेश्वर पटेल

श्री जगन्नाथ राव

श्री स० चं० सामन्त

श्री सिंहासन सिंह

लाभपद संबंधी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन—सभापति

डा० मा० श्री० अणे

श्री आसार

श्री क० ब० मेनन

श्री मुरारका

श्री ही० ना० मुकर्जी

श्रीमती उमा नेहरू

श्री रामेश्वर साहू

श्री राधा चरण शर्मा

श्री सिद्धनंजप्पा

राज्य-सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम् चेट्टियार

श्री एम० गोविन्द रेड्डी

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते संबंधी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति

श्री बैरो

श्री चपला कान्त भट्टाचार्य

श्री रेशम लाल जांगड़े

श्री प्रभात कार

श्री मोहन स्व

श्री च० रा० नरसिंह

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री सिंहासन सिंह

श्री टेकुर सुब्रह्मण्यम

राज्य-सभा

श्री जगन्नाथ कौशल

श्री अवधेश्वर प्रताप सिंह

श्री रोहित एम० दव

श्रीमती यशोदा रेड्डी

डा० डब्ल्यू० एस० बार्लिगें

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री अमजद अली

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री नौशीर भरूचा

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मु० सु० सुगन्धी

श्री भाउराव कृष्णराव गायकवाड़

श्री मोती लाल मालवीय

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री पु० र० पटेल

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शंकरय्या

श्री राधा मोहन सिंह

श्री सत्य नारायण सिंह

भारत सरकार

मंत्रि-मंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भार-साधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मन्त्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री —श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सेन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री —सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री —हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री —श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री —श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्ण मेनन

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री —डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास मंत्री—श्री मेहरचन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री—श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री —श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीटिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मो० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज़ खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरमैय्या

असैनिक उड्डयन उपमंत्री— श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पु० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री —श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री—श्री ललित नारायण मिश्र

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव —श्री जो० ना० हजारिका

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव —श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा-सचिव—श्री श्याम धर मिश्र

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, २८ नवम्बर, १९६१

७ अग्रहायण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दिल्ली के स्कूलों में टेलीविजन

+
*३६६. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री खुशवक्त राय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पिछले वर्ष यह निर्णय किया था कि दिल्ली के सभी २६९ हायर सैकेंडरी स्कूलों में विद्यार्थियों को टेलीविजन द्वारा शिक्षा दी जाये ;

(ख) क्या यह निर्णय करते समय इस बात पर कोई ध्यान दिया गया था कि इन स्कूलों में से १२४ में या तो बिजली है ही नहीं या फिर वहां डी० सी० करेंट आती है जिसका टेलीविजन के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता ;

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा-सचिव (श्री आ० चं० जोशी) : (क) निर्णय यह किया गया था कि चार साल के अन्दर क्रमशः दिल्ली के सभी हायर सैकेंडरी स्कूलों को टेलीविजन के माध्यम से पढ़ाने की योजना के अन्तर्गत ले लिया जाये और आरम्भ ऐसे स्कूलों से किया जाये जहां पहले ही से ए० सी० करेंट है ।

(ख) और (ग) अधिकारियों को इस बात का पूरा पता था कि ए० सी० करेंट केवल १४४ के लगभग स्कूलों में ही है ।

1608 (ai) LS—1

(घ) दिल्ली प्रशासन शेष स्कूलों में भी ए० सी० करेंट पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है और यह भी मालूम हुआ है कि कुछ स्कूलों के अधिकारियों ने आप ही बिजली विभाग से चाहा है कि उन्हें ए० सी० करेंट दिया जाये।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि टेलीविजन के माध्यम से शिक्षा देने का यह प्रयोग मुख्यकर इस विचार से किया गया है कि विज्ञान के विषयों के प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी है और इस कारण मुख्यकर रसायनशास्त्र और भौतिकी जैसे विषयों की शिक्षा टेलीविजन पर दी जायेगी ? क्या यह सच है कि टेलीविजन का प्रयोग हिन्दी और अंग्रेज़ी के अध्यापन के लिये भी किया जायेगा ?

†**डा० केसकर** : यह व्यवस्था मुख्यकर केवल विज्ञान-विषयों के अध्यापन के लिये ही नहीं की गई है। यह तो सच है कि उन विषयों को प्राथमिकता दी जायेगी जिनका दिखा कर अच्छा प्रदर्शन किया जा सकता है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके अन्य विषयों का अध्यापन न हो।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : उक्त विषयों में शिक्षा का टेलीविजन-पाठ्यक्रम प्रसारण मंत्रालय के किस विभाग के अन्तर्गत होगा और इसका विस्तृत ब्यौरा कौन लोग तैयार करेंगे ?

†**डा० केसकर** : यह कार्य आकाशवाणी के अन्तर्गत है। दिल्ली राज्य शिक्षा प्राधिकार और आकाशवाणी का संयुक्त बोर्ड इसके पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। दिल्ली राज्य के शिक्षा निदेशक इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

†**श्री साधन गुप्त** : अब यह प्रतीत होता है कि एक सौ चौबीस स्कूलों में टेलीविजन चालू करने के लिये उचित विद्युत् व्यवस्था नहीं है या विद्युत् व्यवहथा है ही नहीं। इन परिस्थितियों में क्या टेलीविजन यंत्र समस्त स्कूलों के लिये खरीदे गये हैं और यदि हां, तो उन यंत्रों का कब तक प्रयोग होने की संभावना है ?

†**डा० केसकर** : मेरा विचार है कि मैंने सभा में बताया था कोई टेलीविजन सेट नहीं खरीदा गया है। वे हमें इस कार्य के लिये दिये जा रहे हैं। हमने उन स्कूलों के लिये टेलीविजन सेटों का अभी आयात नहीं किया है जिनमें आजकल ए० सी० बिजली नहीं है। प्रबन्ध किया जा रहा है और जैसे ही उन्हें यह बिजली मिलती है, हम उन स्कूलों के लिये आवश्यक यंत्र प्राप्त कर लेंगे।

†**श्री गोरे** : क्या सरकार इस माध्यम विशेष को अन्य स्कूलों में लागू करने से पहिले इसके परिणामों की जांच करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

†**डा० केसकर** : अभी परिणाम का पता नही लगाया जा सकता। यह अभी आरम्भ हुआ है। अभी तो इसे एक या दो मास भी नहीं हुये हैं। मेरा ख्याल है कि तीन या छः मास बीतने दीजिये, फिर हम परिणाम की जांच करेंगे। वास्तव में, आरम्भ में ही स्पष्ट कर दिया गया था कि यह एक शिक्षा संबंधी प्रयोग है। हम इसके माध्यम से उत्तम ढंग से शिक्षा दे सकते हैं या नहीं। इसके बारे में राज्य के शिक्षा प्राधिकारियों से पूर्ण रूपेण विचार विमर्श हुआ है और स्वयं उनका विचार था कि इस ढंग के लाभ हैं और इसका प्रयोग करना उचित है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री गोरे** : क्या इस माध्यम का किसी अन्य देश में बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है ?

†**डा० केसकर** : यदि "बड़े पैमाने" से माननीय सदस्य का अभिप्राय समूचे देश से है तो वास्तव में कोई ऐसा देश नहीं है। अनेक देशों में बहुत बड़ी संख्या में स्कूलों में इसका प्रयोग होता है। इन देशों में अमरीका, जापान और योरोप के कुछ देश सम्मिलित हैं। परन्तु समूचे देश में इसका कहीं प्रयोग नही होता।

श्री भक्त दर्शन : दिल्ली के सब स्कूलों में इस व्यवस्था को लागू करने में देरी से देरी कितना समय लगेगा ?

डा० केसकर : इस सवाल के जवाब में शुरू में ही यह कहा गया है कि इस काम को चार वर्ष में स्टेजेज में पूरा करने का विचार है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम इसे चार वर्ष के पहले ही सब स्कूलों में जारी कर देंगे। स्कूल वालों को कहा गया है कि वह जल्दी ए० सी० करेंट लेने का इन्तिजाम करें और दिल्ली स्टेट आथारिटीज उनको इस काम में सहायता दे रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : हम पहिले ही प्रश्न से ऐसे चिपट रहे हैं मानों कि कार्य सूची में और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हीं नहीं। यदि मैं उन्हें किसी एक प्रश्न पर पुकारता हूँ तो मैं अन्य किसी प्रश्न पर नहीं पुकारूँगा। मैं हमेशा ही माननीय सदस्यों को पर्याप्त समय देने का ध्यान रखता हूं। मैं जानता हुं कि किस माननीय सदस्य की किस विषय में विशेष अभिरुचि है। परन्तु जैसे ही कोई प्रश्न आरम्भ होता है सारे सदस्य उस पर टूट पड़ते हैं। अन्य सदस्यों ने भी प्रश्न पूछे हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या सरकार ने इस बात का कोई अनुमान लगाया है, कि यह व्यवस्था दिल्ली के सारे स्कूलों में कब तक लागू होगी, अध्यापकों के रोजगार पर क्या सम्भावित प्रभाव पड़ेगा क्या उनकी संख्या कम होने की संभावना है ?

†**डा० केसकर** : इस प्रश्न को स्वयं शिक्षा प्राधिकारियों ने योजना के आरम्भ होने से पहिले उठाया था और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि रोजगार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सच तो यह है कि प्राधिकारियों को योजना के बारे में बताया गया तो उन्होंने अनुभव किया कि इससे अध्यापकों को उनकी विषय का प्रशिक्षण देने में सहायता मिलेगी क्योंकि सारे अध्यापक उन कारखानों में काम करने के लिए जाते हैं जो टेलीविजन अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए खोले गये हैं।

केन्द्रीय प्रशासन समिति

+

†*३६७. { **श्री मो० ब० ठाकुर** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय सरकारी विभागों के कार्यकरण में अधिक कुशलता और शीघ्रता लाने के बारे में दो महीने पूर्व नियुक्त की गयी केन्द्रीय प्रशासन समिति ने क्या प्रगति की है;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट समिति योजना परियोजनाओं की कार्यान्विति में सुधार करने के लिये एक योजना बना रही है ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) योजना का क्या ब्यौरा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)**: (क) से (घ). आशा है कि प्रशासनिक सुधारों के बारे में केबिनिट के निश्चयों को लागू करने के लिए आवश्यक विस्तृत उपायों के कुछ पहलुओं संबंधी प्रशासन समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी। अभी तक उन्होंने परियोजनाओं के आयोजन, सचिवालय में वित्तीय प्रबन्ध, कर्मचारियों को परियोजना प्रबन्ध के प्रशासनिक तथा वित्तीय प्रशिक्षण, प्रशासी व्यवस्था में और कर्मचारी रखने और मंत्रालयों में प्रशासी कार्य कम करने के लिए आवश्यक सुधारों पर विचार किया है। समिति की रिपोर्ट को सरकार द्वारा विचार किये जाने के बाद संसद्-पुस्तकालय में रख दिया जायेगा।

†**श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों में ताल मेल कम होने के कारण कुछ मामलों में विलम्ब और बरबादी हुई है और योजनाओं की परियोजनायें प्रस्तुत करने में विलम्ब होता है और वे समय पर पूरी नहीं की जातीं ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : हो सकता है कहीं कोई विलम्ब हुआ हो जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है। इसके बारे में मैं सामान्य बात नहीं कह सकता। प्रत्यक्ष है कि इस विलम्ब के कारण ही हम इस मामले की बार-बार जांच कर रहे हैं और यह कार्य अध्ययन दल आरम्भ किया गया है जिसने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। सभा के पुस्तकालय में इस रिपोर्ट के रखे जाने से देखा जा सकता है कि उन्होंने इस मामले पर, इसके प्रत्येक पहलू पर बहुत ही विस्तृत रूप से विचार किया है। विलम्ब इस कारण हुआ कि कुछ कार्य जो परियोजना-स्थिति पर होना था, नहीं हुआ था और इस लिए उन्हें कुछ कार्य पीछे से करना पड़ा। समस्त प्रस्तावों के बारे में बताना मेरे लिए कठिन है। समिति ने जटिल प्रस्ताव रखे हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के नक्शों में काश्मीर का स्थान गलत दिखाया जाना

\+

†*३६८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री हेम राज :
श्री सरजू पाण्डेय : }

क्या **प्रधान मंत्री** ७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के नक्शों में काश्मीर का स्थान गलत दिखाये जाने के सम्बन्ध में सरकार को संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय से इस बीच कोई औपचारिक उत्तर मिल गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर मिला है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** :(क) और (ख). नहीं, श्रीमान। भारत सरकार इस मामले पर बातचीत कर रही है ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान रवैय्ये की दृष्टि से मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार की क्या नीति है और क्या इस मामले पर आगे क्या कार्यवाही की जायेगी?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: इस पर आगे कार्यवाही केवल इस ढंग से की जा सकती है कि उनका ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया जाये। किसी भी देश-विशेष या विशेषकर संयुक्त राष्ट्र का ध्यान बार-बार इस ओर दिलाने के अतिरिक्त उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

†**श्री हेम राज** : इस नक्शे को ठीक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से पहली बार कब, किस वर्ष कहा गया था?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : नक्शा २४ अक्तूबर, १९५७ को प्रकाशित हुआ था । जैसे ही नक्शे की गलती के बारे में हमें बताया गया हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय से इस गलती को ठीक करने के लिए कहा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या नये महासचिव के नियुक्त होने के बाद कोई पत्र लिखा गया ह और अन्तिम पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय को कब भेजा गया था ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : अन्तिम पत्र संयुक्त राष्ट्र सचिवालय को २६ अगस्त, १९६० को भेजा गया था और बाद में एक स्मरण पत्र भी भेजा गया था। उनका अभी कोई उत्तर नहीं आया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या नये महासचिव की नियुक्ति के बाद कोई स्मरण पत्र भेजा गया है ?

†**श्री जो० ना० हजारिका** : हमने अपने स्थायी प्रतिनिधि से कहा है कि वह नये महासचिव के समक्ष हमारा मामला रखे। उसने हमें लिखा है कि वह इस मामले पर नये महासचिव से बात करेंगे।

श्री विभूति मिश्र : यू० एन० सभी राष्ट्रों की एक निष्पक्ष संस्था है। यू० एन० मैप्स में काश्मीर की पोजीशन गलत दिखाई गई है। उस गलती को ठीक करने के लिए हमारी सरकार यू० एन० को बराबर लिखती रही है लेकिन इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होती है तो मैं अपने प्रधान मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वे कौन सी कार्यवाही करने की सोच रहे हैं ताकि उस गलती का सुधार हो सके और यू० एन० मैप्स में काश्मीर की सही पोजीशन दिखाई जा सके ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अब चूंकि यू० एन० एक निष्पक्ष संस्था है इसलिए वह आसानी से इस मसले में कोई राय का इजहार नहीं करती है और इस डर से कि कहीं अदलाबदली से कोई और नया पेंच न पैदा हो जाय वह उसमें फंस जाते हैं। हमारी राय में हमने जो उनसे करने के लिए कहा वह उनको जल्दी से मंजूर कर लेना चाहिए लेकिन चूंकि

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उनके सामने काफी पेचीदा सवाल हैं इसलिए वह उसमें दबे और फंसे रहते हैं क्योंकि उनको एक डर और घबराहट होती है कि कहीं और नये फंदे में न फंस जायें और इस वास्ते देर हो जाती है। यह उनका दिमाग है जो कि मैं आपके सामने रखता हूं। जहां तक हमारा ताल्लुक ह सिवाय इसके कि हमारी तरफ से उसके लिए उन्हें बार-बार याद दिलाया जाया करे और कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि अब जो यू० एन० की तरफ से मैप्स बने हैं अथवा बनाये जायेंगे उनमें कश्मीर की पोजीशन को सही तौर पर दिखाया जायेगा इसका कोई उनसे आश्वासन प्राप्त हुआ है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : अब माननीय सदस्य ने वही सवाल दूसरे ढंग से पेश कर दिया है क्योंकि अगर ऐसा आश्वासन उनकी ओर से दे दिया गया होता तो मैं कह देता कि मामला हल हो गया है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय से यह बात सुनिश्चित कर ली गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नक्शे में काश्मीर का गलत स्थान दिखाया जाना एक ऐसी गलती है जो जान बूझकर की है और यदि ऐसी बात है तो क्या उन्हें यह बताया गया है कि ऐसा करना सुरक्षा परिषद् के संकल्प का खण्डन करना है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : स्पष्टतया मैं यह नहीं कह सकता कि संयुक्त राष्ट्र ने जो काम किया है वह जान बूझ कर किया है या अन्यथा किया है। हम केवल परिणामों से पता लगा सकते हैं कि ऐसा किया गया है या नहीं।

राष्ट्रीय औज़ार कारखाना, कलकत्ता

+

†*३६९. { **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** :
श्री ही० ना० मुकर्जी:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औजार कारखाना, कलकत्ता में सरकारी कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तें २० जुलाई, १९६१ को समाप्त कर दी गई हैं ;

(ख) क्या उन कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के सीमित समवाय (लिमिटेड कम्पनी) में पुनः नौकरी मिलना इस बात की गारन्टी है कि उनके सम्बन्ध में सेवा की शर्तें वही रहेंगी जो उन पर सरकारी कर्मचारियों के रूप में काम करते समय पहले लागू होती थीं; और

(ग) यदि नहीं, तो इससे उन्हें किस प्रकार नुकसान पहुंचता है और क्या सरकार ने इसको हस्तान्तरित करते समय इस बात की गारन्टी दी थी कि कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वही रखी जायेंगी, जो पहले थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

प्राक्कलन समिति की सिफारिशों के अनुसरण में सरकार ने विभागीय कारखाने को प्रबन्ध की दृष्टि से कम्पनी बना दिया है । अतः राष्ट्रीय औजार कारखाने के कर्मचारियों की सेवायें, जो कि पहले विभागीय कारखाने के रूप में चलाया जा रहा था, नई कम्पनी को दी जा रही हैं परन्तु इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसा करने में उन शर्तों, विशेषाधिकारों और लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो उन्हें सरकारी कर्मचारी होने पर प्राप्त थे । मजदूरों के समस्त हितों को सुरक्षित रखा जा रहा है और प्रबन्ध की दृष्टि से कम्पनी जैसे-जैसे प्रगति करेगी उसके साथ-साथ कर्मचारियों को भी कारखाने के और विकास से और लाभ होगा । समूचा प्रश्न विचाराधीन है और कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श हो रहा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विवरण से स्पष्ट रूप से स्थिति मेरी समझ में नहीं आती । क्या मजूरी वेतन-वृद्धि और पदोन्नति के बारे में उनकी शर्तें वैसी ही हैं जैसी कि वे उस समय थीं जब कि उसे एक सरकारी विभाग के रूप में चलाया जाता था ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हां, महोदया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं श्रीमान हूं, महोदया नहीं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विवरण में उल्लेख है कि मजदूरों के सभी हित सुरक्षित हैं और वास्तव में कारखाने के विकास से उन्हें लाभ होगा और समूचा प्रश्न विचाराधीन है । वे कौन-कौन बातें हैं जिन पर आगे विचार तथा विचार विमर्श हो रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विचार विमर्श इस बारे में है कि उनकी चिन्तायें व डर कैसे दूर किया जाये और एक वैकल्पिक संविदा तैयार किया जाये ताकि उससे उनके समस्त विशेषाधिकार सुरक्षित रहें और फिर भी कम्पनी को उन्हें प्रगति तथा उन्नति का लाभ देने का अधिकार रहे ।

†**श्री साधन गुप्त** : कुछ समय पूर्व मजदूरों को जो कि सरकारी कारख, अर्थात् राष्ट्रीय औजार कारखाना में काम करते थे बाह्य सेवा पर मानने के आदेश दिये गये थे और उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में उनके पद पर रखा गया था । इस पर वे भविष्य में लाभ पाने के अधिकारी थे । जो मजदूर पहिले सरकारी सेवा में थे उन्हें वैसा ही बनाये रखने में और नये मजदूरों की कम्पनी की सेवा की शर्तों पर रखने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कठिनाइयां स्पष्ट हैं । जब कोई विभाग कम्पनी रूप में बदल जाता है तो अस्थायी रूप से इन लोगों को बाह्य सेवा पर रखा जाता है । परन्तु काफी नई भर्ती होती है तो पदोन्नति के बारे में निश्चय करना पड़ता है । श्रेणीवार विभिन्न प्रकार के मजदूरों की पदोन्नति होती है । यदि दो या तीन प्रकार का रोजगार होता है तो कम्पनी

†मूल अंग्रेजी में

का संचालन समन्वित करना असम्भव हो जाता है और यदि पुराने कर्मचारी एक पृथक श्रेणी के बने रहते हैं तो उन्हें भी समुचित लाभ देना कठिन होता है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या पिछले वर्षों की सेवा, जब कि यह एक विभागीय कारखाना था, उनकी कुल सेवा में सम्मिलित की जायेगी या पुरानी सेवा को बदल कर उन्हें नये कर्मचारी के रूप में रखा जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : पुरानी सेवा के वर्ष, उपदान और भविष्य निधि, आदि जिसका भी उन्हें पहले अधिकार था, वह सब निरन्तर सेवा मानी जायेगी ।

कपड़ा मजूरी बोर्ड पंचाट

+

†*३७०. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
पंडित द्वा० ना० तिवारी: }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मजूरी बोर्ड पंचाट की क्रियान्विति में और आगे क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक इसको देश में कितनी मिलों ने क्रियान्वित नहीं किया है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). ४१६ मिलों में से जिन पर सिफारिश लागू होती हैं, ३५७ मिलों ने पूर्णतया और ३६ मिलों ने आंशिक रूप में लागू किया है ।

(ग) बाकी मिलों में क्रियान्वित न किये जाने के कारणों की जांच की जा रही है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि कुछ मिलों ने आंशिक रूप में लागू की है । मैं जानना चाहता हूं कि "आंशिक-रूप" का अर्थ यह है कि या नहीं कि वह पूर्णरूपेण लागू की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : इसका अर्थ है कि सारी सिफारिशें लागू नहीं की गई है । उन में से अधिकतर लागू हो गई हैं। जो लागू नहीं हुई हैं उनके बारे में प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच है कि मद्रास राज्य से मिले पांडेचेरी की तीन कपड़ा मिलों पर ये सिफारिशें अभी लागू नहीं की गई है, और क्या सरकार से यह कहा गया है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशें इन कपड़ा मिलों पर लागू की जायें ?

†**श्री आबिद अली** : मैं नहीं समझता कि पांडेचेरी के मिल इन सिफारिशों के अन्तर्गत आते हैं। इन मिलों के बारे में पृथक न्याय निर्णय हुआ था और हाल में ही निश्चय किया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : पांडेचेरी के मिल सम्मिलित नहीं किये गये थे, परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कहते हैं कि इस जांच का क्षेत्राधिकार केवल मद्रास तक सीमित था। माननीय सदस्य समझते हैं कि यह मजदूरों के लिए अधिक लाभदायक है और इसे उन पर लागू करना चाहते हैं। उन्होंने एक सुझाव दिया है। जहां तक कुछ होने का प्रश्न है, कुछ नहीं हुआ है। उनके बारे में पंचाट है।

†श्री तंगामणि : कुछ हुआ है। इसी कारण मैं जानना चाहता हूं।

†श्री आबिद अली : इन सिफारिशों के प्रकाशन के बाद सब ने एक न्यायनिर्णयक नियुक्त करने का सुझाव दिया था। न्यायनिर्णायक नियुक्त किया गया और उसके बाद मजदूरों और मालिकों के बीच फैसला हो गया है। यदि मजदूर कुछ और चाहते हैं, तो हमें लिख सकते हैं।

†श्री रामकृष्ण गुप्त : क्या सरकार ने इस निश्चय को पंजाब क्लाथ मिल्स, भिवानी पर, जो विवादस्पद था, लागू करने का निश्चय कर लिया है ?

†श्री आबिद अली : भिवानी में ये सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं। पंजाब में, तीन मिलों में से जो इनके अन्तर्गत आते हैं, दो पर ये लागू की गई हैं और एक में प्रयत्न किया जा रहा है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार न यह देखने के लिए भी कोई कार्यवाही की है कि यह पंचाट उन मिलों पर भी लागू किया है जो बन्द हो गये थे और अब फिर चालू हो गये हैं और लाभ उठा रहे हैं ?

†श्री आबिद अली : माननीय सदस्य जानते हैं कि एक जांच समिति नियुक्त की गई थी। समिति इस बात का पता लगाने के लिए विस्तारपूर्वक कार्य कर रही है कि क्या सिफारिशों को बाकी मिलों में लागू किया जा सकता है। वे ये सिफारिशें जहां भी लागू की जा सकती हैं वहां उन्हें लागू करने का प्रयास किया जायेगा।

†श्री तंगामणि : मद्रास राज्य में अब भी ऐसे कितने कारखाने हैं जिन में अभी पंचाट लागू करना है। और इससे कितने मजदूरों पर प्रभाव पड़ेगा ?

†श्री आबिद अली : मद्रास में १२७ मिलों पर पंचाट पूर्णतया लागू होता है और तीन पर आंशिक रूप में। पांच मिलो ने अभी इसे लागू नहीं किया है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कानपुर तथा उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों पर के विभिन्न कपड़ा मिलों में काम करने वाले क्लर्कों को मालिकों ने अर्ध-क्लर्क कर्मचारी माना है और उनको मजदूरी बोर्ड के पंचाट से कोई लाभ नहीं पहुंचा है ? क्या सरकार को यह विदित है और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

†श्री आबिद अली : संघ या संस्था हमें और उत्तर प्रदेश सरकार को लिखेगी और हम निश्चय यथासंभव कार्यवाही करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मैं यह समझूं कि कोई पत्र नहीं मिला है । मैं ने उन्हें व्यक्तिगत पत्र लिखा है । यह अजब उत्तर है । मैं नहीं जानता कि मेरे पत्र इस प्रकार पटक दिये जाते हैं। हमें इस उत्तर की कभी आशा नहीं है ।

†**श्री आबिद अली** : जो भी पत्र आते हैं उन पर कार्यवाही की जाती है और उनमें दिये गये सुझावों पर गम्भीर विचार किया जाता है । मैं यह बता दूं कि यदि इन पत्रों की प्राप्ति के बाद, कोई कार्यवाही की गई है और उससे सम्बन्धित मजदूरों को संतोष नहीं मिला है तो वे हमें सहायता के लिए फिर कह सकते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : आप प्रायः हम से मंत्रियों को पत्र लिखने के लिए कहते हैं । हम सद्भावनापूर्ण पत्र लिखते हैं । परन्तु यदि पत्रों को मंत्रियों के बेकार पत्रों की टोकरी में फेंक दिया जाता है, तो बहुत ही आपत्तिजनक बात है । उप-मंत्री मुझ से कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखूं ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: क्या मैं यह निवेदन करूं ? इस प्रश्न विशेष के बारे में हम पता लगायेंगे और उन्हें ठीक स्थिति की सूचना देंगे । यह एक कारखाने और एक छोटे भाग का मामला है । हो सकता है कि वह महत्वपूर्ण हो, परन्तु हम जानकारी दे देंगे । हो सकता है कि वह जानकारी यहां हमारे पास न हो ।

कुछ माननीय सदस्य उठे ---

†**अध्यक्ष महोदय**: शान्ति, शान्ति । मुझे एक सत्र के लिए १०,००० प्रश्न प्राप्त होते हैं । इन प्रश्नों से बचने के लिए मैं ने माननीय सदस्यों को सलाह दी भी थी कि वह पहले मंत्रियों को पत्र लिखें । मुझे आशा है कि मंत्री पत्रों की प्राप्ति स्वीकार करेंगे ।

†**श्री आबिद अली**: हां, श्रीमान् । कोई यह नहीं कह सकता कि उनकी पावती नहीं मिलती ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके बारे में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । दूसरी ओर, कहा जाता है कि माननीय सदस्यों को कोई पावती या अन्तिम उत्तर नहीं मिलता । संसत्सदस्यों के साथ यही हुआ है । सभा का समय बचाने के लिए मैंने माननीय सदस्यों को मंत्रियों को पत्र लिखने का सुझाव दिया था ।

†**श्री वाजपेयी** : प्रधान मंत्री के अतिरिक्त अन्य कोई मंत्री तुरन्त उत्तर नहीं देते । मुझे एक वर्ष बाद उत्तर मिला था । एक उप मंत्री का उत्तर मुझे एक वर्ष बाद मिला । **(अन्तर्बाधा)** ।

†**एक माननीय सदस्य**: वह और कहीं व्यस्त रहे होंगे ।

†**श्री रंगा** : यह सामान्य प्रथा है इंगलैंड में भी यह एक सामान्य संसदीय प्रथा है कि सदस्यों से मंत्रियों को पत्र लिखने की और उनसे उचित उत्तर पाने की आशा की जाती है ।

†**श्री नाथ पाई**: इस मामले पर गम्भीर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे हमें अपमानित होना पड़ता है कि राज्य मंत्री भी दो वर्ष तक पत्रों की प्राप्ति के बारे में नहीं लिखते । स्वयं गृह-कार्य मंत्री ने शिकायत की थी कि राज्य मंत्री हमारे साथ कैसा व्यवहार करने का प्रयत्न कर रहे हैं । अतः मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं---कदाचित प्रश्न काल इस के लिए

---

†मूल अंग्रेजी में

उचित समय नहीं है—और प्रार्थना करता हूं कि इस पर गम्भीर विचार किया जाना चाहिये। आखिरकार, हम उनसे किसी निजी कार्य के लिए नहीं कहते। हम ऐसे कार्य के लिए कहते हैं जिसके लिए हमें संसद् में भेजा जाता है।

†**श्री रंगा :** उनके अधीनस्थ अधिकारियों को हमें उत्तर देने के लिए कहा जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्रियों से कह सकता हूं कि जब भी उन्हें माननीय सदस्यों से पत्र प्राप्त हों तो, अन्तिम उत्तर मंत्रियों का ही जाये। जहां तक राज्यों का संबंध है, माननीय प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं और यदि संभव हो तो वे राज्य मंत्रियों से कह सकते हैं कि वे माननीय सदस्यों के पत्रों का उत्तर दें। यहां के माननीय मंत्री स्वयं उनकी प्राप्ति के बारे में लिखकर उचित कार्य करेंगे। उनसे कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है।

†**श्री नाथ पाई**: परन्तु सभा के नेता के रूप में वह ऐसा कर सकते हैं।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जैसा कि आपने विचार व्यक्त किया है, हम निश्चय ही वैसा करने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु मैं यह कहूंगा कि किसी भी मंत्री या प्रधान मंत्री के लिए यह संभव नहीं है कि वह इतनी अधिक संख्या में आने वाले पत्रों का तत्काल उत्तर दे सकें। यह सभा के किसी भी सदस्य का अपमान नहीं है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : परन्तु आप उत्तर दे रहे हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** हमें आपका उत्तर चार घंटे में कैसे मिल जाता है ?

†**श्री रंगा** : हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि अत्यन्त आवश्यक न होने पर हम मंत्रियों को पत्र न लिखें।

†**श्री रघुनाथ सिंह**: माननीय प्रधान मंत्री का जवाब चौबीस घन्टे के अन्दर आ जाता है, जब कि दूसरे मंत्रियों का नहीं आता है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कभी कभी विलम्ब से बचने के लिए मंत्री अपने उपमंत्री या अन्य किसी को उत्तर देने के लिए कह देते हैं। इसका कारण यह है कि हो सकता है कि वह यात्रा पर गये हों या अन्य किसी कार्य में लगे हों। सामान्यतया, मंत्री या प्रधान मंत्री स्वयं उत्तर देना चाहते हैं और देते हैं। कभी कभी, जब जानकारी प्राप्त करनी होती है तो मैं अपने मुख्य सचिव से कह देता हूं "कृपया यह जानकारी प्राप्त करके माननीय सदस्य को भेज दो।" मामले यथाशीघ्र निपटाने के लिए यह कोई अपमान नहीं है। परन्तु जैसा कि आपने कहा है, हम आपकी बात का ध्यान रखेंगे।

†**श्री नाथ पाई** : क्या वे आपसे अधिक व्यस्त हैं ? यदि आप उत्तर देते हैं, तो वे उत्तर क्यों नहीं दे सकते ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत–चीन सीमा-विवाद

+

*३७१. { **श्री भक्त दर्शन:**
श्री हेम बरुआ:

क्या **प्रधान मंत्री** दिनांक ७ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४ और २३ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१९७ के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन सीमा-विवाद के बारे में इस बीच चीन सरकार के साथ आगे भी पत्र-व्यवहार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों सरकारों के बीच हुए पत्र-व्यवहार की प्रतिलिपियां सभा-पटल पर रखी जायेंगी ; और

(ग) क्या पिछले श्वेत-पत्र के बाद हुआ संपूर्ण पत्र-व्यवहार एक नए श्वेत-पत्र के रूप में प्रकाशित किया जाएगा ?

वैदेशिक–कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). आज ही एक और श्वेत-पत्र सदन की मेज़ पर रखा जाएगा, जिसमें भारत सरकार और चीन के बीच हुए पत्र-व्यवहार का समावेश रहेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या भारत सरकार ने इस तरह के कुछ आंकड़े तैयार किये हैं कि पिछले वर्षों के अन्दर कुल कितने पत्र भारत सरकार की ओर से चीन सरकार को भेजे गए, कितने पत्र ऐसे हैं, जिनका जवाब ही नहीं दिया गया, कितने पत्र ऐसे हैं, जिनके उत्तर संतोषजनक पाए गए और कितने ऐसे हैं, जिन के उत्तर असंतोषजनक थे, ताकि इस सम्बन्ध में आगे की नीति निर्धारित की जा सके ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक–कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : करीब करीब वे सब पत्र, जो आए हैं और जिन का जवाब गया है, यहां पार्लियामेंट की मेज़ पर रखे गए हैं । आज एक और पोथी रखी जा रही है । गिनती कर लेना तो आसान है । अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं दफ़तर में किसी और से कहूं कि वह गिनती करे ।

श्री भक्त दर्शन: श्रीमन् मेरे प्रश्न का उद्देश्य यह था कि जब हमारे पत्रों के इतने असंतोषजनक उत्तर मिल रहे हैं, तो क्या भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि ऐसी सरकार के साथ पत्र-व्यवहार भी जारी रखा जाये या नहीं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह तो माननीय सदस्य खुद सोच लें कि दो गवर्नमेंट्स के, जब उनमें मुख़ालिफ़त भी हो, क्या तरीके होते हैं । कब्ल इसके कि बिल्कुल कता-ताल्लुक हो जाये, ख़तो-किताबत करनी पड़ती है और कोई ज़रिया नहीं है । जब कता-ताल्लुक हो जाता है, तब भी किसी और हुकूमत के द्वारा ख़तो-किताबत करनी पड़ती है । हमारा और पार्टुगीज़ गवर्नमेंट का कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी एक सम्बन्ध उससे रखा जाता है । हमारी तरफ़ से यू० ए० आर० की गवर्नमेंट नुमायंदगी करती है और उनकी तरफ से ब्राज़ीलियन एम्बैसी करती है । हमेशा कुछ न कुछ सम्बन्ध तो रहता है । यह तो वही हुआ कि हम बात-चीत करना बन्द कर दें । बात-चीत बन्द करने के बाद जो और ज़रिये होते हैं, वे तो आम तौर से खुली लड़ाई के होते हैं । कुछ बीच का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं है

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री नाथ पाई**: पिछले सोमवार को प्रधान मंत्री ने सभा को बताया था कि हिमालय की सीमा पर चीनियों ने ११ धावे किये थे। सभा को यह सुन कर अत्यन्त दुख हुआ था, किन्तु सरकार के एक बड़े अधिवक्ता ने कुछ घंटों के अन्दर ही एक उससे भी अधिक दुखद वक्तव्य दिया कि यह सक्रिय बैर नहीं है। आप चीनियों के किस कृत्य को मैत्री का या भाई चारे का या अच्छे पड़ौसी वाला कार्य कहते हैं? यदि यह सक्रिय बैर नहीं तो और क्या है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह समझ नहीं सके हैं।

†**श्री नाथ पाई**: बहुत लोग समझ नहीं सके हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: जब न्यूयार्क हवाई अड्डे पर या लन्दन में---मैं भूल गया---प्रतिरक्षा मंत्री से पूछा गया कि क्या एक दूसरे के विरुद्ध सेनाएं खड़ी की गई थीं--आप इसे उस प्रसंग में देखें और यह पूछे गये प्रश्न का उद्देश्य था---उन्होंने कहा "नहीं"। कोई सेनाएं एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी नहीं की गई थीं। इन अर्थों में कोई सक्रिय विरोध नहीं था। प्रसंग यह था जो पूर्णतया सही प्रसंग है। वहां चौकियां हैं---हमारी चौकियां हैं जिनमें कुछ सेना है---कुछ दूरी पर चीनियों की चौकियां हैं---और वे एक दूसरे पर गोली चलाने के अर्थों में परस्पर लड़ नहीं रही हैं। परन्तु समूची स्थिति विरोध की है। इसमें सन्देह नहीं। यह बड़े युद्ध में परिवर्तन नहीं हुआ। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पश्चिम में लोग युद्ध और शान्ति के बारे में जो समझते हैं वह कुछ बहुत बड़ी चीज़ है, बड़े पैमाने पर, अन्ततोगत्वा आण्विक युद्ध है, या इसे छोड़ कर, बड़ी सेनाएं, एक दूसरे के विरुद्ध धावा करें। इस बात को स्पष्ट किया गया था कि स्थिति उतनी नहीं बिगड़ी है। वहां की भूमि आदि की दृष्टि से, यह उस प्रकार सामान्यतया काम नहीं कर सकती। निस्संदेह विरोध वहां है। मैं बाद में दोनों देशों के बीच हुआ वार्तालाप, जो एक दूसरे के विरुद्ध है, रखूंगा।

†**श्री नाथ पाई**: रखे गये पत्रों और प्रधान मंत्री के वक्तव्यों से यह बात स्पष्ट है कि सरकार को सितम्बर मे सूचना प्राप्त हुई। उसी प्रेस सम्मेलन में प्रतिरक्षा मंत्री के इन शब्दों का क्या अर्थ लगाया जाये कि "प्रेस में जो छपा है उसके अतिरिक्त मुझे कुछ पता नहीं है"। क्या इतनी बड़ी गुप्त बातें प्रतिरक्षा मंत्री या उसके मंत्रालय से छिपी रह सकती हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: यदि मैं प्रतिरक्षा मंत्री के वक्तव्य का उल्लेख करूं, जो यहां मेरे पास नहीं है---उन्हें उतना ही पता था जितना मुझे और जितना मेरे साथियों को मालूम था। हमें अक्तूबर में इसका पता लगा। पहली सूचना सितम्बर में आई। इसके बारे में मैं प्रश्न काल के बाद कुछ कहूंगा। प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा था कि उनको किसी नई बात का पता नहीं था। वह इस दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत देर तक रहे। वास्तव में उल्लेख किसी नई बात का नहीं था। उन्होंने कहा कि यदि कोई नई घटना या बात हुई है तो उनको उस समय मालूम नहीं थी। परन्तु उनको उतना ही पता है जितना मुझे क्योंकि कोई नई बात नही हुई है। पिछले कुछ हफ्तों में कोई नई घटना नहीं घटी है।

राजा महेन्द्र प्रताप: मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूं। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने कल ही मुझे अपने दस्तखतों से जवाब दिया। बड़ी सी मुहर लग कर वह आया था और एक आदमी उसको ले कर आया था। इसके लिये मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। चीन के साथ सरहद का सवाल दो साल से चल रहा है। मैं वहां पांच साल रहा हूं। तिब्बत भी मैं

† मूल अंग्रेज़ी में

गया हूं। मैं चाहता हूं कि इस मसले को हल करूं। आप मुझे यह जवाब दे देते हैं कि आप की राय और है, और मेरी राय और है। मेरी कुछ भी राय हो, मगर मैं इस मसले को हल करना चाहता हूं। मेहरबानी करके आप मुझे यह समझा दीजिये कि आपको क्या एतराज़ है कि जो काम आप नहीं कर पाते हैं, जिस मसले को आप हल नहीं कर पाए हैं, जिसका आप फैसला नहीं कर पाए हैं, उसको मैं करूं। मुझे आप इसको क्यों नहीं करने देते हैं?

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि चीनी अफसरों ने १९६० में एक नया मानचित्र बनाया था, जो १९५६ में श्री चाऊ एन लाई के द्वारा पेश किये गये मानचित्र का स्पष्ट खंडन करता है और क्या उस मानचित्र के अनुसार, उस प्रदेश में १८००० वर्ग मील हैं? यदि हां, तो इस बात के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है कि मानचित्र में दिखाये गये इस अतिक्रमण या दावे के पश्चात वास्तविक अतिक्रमण न होने पावे?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** यदि मैं मा० सदस्य के प्रश्न के बारे में बाद में उत्तर दूं, तो अच्छा रहेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** इन मामलों को चर्चा के समय उठाया जा सकता है।

†**श्री हेम बरुआ :** मेरा प्रश्न विशिष्ट था, कि क्या चीनियों के कर्मचारियों ने १९६० में एक मानचित्र बनाया है जो १९५६ में श्री चाऊ एन लाई द्वारा तैयार किये गये मानचित्र का खण्डन करता है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** इस सभा के सामने पहले जो पत्रव्यवहार रखा गया है उसमें मानचित्र संबंधी इस तर्क का उल्लेख किया गया है। मैं आज जो श्वेत पत्र रखूंगा उसमें इसका और भी उल्लेख होगा। स्वभावतः हम समझते हैं कि चीनी सरकार केवल बिल्कुल गलत ही नहीं है, परन्तु इन मामलों में उसने बड़ा विरोधी और अतिक्रमणात्मक रवैया अपनाया है। यह मानी हुई बात है। उस पर चीनियों द्वारा बलपूर्वक कब्जा किये जाने के मामले के बारे में मैं अपने उत्तर में बाद में संक्षेप से बताऊंगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** 'सक्रिय विरोध' का उल्लेख करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा है कि दोनों देशों की सेनायें सीमा पर एक दूसरे के मुकाबले में तैयार नहीं खड़ी की गयी थीं। प्रेस में समाचार छपते हैं कि वहां उत्तर की सीमा पर चीनी सरकार के ५०००० सैनिक हैं। क्या भारत सरकार ने इस बात का निश्चय किया है कि क्या वहां इतने सैनिक हैं या कम या अधिक हैं?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मा० सदस्य तिब्बत की सोच रहे हैं। मुझे संदेह नहीं है कि वहां चीनियों की बड़ी सेना है ५०००० से भी अधिक। किन्तु यदि वह हमारे उस क्षेत्र की बात करते हैं जो चीनियों के कब्जे में समझा जाता है, तो वहां इतनी सेना नहीं है।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** मैं सिक्कम भूटान आदि के पास की सीमा का उल्लेख कर रहा हूं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इन बातों की चर्चा बाद में की जायेगी।

†**श्री हेम बरुआ :** प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा है कि हमें वहां सेनाओं की जरूरत नहीं है। क्या वहां सेना का उपयोग सर्वथा नहीं होगा?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : लद्दाख क्षेत्र का ही उल्लेख किया जा रहा है। वहां सेनायें नहीं हैं ।

†श्री हेम बरुआ : वाशिंगटन में उन्होंने कहा है हमें वहां सेना की जरूरत नहीं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : यह सेना की जरूरत का सवाल नहीं है। वहां चीनी, रूसी, अमरीकी या भारतीय सेनायें काम नहीं कर सकतीं। उन क्षेत्रों में सशस्त्र लोगों के दल काम करते हैं। पहाड़ की चोटी पर सेना नहीं रखी जाती। आप सशस्त्र वर्ग को अच्छी तरह तैयार करके भेजते हैं। आप वहां आकाश से कार्यवाही कर सकते हैं, किन्तु वहां बड़ी सेनायें सैन्यतंत्र के कारणों से काम नहीं कर सकतीं। कोई भी सरकार वहां बड़ी सेना आसानी से नहीं भेज सकती। वहां दूसरी तरह की सैनिक कार्यवाही की जाती है।

†अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय पर चर्चा निश्चित करूंगा।

†श्री नाथ पाई : समूचे देश को इसमें दिलचस्पी है।

†अध्यक्ष महोदय : इन विषयों पर तब चर्चा की जायेगी।

†श्री रंगा : यदि चर्चा उपयोगी सूचना पर निर्धारित हो तो लाभदायक हो सकती है। यहां मा० प्रधान मंत्री हैं जो प्रविधिक गलती के बारे में बड़ी बात करते हैं जो हमें अपने अज्ञान के कारण कहनी पड़ती हैं। ठीक है वहां सेनायें काम नहीं कर सकतीं। परन्तु फिर वहां क्या हैं ? क्या वह नहीं बता सकते ? सशस्त्र लोगों के दल वहां हैं। वह हमें सूचना नहीं देते।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इन मामलों की चर्चा के लिये तिथि निर्धारित कर दी गई हैं। वर्तमान प्रश्न बर्मा सीमा में तीन सीमाओं के बारे में था। परन्तु हमें समूची नीति और सैनिक व्यवस्था के बारे में प्रश्न पूछे रहे हैं। पहले तो पूरी चर्चा होगी, दूसरे आज आधे घंटे में मैं लद्दाख स्थिति पर सूचना दूंगा और पत्र व्यवहार सभा पटल पर रखूंगा ताकि जब चार पांच दिन के बाद चर्चा होगी, तो मा० सदस्यों को ये बातें मालम हों और वे चर्चा में भाग ले सकें।

†श्री हेम बरुआ: मैं औचित्य प्रश्न पूछता हूं। जब प्रधान मंत्री वहां सेना के काम करने के बारे में कह रहे थे तो उन्होंने कहा था कि सशस्त्र दल वहां काम कर सकते हैं और फिर उन्होंने वहां सेना के काम की संभाव्यता को रद्द किया। इससे हमारे लोगों को और चीनियों को गलत धारणा होगी। इससे चीनियों को यह चेतावनी मिलेगी कि हम अपनी सीमा की रक्षा के लिये वहां अपनी सेना नहीं भेज रहे हैं। प्रधान मंत्री के वक्तब्य ने हम सब को भ्रम में डाल दिया है।

†श्री बाजपेयी: प्रधान मंत्री के वक्तव्य में स्पष्टतया वचन विरोध है। एक समय वह कहते हैं कि चीनी सेनायें हैं और दूसरी बार कहते हैं कोई सेनायें वहां नहीं केवल सशस्त्र वर्ग हैं। क्या सशस्त्र वर्ग चीनी सेना के अंग नहीं हैं ? केवल इस कारण कि हम वहां अपनी सेनायें नहीं भेज सकते, यह कहने का क्या लाभ है कि वहां सेनायें नहीं हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** जो लोग समझना नहीं चाहते मैं उनको बात समझा नहीं सकता ।

†**श्री वाजपेयी:** यह कोई उत्तर नहीं है । आप को लोगों को स्थिति का स्पष्टीकरण करना होगा (**अन्तर्बाधा**) ।

†**अध्यक्ष महोदय:** शान्ति, शान्ति । इन सब बातों का पूरा उत्तर दिया जायेगा । श्री हेम बरूआ अनावश्यक तरीके से औचित्य प्रश्न रखते हैं । बाद में यदि मैं देखूंगा कि कोई औचित्य प्रश्न की बात नहीं है तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा।

देहाती क्षेत्रों में उद्योगीकरण

+

†*३७२. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर:**
श्री पहाड़िया: }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देहाती क्षेत्रों में उद्योगीकरण के विकास के लिये एक स्वायत्तशासी बोर्ड अथवा कोई अन्य विशेष अभिकरण स्थापित करने का है ; और

(ख) प्रस्ताव का स्वरूप और क्षेत्र क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :**(क) और (ख). देहाती क्षेत्रों में उद्योगों की प्रगति की समीक्षा करने, उनसे संबंधित नीति एवं योजना की समस्याओं का अध्ययन करने तथा देहाती औद्योगिक विकास के संबंध में समय समय पर उठने वाले मामलों पर विचार करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय देहाती उद्योग योजना आयोग स्थापित करने का विचार है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** इस अभिकरण के क्या काम होंगे और इसको कितना धन दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह न्यूनाधिक नीति बनाने वाली समिति है। यह प्रत्यक्ष कार्यान्विति की आभारी नहीं होगी । यह मोटे तौर पर विभिन्न देहाती औद्योगिक कार्यक्रम की कार्यान्विति तथा नीतियों का मार्गदर्शन करेगी । समिति भी बनाई जाने वाली है इसलिये मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर:** क्या सरकार यह मानती है कि देहाती उद्योगीकरण करने के संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है , और यदि हां, तो वह योजना के पहले वर्ष में क्या विशेष कार्रवाइयां करने का विचार करती है अथवा क्या उसने कुछ योजना बनाई है ?

†**श्री मनुभाई शाह:** सरकार मा० सदस्य और सभा की उत्सुकता को अनुभव करती है। और इसी कारण हम देहाती औद्योगिक विकास को अधिक बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री रघुवीर सहाय :** क्या देहाती उद्योगीकरण के इस मामले में यह विचार किया गया है कि वाणिज्य तथा उद्योग एवं सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालयों के बीच कुछ समन्वय होना चाहिये यदि हां, तो वह समन्वय किस तरीके से किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह :** अब भी सभा को याद होगा कि न केवल इन दोनों मंत्रालयों के बीच पूरा समन्वय है, अपितु देहाती क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न अभिकरणों के बीच भी समन्वय होगा। इस समिति की स्थापना के द्वारा और देहाती क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य अभिकरणों को तेज करने के द्वारा इन सब गतिविधियों को अधिक बल देने का विचार है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह विचार किया गया है कि यह अभिकरण वास्तव में अल्प-स्तर उद्योग बोर्ड, खादी बोर्ड, राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंड आदि के कार्य संचालन का मार्ग दर्शन करेगा और यदि हां, तो क्या इन तीन या चार अभिकरणों की औद्योगिक योजनायें इस बोर्ड के निदेशाधीन काम करेंगी ? क्या इस के पास कुछ वित्त भी होगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** इस के पास वित्त नहीं होगा। यह समीक्षा करने और नीति बनाने वाली समिति होगी और न केवल मा० सदस्य द्वारा उल्लिखित तीन या चार बोर्डों के राय का अपितु अन्य सभी अभिकरणों के काम की समीक्षा और समन्वय करेगी।

†**श्री तिमैय्या :** राज्य स्तर पर देहाती उद्योगीकरण के लिये कुछ समितियां हैं। क्या उनको स्वयत्तशासी बनाया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह सर्वथा भिन्न पहलू है। प्रश्न उच्च स्तरीय समिति का है जो केन्द्रीय अभिकरण सहित देश के विभिन्न अभिकरणों द्वारा किये गये काम की समीक्षा करेगी।

डा० गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी यह बात जानते हैं कि देहाती उद्योगों के लिये बिजली सबसे अधिक आवश्यक है। दृष्टांत के लिये हमारे प्रांत में चम्बल योजना में बहुत बिजली पैदा हुई है। क्या यह कमेटी इस पर विचार करेगी कि यह बिजली बड़ी बड़ी मिलों को जो अभी डीजिल इंजिन या कोयला से चलती हैं उनको न जाकर गांवों के छोटे उद्योगों के लिये सुरक्षित रखी जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा कि हाउस को पता है कि, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कोई २० हजार से २३ हजार गांवों में बिजली पहुंचायी जा चुकी है और तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक और २० हजार गावों में बिजली जाने वाली है। तो जिस ओर सदस्य का इशारा है वही हमारा उद्देश्य है कि देहातों में बिजली पहुंचाई जाये और वहां छोटे उद्योगों, खेती बाड़ी और अन्य धन्धों में उसका उपयोग हो।

श्री विभूति मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कुछ ऐसा एरिया डिमारकेट किया है जो कि स्टेशनों से दूर है, जहां बेकारी ज्यादा है और जो पिछड़ा हुआ है ? और क्या इस प्रकार के एरिया में बिजली ले जाने का विचार है ताकि वहां काम धन्धों को प्रोत्साहन दिया जा सके ?

श्री मनुभाई शाह : हम तो यही चाहते हैं। और यही तो रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोग्राम है।

†**श्री त्यागी :** क्या देहाती क्षेत्रों में केवल छोटे उद्योगों का प्रसार किया जायेगा या बड़े उद्योगों को भी फैलने दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** वे फैल रहे हैं। उन पर कोई पाबन्दी नहीं। उन में से अधिकांश जैसे वन उद्योग सीमेंट उद्योग, मिट्टी के बरतनों का उद्योग, ऊष्मसह भट्टी उद्योग, शीशा और अन्य उद्योग देहाती क्षेत्रों के लिये उचित हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस विशेष समिति की रचना क्या है और जब तक इसको कार्यान्वित करने के लिये केन्द्र में कुछ विशेषकृत तंत्र न होगा और इसको धन नहीं दिया जायेगा, यह समिति कसे काम करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मूल प्रश्न को देखने से पता चलता है कि केवल यही एक अभिकरण नहीं है। यह समिति देहाती क्षेत्रों के उद्योगी करण की बड़ी व्यवस्था का अंग है। यह कई अभिकरणों में से एक है। दिसम्बर के प्रारम्भ में पहली बैठक बुलाये जाने का प्रस्ताव है। शायद इस में योजना आयोग के तीन सदस्य, तीन मंत्री और सात गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

कालिम्पोंग में चीनी व्यापार अभिकरण पर प्रतिबन्ध

+

†*३७३. **श्री श्री नारायण दास** :
श्री राधा रमण :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालिम्पोंग में चीनी व्यापार अभिकरण तथा भारत में अन्य चीनी मिशनों पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ; और

(ख) क्या कालिम्पोंग में चीनी अभिकरण ने भारत के इन आदेशों के अनुसार काम किया है कि अभिकरण को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में वहां पर स्थित अभिकर्ता की पूर्वानुमति के बिना कालिम्पोंग में बाहर से आने वाले यात्रियों से नहीं मिलना चाहिये ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) जी हां। इसके सम्बन्ध में २० नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(ख) कलिम्पोंग में विदेशी मिशनों या विदेशियों पर प्रश्न में उल्लिखित किस्म की कोई रुकावट नहीं है। कलिम्पोंग में विदेशी मिशन भारतीय राष्ट्र जनों को सब डिविजनल अफसर कलिम्पोंग की अनुमति से उनके भूगृहादि में आयोजित उत्सवों में निमन्त्रित कर सकते हैं। चीनी व्यापार अभिकरण विदेशियों पर जिनमें कालिम्पोंग में राजनयिक प्रशिष्ठाधारी लोग शामिल हैं, लगाई गई विविध रुकावटों का पालन करने में लापरवाह हैं। उनसे कहा गया कि इन विनियमों कोपालन करने की ओर ध्यान दें।

†**श्री श्रीनारायण दास** : पहले कहा गया था कि चीन स्थित हमारे मिशनों को बड़ी कठिनाइयों का सामना पड़ता है। क्या वहां से इन मिशनों को हटाने और बाद में भारत में चीनी मिशनों को हटाने के प्रश्न पर विचार किया गया है ; यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : वहां से अपने मिशनों को हटाने का प्रश्न विचाराधीन है। वास्तव में, जिस सन्धि के अधीन वे मिशन वहां स्थापित किये गये थे, यदि उसका नवीकरण नहीं किया जाता, तो वह लगभग सात महीनों में समाप्त हो जायेगी। इस मामले का विचार किया जा रहा है और ज्यों ही निर्णय किया जायेगा, सभा को सूचित कर दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री श्रीनारायण दास : प्रतीत होता है कि चीनी मिशनों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। क्या चीनी मिशनों ने इन प्रतिबन्धों को पालन करने में कोई उल्लंघन किया है ? यदि हां, तो उसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†श्री जो० ना० हजारिका : यह पहले ही बताया जा चुका है कि कलिम्पोंग के अतिरिक्त किसी स्थान पर चीनियों या विदेशियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। उल्लंघन के केवल दो मामले हुये हैं। एक में २४ अगस्त, १९६१ को चीनी व्यापार अभिकरण, कलिम्पोंग के दो कर्मचारी, अपेक्षित अनुमति के बिना बागडोगरा हवाई अड्डे को जाते समय, टोस्टा चौकी पर रोक लिये गये और उनको कलिम्पोंग जाने को कह दिया गया। दूसरा मामला हमारी सूचना के अनुसार यह है कि चीनी व्यापार अभिकरण के द्वारा डाक के द्वारा या अन्यथा, १ अक्तूबर, १९६१ को उनके राष्ट्रीय दिवस को मनाने के लिये, व्यापार अभिकरण की चार दीवारी में आयोजित उत्सव के लिये सब डिविजनल अफसर कलिम्पोंग को बताये बिना भारतीय नागरिकों को बड़ी संख्या में निमंत्रण पत्र भेजे थे।

†श्री राधा रमण : क्या कलिम्पोंग जाने वाले सब चीनियों का अभिलेख रखा जाता है ? यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है और जो कलिम्पोंग गये थे उनमें से कितने शंकित चरित्र वाले थे ?

†श्री जो० ना० हजारिका : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†श्री नाथ पाई : वहां चीनी मिशनों पर रुकावटें लगा दी गई हैं ताकि राष्ट्रीय हितों के लिये हानिकारक कार्यों में उनको पड़ने से रोका जा सके। इस देश में चीनियों के और भी दूसरे मिशन हैं। क्या सरकार का यह मत है कि कलिम्पोंग में चीनी लोगों पर अन्य लोगों की अपेक्षा विद्रोही गतिविधियों का अधिक संदेह है ? यदि नहीं तो कलिम्पोंग में ही रुकावटें क्यों हैं और इस प्रकार की रुकावटें देश के अन्य भागों में चीनियों की गतिविधियों पर क्यों नहीं हैं ?

†श्री जो० ना० हजारिका : हम कलिम्पोंग को नाजुक क्षेत्र मानते हैं।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : कलिम्पोंग तथा अन्य स्थानों में निःसन्देह अन्तर है जो तुलनात्मक दृष्टि से न केवल सीमा के समीप है अपितु वहां न केवल चीनी बल्कि तिब्बती और अन्य विदेशी लोग भी बड़ी संख्या में जमा हो चुके हैं। वास्तव में मैं समझता हूं कि एक बार मैंने इस सभा में कलिम्पोंग को ऐसा स्थान कहा था, जहां सम्भवतः सामान्य जनता से अधिक विभिन्न देशों के लोग हैं। कलिम्पोंग में एक देश के नहीं बल्कि प्रायः प्रत्येक महत्वपूर्ण देश के जासूस हैं। अतः इस विशेष स्थिति वाले देश में विशेष उपाय करने पड़ते हैं। अन्य स्थानों पर ये अवसर नहीं आते जहां चीनी या अन्य अभिकरण होते हैं। इसलिये वहां यही कार्यवाई नहीं की जाती। उदाहरणार्थ कलकत्ता जैसे स्थान में उनको करना कठिन है।

†श्री नाथ पाई : माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि कलिम्पोंग की साधारण जनता में अधिक जासूस वहां हैं। इस स्वीकृति का भारत सरकार के गुप्तचर विभाग पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इस का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे अन्य देश की गुप्तचर प्रणाली को समझते हैं और कोई देश बचा हुआ नहीं है।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कलिम्पोंग को प्रधान मंत्री ने एक बार जासूसों का और विभिन्न रंगों के, सफेद, गोरे, काले, पीले रंगों के जासूसों का गढ़ बताया था,

†मूल अंग्रेजी में

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने अब तक इस बात के लिये कि उन के पीछे कोई देशविरोधी कार्य न होने पावे, क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** वहां शरारती लोगों का पीछा करने के लिये तथा उन को शरारत न करने के लिये तथा जब वह ऐसा करें तो कार्रवाई करने के लिये क्या कार्रवाई हम करते हैं, यह मैं कैसे बता सकता हूं ?

†**श्री हेम बरुआ :** अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? क्या कोई जासूस पकड़ा गया है और क्या अब तक किसी विदेशी मिशन के साथ संबंध सिद्ध हो गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय:** : हम विषय से परे जा रहे हैं । अगला प्रश्न ।

कोयला खान श्रमिकों के लिये मकान

†*३७४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १६ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१-६२ में प्रत्येक खनन क्षेत्र में कोयला खान श्रमिकों के लिये बनाये जाने वाले सस्त मकानों और बैरकों का कोई किराया वसूल किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना और कोयला खान कल्याण निधि आवास योजना के अन्तर्गत बनाये जाने वाले मकानों की निर्माण लागतों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ला० ना० मिश्र)**: (क) और (ख). कोयला खान श्रमिक जो किराया देंगे वह १ रुपया प्रति मास प्रति मकान और २ रुपये प्रति मास प्रति बैरक से अधिक नहीं होगा ।

(ग) इस योजना के अधीन बनाये जाने वाले मकानों की कम लागत का कारण यह है कि ये मकान निधि की अन्य आवास योजनाओं के अधीन बनाये गये मकानों की अपेक्षा साधारण किस्म के और कम दिनों तक कायम रहने वाले हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त**: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि क्योंकि खान-मालिकों ने मकानों के निर्माण के मामले में पुरानी योजना के साथ सहयोग नहीं दिया, अब सरकार को यह नयी योजना बनानी पड़ी है जिस में सब-स्टैण्डर्ड किस्म के सस्ते मकान बनाये जायेंगे ?

†**श्री ल० ना० मिश्र :** यह सच है कि कई कठिनाइयां थीं और कार्यक्रम पूरा नहीं किया जा सका । इसलिये हमें विशेष प्रकार का नमूना बनाना पड़ा । हमें आशा है कि इन नमूनों से काफ़ी प्रगति की जायेगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि ३० से ३५ प्रतिशत श्रमिकों को भी क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ? इस निधि और अन्य योजनाओं के अधीन और क्वार्टर बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ल० ना० मिश्र : यह सच है कि आवास समस्या गम्भीर है। कम लागत वाले मकानों के लिये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है। उन में से एक कोयला खानों के लिये एक लाख मकान बनाने का है।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या उन क्षेत्रों में जहां ये मकान बनाये गये हैं, इन में जल-संभरण का आश्वासन दिया गया है ?

†श्री ल० ना० मिश्र : कुछ में जल सुविधा है और कुछ में नहीं।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस नयी योजना के अधीन अब तक कितने मकान बनाये गये हैं और वे किन क्षेत्रों में बनाये गये हैं ?

†श्री ल० ना० मिश्र : हमारा प्रस्ताव २५००० मकान और लगभग ४०० बैरक बनाने का है।

मशीनों और उपकरण का निर्माण

+
†*३७५. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मशीनों और उपकरणों के निर्माण के लिये एक विकास परिषद् स्थापित की गई है ;

(ख) क्या विभिन्न वर्गों की मशीनों संबंधी स्थायी समितियों का विलय कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या स्थायी समितियों के सदस्य विकास परिषद् की सदस्यता के पात्र होंगे ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). जी, हां।

†श्री स० चं० सामन्त : इस विकास समिति के सदस्यगण कौन-कौन हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : इस में ३० सदस्य हैं। इस में विभिन्न मशीन-निर्माण उद्योगों सम्बन्धी स्थायी समितियों के छः चेयरमैन शामिल किये गये हैं। अन्य दस विशेषज्ञ हैं।

बिहार में 'पाइराइट' के निक्षेप

+
†*३७७. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री विभूति मिश्र : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्धक का तेजाब (सल्फ्यूरिक एसिड) बनाने के लिये बिहार में अमझोर में 'पाइराइट' के निक्षेपों का उपयोग करने के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) उन का क्या परिणाम हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). सरकार पाइराइट्स एण्ड केमिकल्स डेवेलपमेंट कम्पनी लिमिटेड द्वारा अमझोर के पाइराइट्स पर आधारित सिन्दरी और दुर्गापुर में दो गन्धक के तेजाब (सल्फ्यूरिक एसिड) संयंत्र लगाने के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

तेजाब के उत्पादन के लिये अमझोर के पाइराइट्स का इस्तेमाल करने के प्रश्न पर देश के बड़े गन्धक के तेजाब निर्माताओं को कहा गया है और अमझोर पाइराइट्स के आधार पर प्रतिवर्ष १६,५०० टन गन्धक का तेजाब बनाने के लिये एक योजना को लाइसेन्स दिया गया है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : नये कारखानों के लिये उन व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप देने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इस में तीन से चार महीने तक लग सकते हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इन कारखानों की कुल पूंजी कितनी होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये कारखाने नहीं हैं । ये कारपोरेशन के यूनिट हैं । प्रत्येक में लगभग ५० लाख रुपये लगेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जब तक यह फैक्टरी कायम होगी तब तक सरकार को बाहर से कितना सल्फ्यूरिक एसिड मंगाना पड़ेगा ?

श्री मनुभाई शाह : जितना सल्फर हमें बाहर से मंगाना पड़ता है वह तो मंगाना अभी चालू रहेगा क्योंकि हमारी सलफ्यूरिक एसिड की डिमांड इतनी है कि पायइराइट से सलफ्यूरिक एसिड तैयार करने के बाद भी गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत बाहर से मंगाना पड़ेगा ।

श्री विभूति मिश्र: मैं जानना चाहता हूं कि इन दो कारखानों से कितना सल्फ्यूरिक एसिड तैयार हो पायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : वे कोई २ लाख टन सल्फ्यूरिक एसिड तैयार कर पायेंगे ।

†**श्री दी० चं शर्मा** : कमी कितनी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ये दो विभिन्न विषय हैं । एक सल्फ्यूरिक एसिड है और दूसरा सल्फर है । सल्फर की कमी प्रतिवर्ष २००,००० से ४००,००० टन तक जारी रहेगी ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप**: : इन चीजों के बनाने के लिये क्या प्राविधिक कालिजों को कहना संभव नहीं है ? मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम नई चीजें बनाने के लिये सूर्य और वायु की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं । आप मेरे प्रश्न की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : देश की जनता के लाभ के लिये प्रकृति की सब ताकतों का इस्तेमाल किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेंट उत्पादन सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

+

†*३७८. श्री अरविन्द घोषाल :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० गं० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुरारका :
श्री पहाड़िया :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री बं० च० मलिक :
श्री न० म० देव :
श्री वारियर ।

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ८ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमेंट उत्पादन एवं इस के मूल्य संबंधी प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन का परीक्षण पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं और उन के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति और आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय बताने वाले सरकारी संकल्प की एक प्रति २०-११-१९६१ को सभा पटल पर रखी जा चुकी है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या हाल ही में सीमेंट के मूल्य में वृद्धि हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी, हां । ऐसा हुआ है ।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या यह प्रशुल्क आयोग की सिफारिश के अनुरूप है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किये गये अध्ययन को ध्यान में रखते हुए प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों का वैज्ञानिकन करने में कुछ संशोधन किये गये हैं ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या अन्य सिफारिशें अवैज्ञानिकन हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अवैज्ञानिकन नहीं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विवरण में तीन बातें हैं जिन्हें सीमेंट के मूल्य में वृद्धि के लिये जिम्मेवार बताया गया है : सीमेन्ट उद्योग में मजूरी बोर्ड की सिफारिशें ; पत्थर निकालने की खान में श्रमिकों के बारे में पंचाट और श्रमिक पंचाटों के फलस्वरूप कोयले की दर में वृद्धि । क्या हम यह समझें कि सरकार इस स्थिति को मंजूर कर रही है कि श्रमिक पंचाटों में जो वृद्धि है वह सब मूल्यों में वृद्धि के रूप में उपभोक्ता को भुगतनी पड़ेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : ऐसा नहीं है । माननीय सदस्य ने सारी जांच का केवल कुछ भाग ही लिया है । परिवहन शुल्क की दर में वृद्धि होने से भाड़ा शुल्क में वृद्धि हुई है ; खान पर कोयले के मूल्य

---

†मूल अंग्रेजी में

में वृद्धि होने से कोयले के मूल्य में वृद्धि हुई है। मजूरी बोर्ड की सिफारिशें इस का केवल एक भाग है। वास्तव में, मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को दो भागों में विभक्त किया गया था, एक भाग राज्य व्यापार निगम सहन करेगा और एक भाग मूल्यों में शामिल किया जायेगा।

†**श्री तंगामणि :** प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप अब सीमेन्ट के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह लगभग १३ रुपये अधिक है। यह पैकिंग पैकिंग पर भिन्न है। खुले सीमेन्ट का मूल्य पहले मूल्य से लगभग १३ रुपये अधिक है।

प्रश्नों के लिखत उत्तर

भारतीय चाय

†*३७६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका की चाय ने कुछ समय से भारतीय चाय से अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) सामान्यतः विश्व को निर्यात में भारतीय और श्रीलंका दोनों की चाय ने अपनी अपनी स्थिति बनाये रखी है और यह समझने की कोई बात नहीं है कि लंका की चाय ने भारतीय चाय से अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर ली है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अन्तर्मंत्रालय परियोजनायें

†*३७९. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तीसरी योजना के दौरान बड़ी अन्तर्मंत्रालय परियोजनाओं की प्रगति की निकट से देखरेख करने के लिये एक प्रक्रिया बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रक्रिया की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) और (ख). सम्बन्धित मंत्रालयों के सहयोग से योजना आयोग विभिन्न क्षेत्रों में अन्तःसम्बन्धित कार्यक्रमों के विकास की ओर, जो एक दूसरे पर आधारित हैं, विशेष ध्यान दे रहा है। विशेषतः वर्ष १९६२-६३ के लिये वार्षिक योजना बनाने के सम्बन्ध में मंत्रालय समेकित अग्रिम योजना बनाने की सुनिश्चितता के लिये ध्यान दे रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

लाओस

†*३८०. { डा० राम सुभग सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० गं० देव :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री कालिका सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने लाओस समस्या के शीघ्र निबटारे के सम्बन्ध में कोई नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) भारत और अमरीका की सरकारें अन्य सम्बन्धित सरकारों के समेत, लाओस की समस्या पर एक दूसरे से सम्पर्क बनाये रख रहे हैं।

(ख) ऐसे सम्बन्ध विचारों के आदान-प्रदान के रूप में हैं।

औषधियों की आवश्यकता

†*३८१. **श्री झूलन सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न औषधियों की तथा उन्हें तैयार करने के लिये आवश्यक उपकरणों की आवश्यकता का कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का परिणाम क्या निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). सभा पटल पर दो विवरण रखे जाते हैं जिन में विवरण संख्या १ में तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल के लिये निर्धारित लक्ष्य दिये गये हैं और विवरण संख्या २ में औषधि तथा भेषज विकास समिति द्वारा हिसाब लगाये गये नये उत्पादन स्थापित करने के लिये अपेक्षित विभिन्न प्रकार के उपकरणों का मूल्य और उन के संधारण के बारे में बताया गया है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८७ और ८८]**

केरल में शुद्ध मापक यंत्रों का कारखाना

†*३८२. { श्री कोडियान :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुरारका :
श्री अ० क० गोपालन : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में शुद्ध मापक यंत्रों का कारखाना स्थापित करने के लिये कोई स्थान चुन लिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस प्रयोजन के लिये कौनसा स्थान चुना गया है ;

(ग) उसे कारखाने की अनुमानित लागत कितनी है ;

(घ) उस की उत्पादन क्षमता क्या होगी ;

(ङ) यह कारखाना चलाने के लिये कुल कितने कुशल, अर्धकुशल तथा अन्य श्रमिकों की आवश्यकता होगी ; और

(च) यह कारखाना सम्भवतः कब तक स्थापित हो जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (च). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

केरल में शुद्ध मापक यंत्रों का कारखाना स्थापित करने के लिये ठीक ठीक स्थान रूसी विशेषज्ञों के परामर्श से, जिन्हें इस प्रयोजन के लिये बुलाया गया है, अभी निश्चित करना है। न्यूमैटिक, हाइड्रालिक और मशीनी औजार तैयार करने के इस कारखाने की लागत संभवतः लगभग ६ करोड़ रुपये होगी। उत्पादन आदि के नाम के सम्बन्ध में रूसी विशेषज्ञों की सिफारिशों की प्रतीक्षा है। कारखाना चलाने के लिये आवश्यक विभिन्न कर्मचारियों की संख्या केवल तभी मालूम होगी जबकि विस्तृत परियोजना रिपोर्टें रूसी अधिकारियों से प्राप्त हो जायेंगी। आशा है कि तीसरी योजना के उत्तरार्द्ध में कारखाने में उत्पादन शुरू हो जायगा।

अन्तर्राष्ट्रीय अणु-शक्ति अभिकरण निधि

†*३८३. **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय अणु-शक्ति अभिकरण निधि में ऐच्छिक आधार पर अंशदान करने के अपने प्रस्तावों को वापस ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या कारण है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अलीखां) :** (क) और (ख). सितम्बर-अक्तूबर, १९६१ में वियना में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अणु-शक्ति अभिकरण के पांचवें सामान्य सम्मेलन में, भारतीय शिष्टमंडल ने सामान्य वाद-विवाद में यह घोषित किया था कि पिछले वर्षों की तरह भारत सरकार वर्ष १९६२ के लिये भी अभिकरण की सामान्य निधि में ऐच्छिक अंशदान देना चाहती है। बाद में एक बैठक में जिस में सदस्य-राज्यों ने ऐच्छिक अंशदान के निश्चित वचन दिये थे, भारतीय शिष्टमंडल ने यह कहा कि भारत के अंशदान के प्रश्न पर फिर विचार किया जा रहा है क्योंकि सम्मेलन में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जो कई राष्ट्रों की दृष्टि से, खास कर तटस्थ एशियाई और अफ्रीकी देशों की दृष्टि से असंतोषजनक थीं। चूंकि किसी समय भी कोई निश्चित अंशदान नहीं दिया गया था, इसलिये उस के वापिस ले लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेंट का मूल्य

†*३८४. { श्री कालिका सिंह :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना पैक किये गये सीमेंट का रेल सीमान्त (रेल हैड) तक रेल-पर्यन्त निःशुल्क (एफ० ओ० आर०), प्रति टन वर्तमान मूल्य और उसे पैक करने का व्यय कितना पड़ता है ;

(ख) विभिन्न राज्यों के लिये सीमेन्ट का तिमाही आवंटन निर्धारित करने के लिये क्या आधार अपनाया जाता है और उत्तर प्रदेश को कम आवंटन करने का क्या कारण है ;

(ग) नवम्बर, १९६१ से सीमेन्ट का मूल्य चढ़ने का क्या कारण है ?

(घ) सीमेन्ट के उचित वितरण और विक्रय के लिये भारत के राज्य व्यापार निगम लिमिटेड ने कौनसा तरीका अपनाया है ; और

(ङ) सीमेन्ट पर से प्रत्येक प्रकार का नियंत्रण हटाने में कितना समय लगने की संभावना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ङ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) बिना पैक किये गये सीमेंट का रेल सीमान्त तक रेल पर्यन्त निःशुल्क वर्तमान मूल्य ६४ रुपये प्रति टन है और उपर सीमाशुल्क भी है जो फिलहाल २३.६० रुपये है। पैकिंग खर्च १८ रुपये प्रति टन है।

(ख) दिसम्बर, १९६० में यह निश्चित किया गया था कि जनवरी-मार्च, १९६१ की तिमाही के लिये राज्यों को सीमेन्ट का कोटा पिछली चार तिमाहियों के लिये नियत की गयी और रवाना की गयी सीमेन्ट की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिये और उत्तर प्रदेश के लिये कोटा ४९,१०० टन प्रति मास निकला है। उत्तर प्रदेश को सब से अधिक कोटा दिया गया है।

(ग) नवम्बर, १९६१ से सीमेन्ट का दाम बढ़ जाने के कारण ये हैं : मजूरी बोर्ड की सिफारिशें सीमेन्ट उद्योग पर लागू करने की वजह से मजूरी का बढ़ जाना ; पत्थर की खानों के मजदूरों पर पंचाट लागू करना जिसके कारण चूना पत्थर/समुद्री रेत का दाम बढ़ गया है, रेल का अधिक माल भाड़ा, कोयले की दरों में वृद्धि, बिजली प्रशुल्कों तथा राज्य सरकारों द्वारा लगाये गये बिजली-करों में वृद्धि और मूलभूत सामान की कीमतों में वृद्धि। सरकार द्वारा सीमेंट का दाम बढ़ाये जाने का निश्चय होने से पहले प्रशुल्क आयोग ने इन बातों की छानबीन कर ली थी।

(घ) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय समन्वयकारी/समर्थक अधिकारियों के लिये उनकी मांगों पर सीमेन्ट का इकट्ठा कोटा हर तिमाही में निर्धारित किया जाता है। राज्य सरकारें और समन्वयकारी अधिकारी इस मंत्रालय से प्राप्त नियमन का ब्यौरा राज्य व्यापार निगम के संबंधित प्रादेशिक सीमेन्ट पदाधिकारी को जो अपने क्षेत्र के कारखानों को अधिकार पत्र जारी कर सकता है, बता देते हैं। अधिकार पत्र जारी करते हुए इस बात की

---

†मूल अंग्रेजी में

सावधानी बरती जाती है कि यथासंभव सभी कारखानों को पर्याप्त आर्डर मिलें, और उपलब्ध परिवहन क्षमता का अत्यन्त उचित उपयोग हो इसलिये इस बात की ओर भी ध्यान दिया जाता है कि किसी कारखाने से सीमेन्ट के आकस्मिक स्थानान्तरण से अनुचित या अनावश्यक स्थानान्तरण न हो। राज्य व्यापार निगम के विक्रेता एजेन्ट इस प्रकार जारी किये गये अधिकार पत्रों पर दिये गये आर्डर कार्यान्वित करते हैं। राज्यों में नियुक्त स्टॉकिस्ट जनता के लिये रखे गये स्टाक से लेन देन करते हैं जब कि सरकारी विभागों जैसे थोक उपभोक्ता सीधे कारखानों से माल डिब्बों में सप्लाई प्राप्त करते हैं।

(ङ) सीमेन्ट पर नियंत्रण तब तक जारी रखना होगा जब तक कि ऐसी करना लोक हित में आवश्यक होगा।

भारत-पाक अदायगी करार

†*३८५. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री बांगशी ठाकुर :: }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, १९६० में दोनों देशों के बीच हुए भारत-पाकिस्तान अदायगी करार का अब १९६१ की समाप्ति तक पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो वह प्रस्तावित पुनरीक्षण संक्षेप में किस प्रकार का होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी हां।

(ख) भारत-पाकिस्तान व्यापार करार (१०६०–६२) के पूर्व रूप (प्रोटोकोल) १ में उल्लिखित विशेष अदायगी करार में उसकी क्रियान्विति की सामयिक समीक्षा के लिये व्यवस्था की गई है। ऐसी समीक्षाओं में किसी ओर भी वस्तुओं के परिवहन तथा लाइसेंस देने की व्यवस्था की छानबीन की जाती है। ताकि यदि कोई असन्तुलन हो तो वह ठीक किया जा सके। अगली समीक्षा तीसरी समीक्षा होगी। पहली और दूसरी समीक्षा नवम्बर, १९६० और मार्च, १९६१ में हुई थी।

कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान

†*३८६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ७ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि में अंशदान की दर ६¼ प्रतिशत से बढ़ा कर ८⅓ प्रतिशत करने के सम्बन्ध में प्राविधिक समिति के प्रतिवेदन का सरकार द्वारा परीक्षण कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी हां ।

(ख) इस विषय पर अभी विचार हो रहा है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार

*३८७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १००५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की जांच करने के लिये जो समिति नियुक्त की गई थी, क्या इस बीच उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर किये गये निर्णय की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) यदि नहीं, तो उसने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ; और

(घ) कब तक उसका कार्य पूरा हो जाने की आशा है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ). समिति का कार्य अन्तिम स्थिति में पहुंच गया है और आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

पाकिस्तान द्वारा सीमा पर धावे

†*३८८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में पाकिस्तान द्वारा सीमा पर किये जाने वाले धावे बढ़ गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो १ अगस्त, १९६१ से आगे होने वाले ऐसे धावों का सविस्तार विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) क्या इस दिशा में पाकिस्तान सरकार के पास विशेष विरोध पत्र भेजा गया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) १ अगस्त से ३१ अक्तूबर, १९६१ तक की अवधि में भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर इन धावों की सूची बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० ३३५९/६१]** । प्रश्न संख्या ६८१ के उत्तर में १ मार्च से ३१ जुलाई, १९६१ तक भारत-पाकिस्तान सीमा पर हुए धावों के बारे में एक विवरण १९ अगस्त

†मूल अंग्रेजी में ।

१६६१ को सभा पटल पर रखा गया था। अगस्त-अक्तूबर, १६६१ की अवधि में किये गये धावों की संख्या और पिछले तीन महीनों में हुए धावों की संख्या की परस्पर तुलना करने पर यह दिखायी पड़ेगा कि अभी हाल के महीनों में सीमा वर्ती हमलों की संख्या में कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) प्रत्येक हमले के खिलाफ की गयी कार्यवाही और/अथवा विरोध सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० ३३५६/६१।]**

निर्यात संवर्द्धन

†*३८६. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री रामेश्वर टांटिया : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संवर्द्धन के कार्य को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या विशेष उपाय किये हैं अथवा निकट भविष्य में करने वाली है ; और

(ख) निर्यात के बारे में मुख्य बातों के सम्बध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान तीसरी योजना में "विदेशी-व्यापार का विकास" विषय पर अध्याय ८ की ओर दिलाया जाता है।

(ख) जनवरी–सितम्बर, १६६१ में ४६१.६७ करोड़ रुपये का माल निर्यात किया गया अर्थात १६६० में इसी अवधि में निर्यात किये गये ४४८.६७ करोड़ रुपये के माल से ४३ करोड़ रुपये अधिक का माल भेजा गया। पटसन से बनी वस्तुओं, कच्चा कपास और रद्दी रूई, चीनी, कहवा और चाय से निर्यात की आय अधिक हुई। सूती कपड़े और वनस्पति तेल का निर्यात अप्रतियोगितात्मक मूल्यों और देश में बढ़ते हुए उपभोग के कारण कम हो गया।

शुद्ध मापक यंत्रों का कारखाना

†*३६०. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री मुरारका : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन रूस के सहयोग से खुलने वाला शुद्ध मापक यंत्र कारखाना कोटा (राजस्थान) में स्थापित किया जायेगा ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से यह निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस परियोजना की कार्यान्विति में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) कोटा (राजस्थान) में परियोजना स्थापित करने का निश्चय उस प्रयोजन के लिये नियुक्त की गयी शिल्पिक समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था । शिल्पिक समिती की रिपोर्ट के पूरे पूरे सारांश की प्रति २० नवम्बर, १९६१ को सभा पटल पर रख दी गयी थी ।

(ग) कारखाने के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये आदेश ज्ञापन रूसी अधिकारियों को दे दिया गया है और उसे तैयार करने के लिये ठेका किया जा रहा है ।

डूम डूमा चाय बागान के अंश

†*३९१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया गया है कि लन्दन स्टाक एक्सचेंज में डूम डूमा चाय के अंशों का मूल्य ३ शिलिंग ६ पैंस से बढ़ कर ५० शिलिंग हो गया है ;

(ख) क्या डूम डूमा चाय बागान के लिये ब्रुक बांड द्वारा मूल ४५ शि० प्रति अंश में २६५,००० पौंड की वृद्धि करने के प्रस्ताव से इस बात का पता नहीं चलता कि विदेशियों द्वारा चाय उद्योग में भारी मुनाफा कमाया जा रहा है ;

(ग) भारतीय प्रस्तावों में कितने की कमी की गयी थी ;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय चाय उद्योग का नियंत्रण अधिकांश में ब्रुक बांड करता है ;

(ङ) उस ने कितनी पूंजी लगाई है और पिछले पांच वर्षों में उसका वार्षिक लाभ क्या रहा है; और

(च) क्या डूम डूमा चाय बागान के अर्जन से इसे और अधिक बल मिलेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (च). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी हां। कुछ समय तक, लंदन सट्टा बाजार में डूम डूमा चाय कम्पनी के १ पौंड यूनिट के स्टाक पर काफी सट्टा हुआ था। आखिर में यह बताया गया है कि एक ब्रिटिश चाय कम्पनी मेसर्स ब्रुक बांड एण्ड कम्पनी लिमिटेड अपना प्रारम्भिक वायदा प्रति १ पौंड स्टाक के लिये ४५ शिलिंग से ६० शिलिंग प्रति शेयर बढ़ाकर डूम डूमा चाय कम्पनी के निदेशक मंडल को इस बात पर राज़ी कराने में सफल हुये है कि वह अपने शेयर होल्डरों को अपने अपने शेयर ६० शिलिंग पर बेच देने की सलाह दे।

(ख) ज्ञात हुआ है कि मेसर्स ब्रुक बॉड अपना वायदा ६० शिलिंग प्रति शेयर तक बढ़ाने के लिये बहमत होते हुये 'पुरानी डूम डूमा चाय कम्पनी से सम्बन्ध विच्छेद' रोकने के लिये चिन्तित थे।

(ग) अखबारों में यह कहा गया था कि एक भारतीय कम्पनी उस कम्पनी के पांच चाय बागानों में से केवल तीन के लिये ३५ शिलिंग प्रति शेयर के बराबर भुगतान करने के लिये राजी थी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह जानकारी कम्पनियों के तलपटों से उपलब्ध होगी। यह जानकारी इकट्ठी करने में काफी समय, मेहनत और खर्च लगेगा।

(च) यह स्पष्ट है कि अर्जन से कम्पनी की संपदायें बढ़ जायेंगी।

जहाजों के डीजल इंजन

†*३९२ { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों के डीजल इंजिनों के निर्माण में इस बीच कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) भारत में जहाजों के डीजल इंजन तैयार करने के लिये जिन दो विदेशी फर्मों ने दिलचस्पी दिखाई है उनके साथ बातचीत अभी जारी है और आशा है कि वह शीघ्र ही पूरी हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोआ में पुर्तगालियों की गतिविधियां

†*३९३. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री बलराज मधोक :
श्री हेम बरुआ :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ
श्री चुनी लाल :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री न० रा० मुनिस्वामी
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नौशीर भरूचा :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या गोवा में पुर्तगालियों द्वारा राजनैतिक दबाव डाला जाना फिर से शुरू हो गया है और बढ़ गया है ?

(ख) क्या इसके साथ साथ सैनिक कार्यवाहियो में भी वृद्धि की जा रही है ; और

(ग) क्या सरकार स्थिति का सामना करने की दृष्टि से युद्ध सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

†वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) अजैनिक स्वाधीनता का दमन और उसकी निरंतर अस्वीकृति गोवा में पुर्तगाली शासन की अनवरत विशेषणा है। कई बार दमनकारी कार्यवाही और अधिक सुदृढ़ कर दी गयी जिससे समय समय पर अधिकारियों के हतोत्साह होने का संकेत मिलता है। १५ अगस्त को गोवा में राष्ट्र वादियों के आन्दोलन की आशंका से पुर्तगाली अधिकारियों ने इस साल जुलाई से सितम्बर के दौरान बड़े पमाने पर गिरफ्तारी की और लोगों को सताया।

(ख) जी हां। भारत सरकार ने भारत की पुर्तगाली बस्तियों में सैनिक जमाव के समाचार देखे हैं ।

(ग) भारत सरकार स्थिति पर बराबर निगरानी रख रही है और इन बस्तियों को शीघ्र ही स्वाधीन करने के लिये सभी संभव कार्यवाही करने के बारे में विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बेरोजगारों के लिये निधि

†*३९४. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री न० म० देव :
श्री वारियर : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी को रोकने में सहायता देने और संस्थानों के बन्द हो जाने से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये एक निधि की स्थापना करने के प्रस्ताव का सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). प्रस्तावित योजना का ब्योरा तैयार करने के लिये बनायी गयी समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।

नागा विद्रोहियों की गतिविधियां

†*३९५. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री प्र० गं० देव :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुधवार, २० सितम्बर, १०६१ को माओ और कोहिमा के बीच जब कई नागा विद्रोहियों ने दो पेटरोल टैंकरों पर छिप कर आक्रमण किया था तो दो असैनिक ड्राइवरों की मृत्यु हो गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) जी हां ।

२० सितम्बर १९६१ को विस्वेमा और खुजामा के बीच आक्रमण कारियों ने बी० ओ० सी० टैंन्क वेगन के एक ड्राइवर और मजदूर को गोली से मार डाला था ।

(ख) पास की चौकी से सुरक्षा सैनिकों की एक गश्ती टुकड़ी घटनास्थल पर पहुंच गई और आस पास के क्षेत्रों की छानबीन की लेकिन वह अपराधियों का पता नहीं लगा सकी। यह घटना नाँन-काँनवाँय दिवस पर हुई । ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये यह आदेश जारी किये गये हैं कि केवल काँनवाँय-दिवस पर ही गाड़ियां चलेंगी जब कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में समस्याएं

†*३९६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ५ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों में श्रम समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार को शेष राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं : और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां।

(ख) अभी इस विषय पर विचार हो रहा है।

औद्योगिक विवाद

†*३९७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को भारत के नियोजक संघ और अखिल भारतीय औद्योगिक नियोजक संगठन से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि गैर मान्यता प्राप्त संघों द्वारा उठाये गये औद्योगिक विवादों पर सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो प्रार्थना का ब्योरा क्या है और उसके सम्बन्ध में सरकार की प्रक्रिया क्या है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) जी हां, संयुक्त रूप से दोनों संगठनों द्वारा आयोजित विचार गोष्ठी के तौर पर सिफारिश के तौर पर।

(ख) सिफारिश में यह आवश्यकता व्यक्त की गयी थी कि एक यह प्रथा कायम की जाये कि जहां मान्यता प्राप्त संघों और मालिकों के बीच नियोजन की सामान्य शर्तों के बारे में करार किये गये हों वहां गैर मान्यता प्राप्त संघ उनमें रद्दोबदल न करें। यह प्रश्न अक्तूबर १९६१ में भारतीय श्रम सम्मेलन के सामने रखा गया था लेकिन उस सम्मेलन या स्थायी श्रम समिति के भावी अधिवेशन में उस पर और अधिक विचार करने के लिये वह स्थगित कर दिया गया था।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें

†७१०. **श्री पांगरकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गयी कारीगर-प्रशिक्षण योजना के अधीन कितनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें महाराष्ट्र में काम कर रही हैं ;

(ख) उन संस्थाओं में प्रशिक्षार्थियों की वर्तमान संख्या कितनी है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) १९ संस्थायें। वास्तव में इनका प्रशासन राज्य सरकार करती है और ६० प्रतिशत खर्च केन्द्रीय सरकार करती है।

(ख) ३०–९–१९६१ को ३,९९६।

कोयला खानों में घातक दुर्घटनायें

†७११. **श्री पांगरकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९६१ से आज तक कोयला खानों में कितनी घातक दुर्घटनायें हुईं ; और

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में जान-माल की कितनी-कितनी हानि हुई ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) अक्तूबर, १९६१ के आखिर तक ३० ।

(ख) दो दुर्घटनाओं में प्रत्येक में दो-दो आदमी मारे गये और शेष दुर्घटनाओं में प्रत्येक में एक-एक आदमी मारा गया ।

सम्पत्ति की हानि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

पिंजौर में मशीनी औजार परियोजना

†७१२. **श्री चुनीलाल :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिंजौर (पंजाब) में एक मशीनी औजार परियोजना कायम करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितना खर्च किया जायेगा ;

(ग) उस परियोजना की क्षमता कितनी होगी ; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). पंजाब स्थित पिंजौर में सरकारी क्षेत्र में एक मशीनी औजार कारखाना खोलने का निश्चय किया गया है । यह कारखाना स्थापित करने का काम हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, लिमिटेड बंगलोर को सौंपा गया है । अनुमान है कि इस कारखाने की स्थापना पर कुल ७.५ करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा । अनुमान है कि इस कारखाने की वर्तमान क्षमता लगभग १००० मशीनी औजार प्रति वर्ष की होगी और कुछ ही वर्षों में २००० मशीनी औजार के उत्पादन की योजना बनाई जा रही है । आशा है कि लगभग १९६२ के अन्त तक यह कारखाना पूरा बन कर तैयार हो जायेगा ।

यांत्रिक अभियांत्रिकी (मेकैनिकल इंजीनियरिंग)

†७१३. **श्री चुनीलाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा और डिग्री धारियों को विभिन्न मंत्रालयों के अधीन विभिन्न प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षार्थियों के तौर पर भरती करने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है ;

(ख) उनकी भर्ती कब और किसके द्वारा की जाती है ; और

(ग) उनमें से कितने और किस आधार पर भरती किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). विभिन्न उपक्रम विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षार्थियों को जिनके पास उपर्युक्त योग्यता के साथ-साथ आवश्यक योग्यता और अनुभव होता है, समय समय पर भरती करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पंजाब में तिब्बती शरणार्थियों को बसाना

†७१४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने तिब्बती शरणार्थियों को अब तक पंजाब राज्य में बसाया जा चुका ; और

(ख) क्या और अधिक तिब्बती शरणार्थियों को पंजाब में बसाने की कोई योजना है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) पंजाब राज्य में ४,६८३ तिब्बती शरणार्थी हैं जो इस प्रकार बसे हुए हैं :—

१. डलहौजी शिविर	६३०
२. सिमला जिला	१८२
३. कांगड़ा जिला .	६८८
४. लाहौल और स्पिति . .	२,८८३
कुल .	४,६८३

इन में से अधिकतर शरणार्थी सड़क कर्मचारी हैं, करीब ५०० शरणार्थी दस्तकारी प्रशिक्षण केन्द्र, डलहौजी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। लगभग ५०० बच्चे धरमसाला नर्सरी स्कूल और तिब्बती बच्चों के रिहायशी स्कूल, सिमला में बंटे हुए हैं। उन में से किसी को भी किसान के तौर पर नहीं बसाया गया है।

(ख) जी नहीं।

आस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय राष्ट्रजन

†७१५. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के पारपत्रों के अनुलेखन का प्रश्न आस्ट्रेलिया के अधिकारियों के सामने रखा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) जी हां। आस्ट्रेलिया के अधिकारियों के साथ अनौपचारिक चर्चा जारी है।

(ख) अभी तक परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों में श्रमिक प्रोत्साहन योजनायें

†७१६. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक-प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में रिपोर्ट पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). रिपोर्ट पर अभी विचार हो रहा है ।

मुद्रण स्तर में सुधार

†७१७. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ७ अगस्त, १९६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रण के स्तर में सुधार और मितव्ययता बरतने के लिये नियुक्त समिति की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां ।

(ख) काम लागत पद्धति[1] जारी करने संबंधी समिति की सिफारिश सिद्धात रूप में स्वीकार कर ली गई है और प्रयोगात्मक आधार पर भारत सरकार प्रेस, नई दिल्ली में अपनाई जा रही है । मुद्रण नियंत्रक द्वारा छापेखानों की निर्धारित अवधि के बाद जांच, प्रेस मैनेजरों की वार्षिक कान्फ्रेंस और अखिल भारत एवं प्रादेशिक कान्फ्रेंस में विभाग के भाग लेने के सम्बन्ध में जो सिफारिशें हैं वे भी स्वीकार कर ली गई हैं । शेष सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

सरकारी उपक्रमों का प्रशासन

†७१८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री पहाड़िया :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी निगमों और समवायों के प्रशासन के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शा)** : (क) और (ख). जी हां । सरकारी उद्योग उपक्रमों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय बताने वाला विवरण २४ नवम्बर, १९६१ को लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है । प्रत्येक माननीय सदस्य को भी इस की प्रतियां भेज दी गई हैं ।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कागज बनाने का कारखाना

†७१९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १० अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Job Costing System.

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : भारतीय विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित की गई है जो जम्मू तथा काश्मीर राज्य के वनीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण में रूसी विशेषज्ञों को सहयोग देगी। समिति ने सुझाव दिया है कि शरद ऋतु में काश्मीर घाटी में बर्फ गिरने से रूसी विशेषज्ञों के दल को मई-सितम्बर, १९६२ में भारत आने के लिये कहा जाये। अतः रूसी विशेषज्ञों को उसी अवधि में भारत आने के लिये प्रार्थना की गई है।

चाय का उत्पादन

†७२०. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून में एक विशेष चाय बागान को सैन्ट्रल पैट्रोलियम इंस्टीट्यूट स्थापित करने के लिये अधिग्रहण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस से देहरादून क्षेत्र में चाय उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या इस चाय बागान में लगभग चार या पांच लाख चाय के पौधे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसे अधिग्रहण करने के फलस्वरूप कितने मजदूर बेकार होने की संभावना है ;

(ङ) इन मजदूरों को बसाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी हां। एक चाय बागान जो मोखमपुर चाय बागान कहा जाता है अधिग्रहण किया गया है।

(ख) जी नहीं। क्योंकि इस बागान में चाय का औसत उत्पादन १९६० समाप्त होने तक पिछले सात वर्षों में संपूर्ण देहरादून जिले का उत्पादन का केवल ३ प्रतिशत था। फिर यह बताया गया है कि चाय के यह पौधे ७० वर्ष पुराने हैं।

(ग) लगभग ४ लाख पौधे।

(घ) और (ङ). देहरादून चाय उत्पादन ऐसोसिएशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बगीचे में स्थायी श्रमिकों की संख्या ७० है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद्, जिस ने बगीचे का अधिग्रहण किया है, यह प्रयत्न करेगी कि इंस्टीट्यूट के भवन निर्माण में यथासंभव अधिकतम श्रमिकों को काम दिया जाये।

हवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

†७२१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११८१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल में ट्रांसफार्मर्स और स्विच गीयर बाक्सेज के उत्पादन के बारे में आगे और क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : विवरण सन्निहित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

हेवी इलेक्ट्रिकल्स फैक्टरी, भोपाल ३.५ करोड़ रुपये (बिक्री योग्य उत्पादन) का निर्धारित उत्पादन कार्यक्रम अब कार्यान्वित कर रहे हैं जिस में स्विच गीयर, कंट्रोलगीयर, ट्रांसफार्मर इत्यादि सम्मिलित हैं, जो मार्च, १९६२ तक प्राप्त करना है ।

उपरोक्त मदों में उत्पादन की नवीनतम प्रगति नीचे बताई गई है :--

(१) **केवी इन्डोर टाइप आइल सरकिट ब्रेकर्स** — यूनिट्स

(क) ग्राहकों को पहले भेजे जा चुके हैं . . . १२

(ख) नवम्बर, १९६१ के अन्त तक भेजने की आशा है . ४०

(ग) उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर . . . २००

(२) ११ केवी आउटडोर टाइप, ३३ और ६६ केवी आइल सरकिट ब्रेकर्स का उत्पादन भी उत्पादन के विभिन्न स्तरों में है ।

(३) **पावर ट्रांसफार्मर्स** — संख्या

(क) नवम्बर, १९६१ तक भेजने की आशा है . . ६-७

(ख) उत्पादन की उन्नत अवस्था में . . . ३३

(४) आठ औद्योगिक मोटर स्टार्टर्स पहले ही बेच दिये हैं और

(५) पावर फैक्टर करेक्शन के लिये केपेसिटर्स का निर्माण चल रहा है और भोपाल की फैक्टरी में उत्पादित केपेसिटर्स की पहली किश्त दिसम्बर, १९६१ तक रवाना कर देने की आशा है ।

ढले हुये लोहे के सांचों का निर्माण

†७२२. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढले हुए लोहे के सांचे निर्माण करने वाली कलकत्ते की फर्मों ने सरकार के सामने निम्न कठिनाइयां प्रस्तुत की हैं :--

(१) कच्चे लोहे की विशिष्ट किस्म और परिमाण उपलब्ध कराने में विलम्ब ;

(२) कोक और कोयले का कोटा जारी न करना ।

(३) ढले हुए लोहे के सांचों के निर्यात का निम्नतम मूल्य निर्धारण ;

(४) इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन योजना के अधीन आयात की तुलना में आयात की गई वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबन्ध ; और

(ख) यदि हां, तो उन की कठिनाइयां दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) (१) केन्द्रीय सूची में उल्लिखित कलकत्ता स्थित फाउन्डरी में कच्चे लोहे की सप्लाई का काम मंत्रालय का विकास विभाग करता है । राज्य सरकार की सूची में उल्लिखित फाउन्डरी में कच्चे लोहे की आवश्यकता का सम्बन्ध कलकत्ता के उद्योग निदेशक से है । कुछ समय पहले कलकत्ता की केन्द्रीय सूची की फाउन्डरी से कच्चे लोहे की किस्म

†मूल अंग्रेजी में

और परिमाण के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से प्रत्येक मामले की ओर लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता का ध्यान आकर्षित किया गया है क्योंकि वही फाउन्ड्रियों को कच्चे लोहे की सप्लाई करते हैं और उनसे प्रार्थना की गई है कि समुचित मात्रा में और उचित प्रकार का कच्चा लोहा सप्लाई करने की व्यवस्था करें।

(क) (२) कोक और कोयला का आवंटन विकास विभाग द्वारा केन्द्रीय सूची की फाउन्ड्री को किया जाता है। किसी विशेष अवधि के लिये कोटा की प्रार्थना करने वाले और जो इसके लिये सब भांति पात्र हैं उन फाउन्ड्रियों को प्रत्येक तिमाही में कोटा दिया जाता है। किसी भी केन्द्रीय सूची फाउन्ड्री को पात्र होने पर कोक और कोयला का कोटा मना नहीं किया किया गया है।

(क) (३) और (४) और (ख). सरकार रियायती कीमतों पर कच्चा लोहा और इस्पात वस्तुओं के निर्माण के लिये दे रही है। इस बात को निश्चित करने के लिये कि केवल निर्मित वस्तुओं का ही निर्यात कियां जाता है सरकार ने यह निर्धारित कर दिया है कि लो की वस्तुओं की निम्नतम कीमत ४०० रुपये प्रति टन होना चाहिये। उद्योग से प्राप्त कुछ अभ्या-वेदनों के आधार पर और निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये सरकार ने कच्चे लोहे से बनी वस्तुओं के लिये कीमत घटा कर ३५० रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दी है।

इन्जीनियरिंग उद्योग ने प्रायः यह प्रार्थना की है कि विशेष निर्यात संवृद्धि के अधीन आयात किये गये सामान को दूसरों को बेचने की अनुमति दी जाये ताकि इस प्रकार की बिक्री पर होने वाले लाभ से निर्यात के घाटे को पूरा किया जा सके। यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। क्योंकि बिक्री उपबन्ध से निर्यात के घाटे और आयात के लाभ में एक कृत्रिम श्रृंखला उत्पन्न हो जायेगी। इससे एक से दूसरे को सहायता मिलेगी जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दायित्व को ध्यान में रखते हुए आपत्तिजनक होगी।

पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर

७२३. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २३ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१२४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंचकुइयां रोड के इलाके में सरकारी कर्मचारियों के पुराने क्वार्टरों को तोड़ कर नये क्वार्टर बनाने का काम शुरू हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) यह कार्यक्रम देर से देर कब तक शुरू हो जायेगा ; और

(घ) उन क्वार्टरों में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रहने व उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में क्या व्यवस्था की जा रही है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा): (क) से (ग). यह विषय अभी तक विचाराधीन है, पुनर्निर्माण शुरू होने की कोई अवधि नहीं बताई जा सकती।

(घ) जैसा कि २८ फरवरी, १९६१ को लोक-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या ३७४ के उत्तर में स्पष्ट किया गया था, जो क्वार्टर गिराये जायेंगे, उनमें रहने वालों को रामकृष्णपुरम में बन रहे

क्वार्टरों में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में यथाशीघ्र विद्यालयों की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जा रहा है। नियतभागी (अलौटी) पास-पड़ौस की बस्तियों में उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का भी उपयोग कर सकेंगे।

आकाशवाणी के केन्द्र

७२४. { **श्री भक्त दर्शन :**
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के जो ३६ नये केन्द्र स्थापित करने का हाल ही में निश्चय किया गया है, वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जा रहे हैं ;

(ख) उनमें से प्रत्येक के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के कब तक चालू हो जाने की आशा की जाती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). ३६ नये केन्द्र कहां-कहां स्थापित होंगे, उनके संबंध में क्या प्रगति हुई है और उनके पूरा होने की संभावित तिथियां क्या होंगी यह सूचनायें संलग्न विवरण* में दी हुई हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८९।]**

लाओस के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के चेयरमैन पर दक्षिण वियतनाम प्रवेश पर प्रतिबन्ध

†७२५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण वियतनाम सरकार ने लाओस के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के चैयरमेन श्री एस० सेन को इस वर्ष अगस्त में बिना वीसा दक्षिण वीयतनाम में प्रवेश से मना कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं क्योंकि इस से पूर्व कमीशन के सदस्य अपने परिचय पत्र के आधार पर ही हिन्द चीन में जा सकते थे; और

(ग) इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण वीयतनाम सरकार ने नये नियम जारी किये हैं जिनके अनुसार वीयतनाम और लाओस तथा कम्बोडिया में निरीक्षण और नियंत्रण के अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन के अधिकारियों के लिये यह अनिवार्य है कि दक्षिण वीयतनाम में प्रवेश करने और रहने के लिये वीसा प्राप्त करें।

(ग) यह विषय अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन और दक्षिण वीयतनाम सरकार ही परस्पर हल करें। यह मालूम हुआ है कि दोनों दलों के बीच अब विषय सुलझ गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

औद्योगिक उत्पादन प्रविधियों संबंधी उत्पादिता दल

†७२६. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :
श्री प्र० चं० बरुग्रा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् ने औद्योगिक उत्पादन प्रविधियों का अध्ययन करने के लिये दस दल बनाये हैं अथवा अगले वर्ष बनाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दलों का संगठन किस प्रकार का होगा ;

(ग) इन दलों के अध्ययन के विषय क्या होंगे ; और

(घ) वे किन-किन देशों का दौरा करेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) राष्ट्रीय उपादिता परिषद् का १९६२ में प्रविधिक सहायता मिशन के अन्तर्गत ग्यारह उत्पादिता दल बनाने का विचार है।

(ख) इन दलों के संगठन का अंतिम निर्णय राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् द्वारा अधिकाधिक व्यापक क्षेत्र से सुझाव आमंत्रित करने के पश्चात् स्थानीय उत्पादिता परषिदों, केन्द्रीय, राज्य सरकारों और अखिल भारतीय संगठनों, संघों और संस्थाओं को सम्मिलित करके, किया जायेगा।

(ग) ग्यारह विषयों का अंतिम चुनाव निम्नलिखित विषयों में से किया जायेगा :—

(१) अन्त र्ष्ट्रीय व्यापार की प्रविधियां।

(२) चमड़ा उद्योग—रंगाई, चमड़े की वस्तुयें, जूते, खेल कूद का सामान, औद्योगिक चमड़ा और बैल्टिक।

(३) रेडियो और इलेक्ट्रोनिक उद्योग।

(४) खाद्य संरक्षण और डिब्बों में बंद करने का उद्योग।

(५) अलौह धातु उद्योग —रोलिंग एवं प्रोसेसिंग।

(६) केबिल उद्योग।

(७) कांच और चश्मे का उद्योग।

(८) इस्पात पुनवलन उद्योग।

(९) ईंधन और विद्युत् मितव्ययता।

(१०) उद्योगों के टूल्स, जिग्स और फिक्सचर्स।

(११) डाक तथा दूर संचार।

(१२) ऊनी तथा वर्स्टेड उद्योग।

(१३) धातु उद्योगों में औद्योगिक डिजाइन।

(घ) जिन देशों का दौरा किया जायेगा उनका अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सामान्यतः ये दल संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिम यूरोप के कुछ देशों और जापान का, अध्ययन के विषय के अनुसार, दौरा करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता में गन्दी बस्तियों की सफाई

†७२७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २८ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में गन्दी बस्तियों की सफाई के कार्य के लिये दिये गये ३१.४३ लाख रुपये की राज सहायता और ४२.२२ लाख रुपये के ऋण किन निर्दिष्ट परियोजनाओं के लिये थे ;

(ख) संबंधित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किसी अग्रेतर राजसहायता और/अथवा ऋण के लिये प्रार्थना की है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) कलकत्ता में गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये केन्द्रीय सहायता का कितना भाग व्यय किया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें पश्चिम बंगाल में दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में मंजूर की गयी गन्दी बस्तियों की सफाई की परियोजनाओं, जिनके लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में ३१ मार्च, १९६१ तक ३१.४३ लाख रुपये राजसहायता और ४२.२२ लाख रुपये ऋण दिया गया है, का ब्योरा और उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९०]**

(ग) और (घ). एक विवरण, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूर की गयी गंदी बस्तियों सफाई की परियोजनाओं का ब्योरा दिया गया है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या ९१]** इन परियोजनाओं को केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुमोदित लागत का ३७१/२ प्रतिशत राजसहायता के रूप में और अतिरिक्त ३७१/२ प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जा सकता है । अनुमोदित लागत का शेष २५ प्रतिशत राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा अपने निजी संसाधनों से भुगतान किया जाता है ।

(ङ) उपरोक्त विवरणों में सम्मिलित समस्त गन्दी बस्तियों की सफाई की परियोजनायें कलकत्ता नगर में क्रियान्वयन के लिये मंजूर की गई हैं । राज्य सरकार द्वारा इस नगर में कोई गन्दी बस्तियों के सुधार की परियोजना अभी मंजूर नहीं की गई है ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

†७२८. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा अपने प्रादुर्भाव के समय से अब तक कौन कौन सी प्रमुख गवेषणायें परियोजनायें प्रारम्भ की गई हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसी गवेषणाओं के परिणाम जनता को किस प्रकार अधिक व्यापक रूप में उपलब्ध किये गये हैं ;

(ग) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो अभी तक कितनों को प्रशिक्षण दिया गया है ; और

(ङ) क्या उन्हें रोजगार मिल गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ङ). आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९२]**

कपड़ा मिलें

†७२९. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़े की मिलों का आधुनिकीकरण कार्य प्रारम्भ हो गया है ;

(ख) कितने मिलों ने यह कार्य प्रारम्भ किया है ;

(ग) इस कार्य को आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ मिलों द्वारा बताई गई कठिनाइयां क्या हैं ; और

(घ) जिन मिलों ने आधुनिकीकरण कार्य प्रारम्भ कर दिया है उनका कार्य कब तक पूरा होगा ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). कपड़े की मिलों का आधुनिकीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें पुरानी मशीनों को बदलना, कार्यभार का वैज्ञानिकन, नई प्रविधियां अपनाना आदि कार्य करने होते हैं । जिन मिलों ने आधुनिकीकरण कार्य प्रारम्भ किया है उनकी ठीक ठीक संख्या नहीं बताई जा सकती क्यों कि अनेक मिलों द्वारा अपनी स्थिति के अनुसार विभिन्न योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं ।

(ग) मुख्य कठिनाइयां मशीनों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा की कमी और देशी मशीन निर्माताओं द्वारा बतायी गयीं दीर्घकालीन संभरण शर्तें हैं ।

(घ) प्रत्येक मिल के आधुनिकीकरण के लिये आवश्यक अवधि का संकेत करना संभव नहीं है । आधुनिकीकरण कार्य में तेजी लाने के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद् द्वारा आवश्यकतानुसार समस्त वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काजू की गिरी का निर्यात

†७३०. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया के बाजार में काजू की गिरी की बहुत अधिक मांग है ;

(ख) क्या यह सच है कि अफ्रीकी काजू की गिरी का भारत से आस्ट्रेलिया को पुर्ननिर्यात किया जाता है ;

(ग) सरकार उस समय क्या कदम उठायेगी जब कि अफ्रीकी देश काजू की गिरी का आस्ट्रेलिया को सीधे निर्यात करने लगेंगे ; और

(घ) इस समय पुर्ननिर्यात किये जाने वाले अफ्रीकी काजू की गिरी का क्या मूल्य है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) आस्ट्रेलिया में काजू की गिरी की काफी मांग है ।

(ख) पूर्व अफ्रीका से कच्चे काजू आयात किये जाते हैं जिन्हें देशी काजुओं के साथ विभिन्न देशों को, आस्ट्रेलिया को सम्मिलित करके, निर्यात करने के पूर्व भारतीय कारखानों में परिष्कृत किया जाता है ।

(ग) प्रतियोगिता होने पर उसका मुकाबला करने के लिये उपयुक्त कदम उठाना निर्माताओं/निर्यातकों का कार्य है ।

(घ) १९६०–६१ में आस्ट्रेलिया को ६० लाख रुपये की गिरी का निर्यात हुआ था ।

वाणिज्यिक संस्थापनों के कार्य के नए समय

†७३१. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने नई दिल्ली व्यापारी संघ द्वारा प्रस्तुत इन सुझाओं पर विचार कर लिया है कि समस्त खोंचे वालों और फेरी वालों को वाणिज्यिक संस्थापनों और दुकानों के लिये निर्धारित नये समयों के पर्यालोकल के अन्तर्गत लाया जाना चाहिये ;

(ख) प्रशासन द्वारा और किन सुझाओं पर विचार किया गया है ; और

(ग) ऐसे सुझाओं के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) समस्त दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों के लिये एक छुट्टी का दिन ।

(२) कार्य के घंटों का बिजली की लोड-शैडिंग व्यवस्था के अनुसार समायोजन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ड) विभिन्न वर्गों के व्यापारियों के लिये भिन्न भिन्न समय ।

(ग) इन पर नये समय निश्चित करते समय विचार किया गया था ।

लंका में भारतीयों पर कर

†७३२. श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री विभूति मिश्र :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **प्रधान मंत्री** ५ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका में उन व्यक्तियों को अस्थायी निवास कर के भुगतान से छूट देने वाला विधेयक लागू हो गया है जो १० अक्तूबर, १९५४ के पश्चात् भारत के नागरिक रजिस्टर हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय नागरिकों पर लागू होने के सम्बन्ध में उसकी प्रकृति, विस्तार, क्षेत्र और सीमिततायें क्या हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) (क) जी, हां ।

(ख) अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना का निर्दिष्ट खण्ड निम्न प्रकार है :

"कोई भी व्यक्ति जो १० अक्तूबर, १९५४ को लंका में किसी रोजगार में नियोजित था और जो बाद की किसी तारीख को भारत के संविधान के अनुच्छेद ८ के अन्तर्गत भारत का नागरिक रजिस्टर किया गया है, और ऐसे व्यक्ति की पत्नी और प्रत्येक आश्रित बच्चा ।"

वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु लंका की सरकार के प्राक्कलन के अनुसार भारतीय नागरिकों के रूप में रजिस्टर किये गये लगभग एक हजार से दो हजार व्यक्तियों को इस अधिसूचना से इस कर से छूट मिली है । इस उपबन्ध के अन्तर्गत आने वाले अन्य व्यक्तियों को भी छूट दी जायेगी । इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों ने १६ वर्ष की अवस्था नहीं प्राप्त की है उन्हें भी छूट दी जायेगी ।

कलकत्ता के ऊपर रेडियो-सक्रिय धूल

†७३३. श्री मो० ब० ठाकुर :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
डा० सामन्त सिंहार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में कलकत्ता में हुई वर्षा में रेडियो सक्रिय धूल देखी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्योरा क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) : (क) जी हां ।

(ख) ट्राम्बे की अणु शक्ति स्थापना द्वारा किये गये मापांकनों में कलकत्ता वातावरण की रेडियो सक्रियता और बरसात के पानी की रेडियो सक्रियता में वृद्धि मालूम पड़ी है । परन्तु यह वृद्धि देश के अन्य केन्द्रों में दर्ज की गयी वृद्धि से अधिक नहीं है । भारत में सितम्बर, १९६१ से रेडियो सक्रियता का स्तर काफी बढ़ता घटता रहा है और वायु के एक से भी कम माइक्रो-माइको क्यूरी प्रति क्यूबिक मीटर से लेकर २० माइक्रो-माइक्रोक्यूरी प्रति क्यूबिक मीटर तक रहा है ।

(ग) सरकार जनता को पूर्वविधानों के संबंध में सलाह देगी यदि ऐसे पूर्वविधानों की आवश्यकता होगी । फिलहाल की वृद्धि का स्तर लोक स्वास्थ्य के लिये हानिकर नहीं है । इसलिये कोई विशेष कदम उठाने की आवश्यकता नही है ।

ईरान के साथ व्यापार

†७३४. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारा ईरान के साथ व्यापार पिछले दो वर्षों से बहुत गिर गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो पिछले चार वर्षों में ईरान को कुल कितना निर्यात हुआ है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क). एक विवरण, जिसमें पिछले तीन वर्षों के भारत-ईरान व्यापार के आंकड़े दिये हुये हैं, संलग्न है ।

विवरण

(मूल्य करोड़ पयों में)

वर्ष	भारत से निर्यात	भारत में आयात	कुल व्यापार	व्यापार संतुलन
१९५८ . .	५.८	३३.०	३८.८	–२७.२
१९५९ . . .	४.३	३५.५	३९.८	–३१.२
१९६० . . .	४.६	३४.१	३८.७	–२९.५

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) पिछले चार वर्षों में, अर्थात् १९५७ से १९६० तक, भारत से ईरान को २०.८ करोड़ पये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया ।

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में सीमेंट और कागज की लुगदी के कारखाने

†७३५. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में १९६० और १९६१ में अभी तक गैरसरकारी उद्योग क्षेत्र में सीमेन्ट और कागज की लुगदी के कारखानों की स्थापना के लिये कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) वे किन पक्षों को दिये गये हैं और वे कारखाने किन स्थानों में स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) उन में से प्रत्येक में कितनी पूंजी विनियोजित की जायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

लाइसेंस-दार का नाम	औद्योगिक उपक्रम का प्रस्तावित स्थान	पूंजी विनियोजन की अनुमानित राशि जो लाइसेंस के प्रार्थना-पत्र में दी गई है
		(लाख रुपयों में)
कागज की लुगदी का उद्योग		
१. मेसर्स बेडी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, बंगलौर . . .	पानीपत	८००.००
२. जनरल इन्डस्ट्रीज़ कार्पोरेशन, अमृतसर .	अमृतसर	१५.००
३. मेसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल, जलन्धर	चण्डीगढ़	८०.००
४. मेसर्स एवरेस्ट पेपर मार्ट, कलकत्ता .	रोहतक	२६.००
५. मेसर्स कामनवैल्थ स्पिनिंग एण्ड निटिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, लुधियाना .	लुधियाना	१८.००
६. मेसर्स भारत कार्बन एण्ड रिबन मैनूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली .	फरीदाबाद	२५.००
७. मेसर्स ओसवाल पेपर मिल्स, लुधियाना .	चण्डीगढ़	४८.००
८. श्री गिरधारीलाल जगदीशलाल, लुधियाना	चण्डीगढ़	१२.००
९. श्री गोपाल पेपर मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता	स्थान अनिर्णीत	६००.००

सीमेंट उद्योग : अभी तक कोई भी प्रार्थनापत्र नहीं आया है ।

नोट : लाइसेंसदारों द्वारा लुगदी के अतिरिक्त विभिन्न किस्मों का कागज बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

जूट के बोरों का निर्यात

†७३६. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष में इस्तेमाल शुदा जूट के बोरों का व्यापार बहुत गिर गया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में इस वस्तु का प्रमुख आयातक देशों को कितना निर्यात हुआ ;

(ग) व्यापार में इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) स्थिति के सुधार के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमन् । पुराने जूट के थैलों का निर्यात १९६० में ५० टन हुआ जबकि १९५९ में ४८ टन हुआ था ।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होते ।

गुजरात स्थित विस्थापित व्यक्तियों के दावे

†७३७. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री ५ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूलतः रजिस्टर किये गये २३८ दावों में से कितने सरकार द्वारा मूंजूर किये गये और निपटाये गये ;

(ख) क्या सरकार द्वारा कुछ दावों का अन्तिम निर्णय और निस्टारा नहीं किया गया था ;

(ग) क्या भारत सरकार ने दावेदारों द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्य को मान लिया था अथवा अन्यथा ; और

(घ) क्या भारत सरकार ने दावेदारों को यह सूचित किया था कि दावे अधिनियम, १९५० किसी तारीख को खत्म हो गया है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) जो दावे १९५० के दावे अधिनियम के अंतर्गत पेश कि गये थे उन्हें प्रत्येक मामले में पाकिस्तान स्थित संबंधित सम्पत्ति की स्थिति के अनुसार दर्ज किया गया था न कि भारत के उस स्थान के संदर्भ में जहां से दावा किया गया था। इसलिये वांछनीय सूचना देना संभव नहीं है ।

(ख) दावे अधिनियम, १९५० के अन्तर्गत प्रस्तुत दावे के समस्त प्रार्थनापत्र कथित अधिनियम के अन्तर्गत निपटाये गये थे ।

(ग) १९५० के अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत दावों का सत्यापन प्रलेखीय साक्ष्य और विश्वस्त गवाह पेश करने दोनों ही आधारों पर किया गया था ।

(घ) जब १८ मई, १९५० को १९५० का अधिनियम लागू किया गया था तो उसमें यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि वह केवल दो वर्ष की अवधि के लिये लागू रहेगा । उसके पश्चात वह तारीख एक वर्ष के लिये और बढ़ा दी गई थी और वह १७-५-१९५३ को खत्म हुई । संविहित अधिनियम के मामले में अधिनियम की समाप्ति की सूचना लोगों को व्यक्तिगत रूप से नहीं दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटेन को ऊन का निर्यात

†७३८. श्री मो० ब० ठाकुर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री २० अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समय से ब्रिटेन को ऊन के निर्यात में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५७ से अब तक कितना निर्यात हुआ है और उस से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) और (ख). ब्रिटेन को १९५७ से १९६० तक किया गया कच्चा ऊन का निर्यात और उस से अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :

	मात्रा दस लाख पौंडों में	मूल्य लाख रुपयों में
१९५७	१६.४१	४६४
१९५८	१२.९५	३००
१९५९	१३.४४	३३०
१९६०	११.२४	२९१

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्

†७३९. श्री अजित सिंह सरहदी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधिमंडल, जिसने पश्चिम एशियाई और यूरोपीय देशों का दौरा किया था की सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिये क्या सहायता-सुविधायें दी गई हैं ; और

(ख) क्या इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में कोई विशेष वृद्धि हुई है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रतिनिधिमंडल, जिसने यूरोपीय और पश्चिम एशियाई देशों का दौरा किया था, की सिफारिशें ५ सितम्बर, १९६१ को तारांकित प्रश्न संख्या ३३४७ के उत्तर के संबंध में सभा-पटल पर रखी गई थी। यद्यपि ये सिफारिशें मूलतः संबंधित व्यापारियों द्वारा क्रियान्वित किये जाने के लिये हैं, सरकार द्वारा इंजीनियरिंग वस्तुओं के संवर्धन के लिये निम्नलिखित सुविधायें दी गई हैं :

(१) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् को वार्षिक सहायतार्थ अनुदान ।

(२) कच्चे माल और पुर्जों के आयात की सुविधायें ।

(३) रियायती मूल्य पर इस्पात दिया जाना ।

(४) आयात और उत्पादन शुल्कों आदि में छूट ।

(५) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् को अपनी प्रचार योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये विदेशी मुद्रा सुविधायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) निर्माताओं और निर्यातकों को खरीददारों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये विदेश जाने की सुविधा देने के लिये विदेशी मुद्रा की प्रार्थनाओं पर उदारतापूर्ण विचार ।

(७) भारत से संयुक्त अरब गणराज्य, इराक, जोर्डन, युगोस्लाविया आदि को निर्यात के लिये व्यापार करारों में इंजीनियरिंग वस्तुएं सम्मिलित हैं । जब पुराने करारों का पुनरीक्षण किया जाता है अथवा नये करार किये जाते हैं तो भारत से निर्यात की वस्तुओं में इंजीनियरिंग वस्तुओं को सम्मिलित करने का प्रयत्न अवश्य किया जाता है ।

(८) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् ने काहिरा में एक कार्यालय खोला है ।

(ख) इंजीनियरिंग वस्तुओं के पिछले तीन वर्षों के निर्यात के आंकड़े निम्नांकित हैं :

वर्ष	मूल्य
	(करोड़ रुपये)
१९५८ .	४.१०
१९५९ . . .	५.५७
१९६० . . .	८.८९
१९६१ (जनवरी-अगस्त)	६.४१

(सूचना का स्रोत : इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् की 'होम बुलेटिन'।)

चाय का नीलाम बाजार

†७४०. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ८ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम की चाय के लिये राज्य में ही एक नीलाम बाजार बनाने के प्रस्ताव पर इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे बाजार बनाने के पक्ष में है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो , तो निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). असम सरकार ने असम में एक चाय नीलाम बाजार स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई है । १ नवम्बर, १९६१ को हुई अपनी पहली बैठक में समिति ने अपनी रिपोर्ट बनाने के लिये आवश्यक विभिन्न साधनों से जानकारी एकत्र करने का निर्णय किया । इस कार्य के लिये समिति विभिन्न आंकड़े एकत्र कर रही है । राज्य सरकार समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

प्रेस सूचना विभाग

७४१. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस सूचना विभाग (पी० आई० बी०) द्वारा अंग्रेजी के पत्रों को और भारतीय भाषाओं के पत्रों को किस अनुपात से प्रचार सामग्री दी जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश प्रचार सामग्री अंग्रेजी में ही तैयार की जाती है और उसी रूप में वितरित की जाती है ;

(ग) क्या यह सच है कि अंग्रेज़ी के प्रेस सूचना विभाग की प्रचार सामग्री का सब से कम उपयोग करते हैं और भारतीय भाषाओं के पत्र अपेक्षाकृत अधिक उपयोग करते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो अंग्रेज़ी समाचार पत्रों को प्रचार सामग्री भेजने में कमी करने और भारतीय भाषाओं के पत्रों को अधिक प्रचार सामग्री भेजने की व्यवस्था करने की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) १९६० में प्रेस इंफारमेशन ब्यूरो ने अंग्रेज़ी के समाचार पत्रों को १२,९१७ समाचार तथा भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों को १०,९०३ समाचार भेजे ।

(ख) प्रचार सामग्री पहले अंग्रेज़ी में ही तैयार की जाती है, परन्तु ब्यूरो के नई दिल्ली स्थित प्रधानकार्यालय से यह अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा उर्दु में और अन्य प्रादेशिक तथा शाखा कार्यालयों से प्रादेशिक भाषाओं में भेज़ी जाती है ।

(ग) और (घ). विभिन्न समाचार पत्र अलग-अलग भाषाओं में भेज़ी गई सामग्री का उपयोग किस-किस रूप में करते हैं इसका विश्लेषण करना संभव नहीं है ।

प्रकाशन विभाग

७४२. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन विभाग और सभी चार शाखाओं में प्रेस सूचना विभाग की तरह पुस्तकें, लेख, समाचार आदि मूल रूप में अंग्रेज़ी में ही तैयार कराये जाते हैं और बाद में भारतीय भाषाओं में इनका अनुवाद कराया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी व्यवस्था की जा सकती है कि यह सारी सामग्री मूल रूप में राज्य भाषा हिन्दी में ही तैयार की जाय और फिर अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद हो ; और

(ग) क्या यह सच नहीं है कि ऐसा करने से हिन्दी को राजभाषा के रूप में व्यवहार में लाने की दिशा में सुविधा होगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) विषय के स्वरूप, आधार सामग्री की भाषा और लेखक की पृष्ठभूमि और भाषा संबंधी कुशलता की—विशेषकर यदि वह बाहरी लेखक हुआ— ध्यान में रखते हुए पुस्तकें और पुस्तिकायें मूल रूप में अंग्रेज़ी या हिन्दी या अन्य किसी भारतीय भाषा में लिखी जाती हैं। यही प्रकाशन यदि दूसरी भाषा में निकालने हुए तो आवश्यकता के अनुसार उनके अनुवाद की व्यवस्था की जाती है।

प्रेस इन्फारमेशन ब्यूरो के प्रेस रिलीजों के पहले अंग्रज़ी में तैयार किये जाने और बाद में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किये जाने का कारण यह है कि सरकारी विभागों

---

†मूल अंग्रेज़ी में

से प्राप्त मूल सामग्री प्रायः अंग्रेज़ी में होती है और अखिल-भारतीय समाचार-पत्रों की आवश्यकतायें अंग्रेज़ी के माध्यम से ही पूरी होती हैं, साथ ही टेलीप्रिंटरों से उत्पन्न सीमा का भी यान रखना पड़ता है। वे प्रधानतः अंग्रेज़ी में हैं।

(ख) और (ग). कुछ सामग्री मूल रूप में हिन्दी में ही तैयार करने की व्यवस्था हो चुकी है और ऊपर बताई गई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था का विस्तार किया जायेगा।

दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाना

७४३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री कुन्हन :
श्रीमती मैमूना सुलतान :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाने के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या सरकार ने गन्दी बस्तियों की संख्या के आंकड़े तैयार कर लिये हैं और उन्हें हटाने में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या गन्दी बस्तियां हटाने के कार्यक्रम में कुछ गन्दी बस्तियों को प्राथमिकता दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उन बस्तियों के नाम क्या हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) (१) पहले दिल्ली नगर सुधार विभाग (दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) और दिल्ली विकास प्राधिकारी (दिल्ली डैवलपमेंट अथौरिटी) ने १९५७ के अन्त तक दिल्ली के विभिन्न भागों में ३२२५ मकान और ५९ दुकानें बनवाई थीं। ये मकान/दुकानें पहले ही गन्दी बस्तियों में रहने वालों को दी जा चुकी हैं।

(२) इनके अलावा १७०२ मकान [जिनमें सेवा-कार्मिक वर्ग (सर्विस पर्सोनल) के लिये अन्तर्कालीन अस्थायी वासस्थान (ट्रांजिट कैम्प एकोमोडेशन) तथा घर सम्मिलित हैं] और ४६ दुकानों का, जिनको मंजूरी दिल्ली विकास प्राधिकारी (दिल्ली डैवलपमेंट अथौरिटी) ने दी थी, निर्माण, दिल्ली नगर निगम ने अगस्त १९६१ के अन्त तक पूरा किया। इन मकानों/दूकानों का नियतन (अलाटमेंट) गन्दी बस्तियों के निवासी पात्र (एलिजिबल) परिवारों को किया गया है/जा रहा है।

(३) मार्च, १९५९ में गन्दी बस्तियों को हटाने का काम दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित किये जाने के बाद से १६०० मकानों, ४४ दूकानों, २० कार्यालयों, ३६ मछली-दूकानों और माल भरने के लिये ३४०० वर्गफुट क्षेत्रफल के तहखानों को बनाने की मंजूरी दी गई है। इनमें से ४३८ मकान और २४ दूकानें निर्माण की दशा में हैं।

(ख) दिल्ली में सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से बनाई गई झुग्गियों और झोंपड़ियों की गणना दिल्ली प्रशासन ने जून-जुलाई १९६० में की थी। इस गणना से पता

†मूल अंग्रेजी में

चला था कि लगभग ८७ गन्दी बस्तियों के क्षेत्रों में ४३,८५७ परिवार रह रहे थे। इन को हटाने का कार्यक्रम मार्च, १९६४ तक पूरा हो जाने की आशा है।

सरकार ने दिल्ली में गैर-सरकारी भूमि पर बसी गन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में कोई आंकड़े एकत्रित नहीं किये। परन्तु १९५६–५८ में भरत सेवक समाज ने कुछ अन्य सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से पुरानी दिल्ली में गन्दी बस्तियों के निवासियों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया था, जिससे पता चला था कि ६१ बस्तियों और १७२६ कटरों में ४८,५०० परिवार रह रहे थे। इनकी हटाने के लिये कोई समयावली (टाइम शैडयूल) नहीं बनाई गई है।

(ग) और (घ). सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर स्थित गन्दी बस्तियों को झुग्गियों और झोंपड़ियों को हटाने की योजना के अन्तर्गत हटाया जा रहा है। अन्य गन्दी बस्तियों को हटाने का काम निगम 'गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना' के अन्तर्गत कर रहा है।

इस्पात का उत्पादन और वितरण

†७४४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग बोर्ड की कच्चा माल उप-समिति ने सिफारिश की कि इस्पात के उत्पादन और वितरण का प्रबन्ध करने के लिये एक इस्पात बोर्ड स्थापित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). यह रिपोर्ट अभी विचाराधीन है।

आकाशवाणी

७४५. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी से प्रति सप्ताह कितने घंटों तक फिल्मी गाने, भजन, शास्त्रीय संगीत तथा समाचार सुनाये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : प्रति सप्ताह समय की लगभग अवधि इस प्रकार है —

फ़िल्मी गाने	१३७ घंटे	३९ मिनट
भजन	१४३ "	२७ "
शास्त्रीय संगीत	२८२ "	४६ "
वाद्य संगीत	२२४ "	५९ "
समाचार	५३८ "	२५ "

आकाशवाणी के स्पोर्ट कमेन्टेटर

†७४६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रोतागण आकाशवाणी के कुछ खेलों का आंखों देखी हाल बताने वालों (स्पोर्ट कमेन्टेटर्स) को इसलिये पसन्द नहीं करते कि उनकी आवाज अच्छी नहीं है और उन के भाषण में धारा-प्रवाह नहीं है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जनता से कोई शिकायत मिली है ; और

(ग) सरकार इस मामले में क्या कदम उठायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). स्पोर्ट कमेन्टेटरों के लिये आकाशवाणी को श्रोताओं से आलोचना और प्रशंसा दोनों मिलती हैं। अतः यह कहना संभव नहीं है कि श्रोतागण किसी कमेन्टेटर को पसन्द नहीं करते ।

आकाशवाणी–प्रशंसात्मक अथवा आलोचनात्मक दोनों प्रकार की रायों की ध्यानपूर्वक जांच करती है और कमेन्टेरी के रिकार्ड चला कर उनके दोष और अच्छे प्वाइंटों का विश्लेषण करती है । कमेन्टरी में सुधार करने के ख्याल से इन पर सम्बन्धित व्यक्तियों से बातचीत की जाती है।

पटसन का उत्पादन

७४७. { श्री म० ला० द्विवेदी :
{ श्री सं० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में पटसन की मिलों में कितना पटसन देश में प्राप्त किया और कितना विदेश से खरीदा ;

(ख) गत पांच वर्षों में से प्रत्येक में कितना पटसन आयात किया गया और उसकी तुलना में पटसन का कितना प्रतिशत उत्पादन देश में किया गया ;

(ग) इसी अवधि में कितना पटसन पाकिस्तान से आयात किया गया ; और

(घ) पटसन के उत्पादन के बारे में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में कितनी प्रगति हुई और कब तक हमारा देश इस सम्बन्ध में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). एक विवरण साथ में नत्थी है । **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३]** ।

(घ) पटसन और मेस्टा का उत्पादन जो १९४७-४८ की फसल में १६.५८ लाख गांठें था, वह १९६०-६१ में बढ़ कर ५१.७७ लाख गांठें हो गया है। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के बारे में कोई समय की सीमा बता सकना सम्भव नहीं है, किन्तु उत्पादन में काफी वृद्धि करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है ।

उत्पादकता केन्द्र सम्मेलन

†**७४८. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष सितम्बर में हुए आठ एशियाई देशों के उत्पादकता केन्द्र सम्मेलन में किन विषयों पर विचार किया गया और उस में क्या सिफारिशें की गयीं ; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) इस सम्मेलन में भाग लेने वाले आठ एशिया देशों ने, जो एशियाई उत्पादकता संघ, जिसके अधीन नई दिल्ली में यह सम्मेलन किया गया, के सदस्य हैं,

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय उत्पादकता संघ की गतिविधियों, उत्पादकता सूचना कार्यों, उत्पादकता सम्बन्धी विचारों, एशियाई उत्पादकता संघ के कार्यों और प्रादेशिक सहयोग के कार्यक्रम जैसे विषयों पर विचार किया ।

सम्मेलन में एशियाई उत्पादकता संघ के प्रशासकीय निकाय को सदस्य देशों के लाभ के लिये प्रादेशिक आधार पर कुछ कार्यक्रम संगठित करने की सिफारिश की गयी । जिन प्रमुख कार्यक्रमों की सिफारिश की गई, वे ये हैं :

(१) एशियाई उत्पादकता संघ प्रशिक्षकों की प्रशिक्षण संस्था स्थापित करे ।

(२) वह एशिया के उन देशों में जहां ऐसे संघ नहीं हैं, राष्ट्रीय उत्पादकता केन्द्र शीघ्र बनाने के लिये और उन की उन्नति के लिये आवश्यक कदम उठाये ।

(३) यह सदस्य देशों की संघों के उत्पादकता सम्बन्धी प्रकाशनों की एक सूची तैयार करे और सदस्य देशों को उन का अंग्रेजी अनुवाद देने की व्यवस्था करे ।

(४) यह सभी मुख्य प्रशिक्षण और सदस्य देशों के अनुसूचित अन्य उत्पादकता कार्य-क्रमों का हिसाब रखे और संभव सहयोग के लिये उत्पादकता संघों को सूचित करे ।

(५) यह सदस्य देशों में औद्योगिक विकास और जन-शक्ति विकास का सर्वेक्षण करे ।

(६) यह वर्तमान औद्योगिक संयंत्रों के का`करण और अन्य आंकड़े इकट्ठे करे और आपसी तुलना के लिये मार्गोपाय बताये ।

(७) यह एशियाई देशों में अनुसंधान की सुविधाओं का पता लगाये ।

(८) यह सदस्य देशों को भेजने के लिये विशेषज्ञों का एक दल बनाये जो उनको इस पर राय देंगे :

(१) प्रबन्ध योग्यता और उत्पादन के तरीकों में सुधार ;

(२) उद्योगों का विकास ।

(ख) क्योंकि सम्मेलन ने एशियाई उत्पादकता संघ की प्रशासनीय निकाय को सिफारिशें की हैं, सरकार द्वारा उन पर कोई निर्णय किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । तथापि सरकार पूरा सहयोग देगी ।

राष्ट्रीय आय समिति

†७४९. { श्री वामानी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय आय के बारे में परामर्श देने के लिये एक नई समिति बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन कौन हैं ;

(ग) क्या इस की पहली बैठक हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सत्र में क्या मुख्य सिफारिशें की गयीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां । २६ सितम्बर, १९६१ को एक नई समिति बनाई गई थी ।

(ख) नयी समिति का ग न निम्न प्रकार है :

(१)	केन्द्रीय सांख्यकीय संस्था के डायरेक्टर .	पदेन सभापति
(२)	डा० आई० जी० पटेल (वित्त मंत्रालय)	सदस्य
(३)	डा० के० एन० राज (दिल्ली स्कूल आफ़ इकानामिक्स, दिल्ली)	सदस्य
(४)	प्रो० एम० मुकर्जी (भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता)	सदस्य
(५)	प्रो० वी० एम० दण्डेकर (गोखले इन्स्टीच्यूट आफ़ पालिटिक्स एण्ड इकानामिक्स, पूना) . . .	सदस्य
(६)	डा० एन० एस० आर० शास्त्री (रिज़र्व बैंक आफ इंडिया, बम्बई)	सदस्य
(७)	श्री पी० एन० धर (इन्स्टीच्यूट आफ़ इकानोमिक ग्रोथ, दिल्ली)	सदस्य
(८)	श्री एम० वी० दिवाटिया (नेशनल काउंसिल आफ़ एप्लाईड इकानोमिक रिसर्च, नई दिल्ली) . . .	सदस्य
(९)	आफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (नेशनल इनकल), सेन्ट्रल स्टेटिस्टीकल आर्गेनाइज़ेशन, नई दिल्ली . .	कन्वीनर

(ग) जी, नहीं । प्रथम बै क १९ दिसम्बर, १९६१ को होने वाली है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कांगड़ा जिला में सीमेंट का कारखाना

†७५०. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला जिला में एक सीमेन्ट का कारखाना लगाने के लिये जिस को लाइसेन्स दिया गया है, उसका क्या नाम है ;

(ख) कारखाने की क्षमता कितनी है ;

(ग) क्या यह विदेशी सहयोग से बनेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इसमें कितनी विदेशी मुद्रा ग्रस्त है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). ऐसा कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है ।

डिप्लोमेटिक एन्क्लेव

†७५१. **श्री खीमजी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिप्लोमेटिक एन्क्लेव में प्लाटों के पट्टे की शर्तों में यह व्यवस्था है कि मकान एक निर्धारित अवधि के भीतर बनाये जायेंगे, और यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह शर्त सभी प्लाट होल्डरों ने मानी है और यदि नहीं, तो दोषी व्यक्तियों की क्या संख्या है ; और

(ग) किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां। इन प्लाटों के खरीदारों को २४ पत्री महीनों के भीतर निर्माण-कार्य पूरा करना है।

(ख) जी, नहीं। दोषियों की संख्या ६१ है।

(ग) दोषी व्यक्तियों को इमारत का निर्माण पूरा करने की अवधि १४ जुलाई, १९५८ तक बढ़ा दी गयी थी। देर से निर्माण करने के लिये प्रीमियम का ५ प्रतिशत दण्ड के रूप में दे कर यह अवधि १४ जनवरी, १९६० तक बढ़ा दी गयी थी। १४ जनवरी, १९६० के बाद निर्माण के लिये अवधि ५ प्रति शत प्रति वर्ष या इसके भाग के लिये का जुर्माना दे कर प्रति वर्ष बढ़ाई जा रही है।

बीड़ियों का निर्यात

†७५२. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिणपूर्व एशियाई देशों को 'बीड़ी' के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). दक्षिण–पूर्व एशिया में भारतीय बीडी की प्रमुख मंडियां श्रीलंका, सिंगापुर और मलाया हैं। बीडी का हमारा निर्यात इस पर है क्योंकि सिंगापुर जैसे स्थानों में सस्ती सिगरेट का उत्पादन और खपत है और श्रीलंका जैसे देश में बीड़ी का उत्पादन वृद्धि पर है। यद्यपि इन मंडियों में भारतीय बीडी की आशा कम ही है, निर्यात बनाये रखने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। हाल ही में श्रीलंका के साथ हस्ताक्षर किये गये व्यापार करार से उस देश को बीड़ी के निर्यात में कठिनाइयों के कुछ हद तक दूर होने की संभावना है।

जूतों का निर्यात

†७५३. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूतों के निर्यात की संभावना में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिसमें वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ की स्थिति के बारे में बताया गया हो ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). विदेशों में भारतीय जूते की काफी मांग है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जूतों के निर्यात के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	मात्रा	मूल्य
	लाख जोड़े	लाख रुपये
१९५९–६० . . .	५४.४३	२९५
१९६०–६१ . . .	४९.००	३०९

पटसन का मूल्य

†७५४. **श्री महन्ती :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा के पटसन-उत्पादकों की इस शिकायत का पता है कि उनको अपने उत्पादन का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है और अधिक उत्पादन के लिये प्रोत्साहन का अभाव है ; और

(ख) यदि हां, तो पटसन-उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ।

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) उड़ीसा में पटसन-उत्पादकों से कोई विशेष अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि सभी पटसन-उत्पादकों ही में सामान्य रूप से असंतोष है ।

(ख) मूल्य स्थिर करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये उद्योग द्वारा शीघ्र ही एक बृहत स्टाक एजन्सी स्थापित किये जाने की आशा है ।

संयुक्त स्कन्ध समवाय

†७५५. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० सितम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाले चालू पत्री वर्ष में बिहार राज्य में कितने संयुक्त स्कन्ध समवाय स्थापित किये गये हैं ;

(ख) समवाय और समवायों की अधिकृत पूंजी की कुल राशि कितनी है ; और

(ग) उत्तर बिहार के जिले में स्थापित समवायों की क्या संख्या व नाम हैं और उनकी अधिकृत पूंजी कितनी है और वे किस प्रकार के उद्योग हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) आठ ।

(ख) ९३.५ लाख रुपये ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

समवाय का नाम जिनके रजिस्टर्ड कार्यालय उत्तर बिहार में हैं	अधिकृत पूंजी	उद्योगों की किस्म
	(हजारों में)	
१. रामाश्रय नगर उद्योग केन्द्र प्राइवेट लिमिटेड	१०,०००	उद्योगों और सम्पदाओं आदि के स्वामी, मालिक, पट्टे-धारी, ठेकेदारों एजेन्टों और मैनेजरों के रूप में व्यवसाय करना ।
२. त्रिहुट फाइनेन्सिग कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	२५०	साहूकारा, वित्त पोषक और वित्त दलालों आदि का व्यापार करना ।

कारों और ट्रकों का निर्माण

†७५६. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने एककों को कार और ट्रक बनाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) कारों और ट्रकों के निर्माण के लिये प्रत्येक एकक की क्या क्षमता है ;

(ग) विभिन्न एककों के और मेक के कारों और ट्रकों में कितने प्रतिशत पुर्जे देशी हैं ;

(घ) ३० दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाले पिछले पांच वर्षों में विभिन्न एककों द्वारा कुल कितनी कारें और ट्रक बनाये गये ; और

(ङ) देश में कारों और ट्रकों की मांग और संभरण में क्या अन्तर है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ङ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९४ ।**]

केंद्रीय सूचना सेवा

†७५७. **सरदार अ० सिं० सहगल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कर्मचारियों की श्रेणी और वेतन-स्तर क्या था जिनमें से केन्द्रीय सूचना सेवा की तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के लिये प्रारम्भिक पदाली बनायी गयी ;

(ख) केन्द्रीय सूचना सेवा बनाये जाने से पहले प्रत्येक श्रेणी के लिये भर्ती करने और नियुक्ति का अधिकार किस को था ;

(ग) जब प्रथमतः नियुक्तियां की गयीं, तो इन श्रेणियों के लिये शिक्षा अर्हता और अनुभव कितना अपेक्षित था ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या अभी तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय सूचना सेवा की निम्नतम पदाली में भर्ती के लिये कोई परीक्षा की गयी है और यदि उत्तर नकारात्मक है, तो यह परीक्षा कब की जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) से (ग). केन्द्रीय सूचना सेवा का उद्देश्य उन सभी पदाधिकारियों को इकट्ठा रखना है जो विभिन्न श्रेणियों में और विभिन्न वेतन-स्तर पर कई एककों में बंटे हुए थे। ऐसे एककों और श्रेणियों की संख्या बहुत अधिक है और माननीय सदस्य द्वारा मांगी गयी सभी जानकारी के परिचालन में बहुत समय और श्रम लगेगा।

यह जानकारी माननीय सदस्य को, जब भी वह चाहें, दी जा सकती है।

(घ) केन्द्रीय सूचना सेवा की चतुर्थ श्रेणी में पदों की भर्ती के लिये, जो सेवा बनाये जाने के समय से खाली पड़े हैं, केन्द्रीय सूचना सेवा नियम, १९५९ के नियम ५(३) के अधीन संघ लोक सेवा आयोग से कहा गया है और आयोग यथा समय परीक्षा आयोजित करेगा।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन

†७५८. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में पुनर्गठन के नये तरीके अपनाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु) :** (क) और (ख). मंत्रालय में एक विशेष पुनर्गठन समिति द्वारा चालू कार्य का हाल ही में पुनर्विलोकन किये जाने के आधार पर मंत्रालय में राजनीतिक कार्य को छः प्रादेशिक डिवीजनों में बांटने के प्रस्ताव किये गये हैं जिसके फलस्वरूप प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं। विदेशी सम्बन्धों के बारे में आर्थिक नीतियों पर भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये आर्थिक और समन्वय (इकानामिक एंड को-आर्डिनेशन) नामक एक नया डिवीजन स्थापित किया गया है।

पुनर्गठन के और तरीके विचाराधीन हैं।

बर्मा का औद्योगिक मिशन

†७५९. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा के एक औद्योगिक मिशन ने अक्तूबर, १९६१ में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके मिशन का क्या उद्देश्य था और क्या आपसी व्यापार के बारे में कोई वार्ता हुई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी, हां ।

(ख) बर्मा के औद्योगिक मिशन का उद्देश्य कुटीर उद्योगों, छोटे पैमाने के उद्योगों और औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिये भारत में किये गये कार्य का अध्ययन करना था। मिशन ने दोनों देशों के बीच व्यापार के बारे में बातचीत नहीं की ।

मिकिर पहाड़ी के शरणार्थियों का पुनर्वास

†७६०. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में मिकिर पहाड़ी के शरणार्थियों के पुनर्वास में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). विस्थापित व्यक्ति माने गये १८८४ परिवारों में से ६८५ परिवार निम्नलिखित स्थानों में बस गये हैं :—

(१) मिकिर पहाड़ी जिला .	४५० परिवार
(२) नौगांव जिला में कूली कूसी	२० परिवार
(३) नौगांव जिला में जोराबाड़ी	९० परिवार
(४) नौगांव जिला में टीटाजूली	३५ परिवार
(५) अन्य जिलों में . . .	९० परिवार
कुल . .	६८५ परिवार

नौगांव जिले में बारयानी में १०० परिवार और शिवसागर जिले में लैहेकुजन में ६० परिवार बसाये जाने हैं। बाकी १०३९ परिवारों को जमना मोंदिग रिजर्व के आस पास बसाया जायेगा ।

दिल्ली में गन्दी बतिस्यों को हटाना

†७६१. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्दी बतिस्यों को शीघ्र हटाने और सुधार कार्य में शीघ्रता के लिये मार्गोपाय बताने के लिये प्रधान मंत्री द्वारा बनाई गयी समिति की सिफारिशों की इस बीच जांच कर ली गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है जिसमें समिति की सिफारिशों और उन सिफारिशों पर विभिन्न प्राधिकारों द्वारा की गयी कार्यवाही है । [देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९५] ।

†मूल अंग्रेज़ी में

उर्वरकों का उत्पादन

†७६२. { श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच तरल अमोनिया से भारत में उर्वरक बनाने की एक अमरीकी फर्म से प्राप्त पुनरीक्षित प्रस्तावों पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) और (ख). यह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह फर्म अमोनिया के आयात के लिये अपेक्षित बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा को पूरा करने के लिये कोई कार्यगत योजना नहीं सुझा सकी ।

ऊन के आयात के लिये लाइसेंस

†७६३. **श्री चुनी लाल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊन के लच्छों के लिये आयात लाइसेंसों में कटौती की है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत कटौती की है और उसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दो कमरों वाले क्वार्टर

†७६४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ८ सितम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दो कमरों वाले क्वार्टर बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निर्णय है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख). चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये दो कमरों वाले क्वार्टर बनाने के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

सरकारी क्वार्टरों का किराया

†७६५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ११ अगस्त,

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली नगर को 'क' श्रेणी का नगर मानने से पहिले सरकारी कर्मचारियों से श्रेणीवार प्रति वर्ष सरकारी क्वार्टरों का जो किराया लिया जाता था उसकी अपेक्षा अब कितना अधिक किराया लिया जायेगा ; और

(ख) नगर को ऊंची श्रेणी का मानने के कारण प्रत्येक श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को कुल कितना अधिक भत्ता प्रतिवर्ष देना होगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) दिल्ली को 'क' श्रेणी का नगर मानने के कारण सरकारी क्वार्टरों के किराये के आधार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । नगर भत्ता में वृद्धि होने के कारण और क्योंकि किराया लेने के लिए इसे "उपलब्धि" माना जाता है, कुछ क्वार्टर वालों को जिनका वेतन १५० प्रति मास से कम है अपने बढ़े हुए नगर भत्ते का ७½ प्रतिशत और अन्य व्यक्तियों को वृद्धि का १० प्रतिशत पहिले की अपेक्षा अधिक देना पड़ता है । परन्तु जो क्वार्टर वाले निश्चित किराया दे रहे हैं (यथास्थिति उपलब्धि का ७½ प्रतिशत या १० प्रतिशत से कम होने पर), उनसे कोई और अधिक किराया नहीं लिया जायेगा ।

(ख) दिल्ली को 'क' श्रेणी का नगर बनाने से केवल मकान भत्ता और नगर भत्ता पर प्रभाव पड़ा है । दिल्ली के 'क' श्रेणी के नगर बनने से पहिले और बाद की इन भत्तों की दरें संलग्न विवरण में दिखाई गई हैं। **[देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९६]** ।

मद्रास राज्य में उर्वरक कारखाना

†७६६. { **श्री कुन्हन :**
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में टूटीकोरिन में एक उर्वरक कारखाना बनाने का लाइसेंस दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग-उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) टूटीकोरिन में एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए मद्रास के मैसर्स कोठारी एण्ड संस को लाइसेंस दे दिया गया है ।

(ख) कारखाना दो प्रक्रम में तैयार होगा । प्रथम प्रक्रम के पूरा होने पर कारखाने में प्रतिवर्ष १९८,००० टन अमोनियम फास्फोट का उत्पादन होगा । दूसरे प्रक्रम में इस क्षमता को बढ़ा कर दुगना कर दिया जायेगा ।

क्वार्टरों का दिया जाना

७६७. श्री बजराज मशोक : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत-से ऊंची श्रेणी के आवास प्राप्त करने के लिए पात्र

†मूल अंग्रेजी में

पदाधिकारियों को आउट आफ टर्न ऐसे क्वार्टर दिये गये हैं जो कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बनाए गये थे ;

(ख) इस प्रकार के क्वार्टरों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ग) उच्च श्रेणी के इन पदाधिकारियों से इन क्वार्टरों का किराया किस हिसाब से लिया जाता है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). क्वार्टरों का नियतन (अलाटमेंट) किसी पदाधिकारी की सेवा की श्रेणी के अनुसार नहीं किया जाता, बल्कि उसके द्वारा ली जा रही परिलब्धि (ऐमोल्यूमेंट्स) और उसकी 'अग्रता-तिथि' के अनुसार किया जाता है । इसलिए किसी विशिष्ट "सेवा-श्रेणी" के पदाधिकारियों को दिये गये क्वार्टरों की संख्या के बारे में जानकारी सुप्राप्य नहीं है । परन्तु यह तथ्य है कि बारी के बिना नियतन साधारणतया निवासस्थान की उस श्रेणी से एक या दो श्रेणी नीचे किया जाता है, जिसे पाने का वह पदाधिकारी सामान्यतया हकदार है ।

(ग) नियमानुसार किराया परिलब्धि के १० प्रतिशत (१५० रुपये प्रति मास से कम पाने वाले पदाधिकारियों के मामले में ७½ प्रतिशत) की दर से या ऐफ० आर०–४५ ए के अधीन मानक किराया, दोनों में से जो भी कम हो, लिया जाता है ।

केरल का औद्योगिक विकास

†७६८. **श्री अ० क० गोपालन : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य में स्थापित होने वाले सरकारी क्षेत्र के कारखानों के नाम क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक उद्योग के लिये कुल कितना धन आवंटित किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) तथा (ख). केरल राज्य में स्थापित होने वाली केन्द्रीय सरकार की परियोजनायें और उन के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में किये गये आवंटन निम्न हैं :—

		रु० (करोड़)
१.	द्वितीय जहाज कारखाना . . .	२०.०० (प्राक्कलित)
२.	"फैक्ट" का विस्तार . . .	८.०० तदेव
३.	फिकाइटो रसायन संयंत्र	६.३० (लगभग)
४.	शुद्धमाप यंत्र परियोजना	६.०० (लगभग)

†मूल अंग्रेजी में

सोडियम हाइड्रोसल्फेट

†७६९. **श्री कोडियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने त्रावंकुर-कोचीन केमिकल्स लि०, आल्वे को सोडियम हाइड्रोसल्फेट के उत्पादन की अपनी विद्यमान क्षमता बढ़ाने के लिए लाइसेन्स दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि के लिए लाइसेन्स दिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान्। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत मैसर्स त्रावंकुर-कोचीन केमिकल्स लि० को सोडियम हाइड्रोसल्फेट का उत्पादन प्रति वर्ष ९०० से बढ़ा कर ३००० टन करने के लिए २८ सितम्बर, १९६१ को लाइसेन्स दे दिया गया है ।

ईराक में भारतीय चाय का प्रचार

†७७०. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बगदाद में भारतीय राजदूत ने भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि ईराक में भारतीय चाय का कोई प्रचार नहीं होता ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). सरकार ईराक में भारतीय चाय का प्रचार बढ़ाने पर कुछ समय से ध्यान दे रही है । ईराक को भारतीय चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड ने ईराक में चाय के प्रमुख आयातकर्ताओं के एक प्रतिनिधि-मंडल को भारत आने के लिए आमंत्रित किया है। उसके आने का उद्देश्य यह होगा कि वह उन सुविधाओं का अध्ययन करे जो भारत इराक को जहाजों द्वारा चाय भेजने के मामले में दे सकता है । भारत और ईराक के बीच हुए व्यापार करार में ईराक में भारतीय चाय का आयात बढ़ाने की सुविधायें देने का उपबन्ध है।

अशोक होटल, नई दिल्ली

†७७१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ३१ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अशोक होटल चलाने के अधिक व्यय के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) व्यय को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) से (ग). होटल में

†मूल अंग्रेजी में

प्रयोगकर्ताओं को संख्या बढ़ने के साथ ही संचालन व्यय में वृद्धि होती है, जैसा कि निम्नलिखित उल्लेख है :—

	१९५८–५९ (६ मास)	१९५९–६०	१९६०–६१
	लाख रु०	लाख रु०	लाख रु०
१. आय	३८.९४	७५.३६	९०.८३
२. संचालन व्यय	२६.५७	४३.९२	४५.४९
३. दैनिक औसत कमरा प्रयुक्त संख्या रात्रि भर के अतिथि	२९०	३५०	३४६

विदित होगा कि १९६०–६१ में संचालन व्यय पिछले वर्ष की अपेक्षा ३.५ प्रतिशत बढ़ गया था जब कि आय में २०.५ प्रतिशत वृद्धि हुई थी। प्रबन्ध होटल के संचालन व्यय को निरन्तर जांच करता रहता है और होटल में सेवा कुशलता को कम किये बिना जहां भी संभव होता है बचत करता है।

पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग

†७७२. { **सरदार इकबाल सिंह :**
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों के लिए कितने छोटे पैमाने के उद्योग खोले गये ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). १९६०–६१ में पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों के लिए कोई छोटे पैमाने का नया उद्योग नहीं खोला गया।

'बाल' तथा 'रोलर बीयरिंग' परियोजना

†७७३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६२८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच रूसी सहायता से 'बाल' तथा 'रोलर बीयरिंग' परियोजना स्थापित के बारे में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) तथा (ख). रूसी सहायता से 'बाल' तथा "रोलर बीयरिंग' परियोजना स्थापित करने पर अब भी विचार किया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

दुर्गापुर में उर्वरक कारखाना

†७७४. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दुर्गापुर में एक उर्वरक कारखाना बनाने और चलाने के बारे में कोई करार हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो करार के पद क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कलकत्ते में जस्ता पिघलाने का कारखाना

†७७५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में जस्ता पिघलाने का कारखाना स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) कारखाने को चालू करने में कितना समय लगेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख): योजना का अंतिम ब्योर पार्टी से अभी नहीं मिला है ।

जूट उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट

†७७६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ५ सितम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२१२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जूट उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड की अंतिम रिपोर्ट मिल गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस में क्या क्या सिफारिशें हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

रेडियो बनाने वाले एकक

†७७७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भारत में रेडियो बनाने वाले कितने एकक हैं तथा उनकी क्षमता कितनी है ;

(ख) क्या सरकार रेडियो बनाने वाले एकक की और अधिक वृद्धि रोकना आवश्यक समझती है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग): एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेडियो बनाने वाले एककों के नाम और उन में से प्रत्येक की क्षमता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६-क**] । विदेशी मुद्रा की कठिनाई होने के कारण आज कल बड़े पैमाने के उद्योग-क्षेत्र में किसी भी नये एकक को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है । फिर भी, रेडियो बनाने वालों को अनुमति दी गई है कि वे कच्चे माल व पुर्जों के लिए स्वयं के लिए किये गये विदेशी मुद्रा के आवंटन और अपनी विद्यमान निर्माण सुविधाओं के अन्तर्गत रहते हुए अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

बड़े पैमाने के उद्योग -क्षेत्र में नये एककों की स्थापना की अनुमति न देने की नीति छोटे पैमाने के उद्योगों पर लागू नहीं होती है । विभिन्न राज्यों के उद्योग निदेशक कुछ छोटे पैमाने के एककों की स्थापना को प्रोत्साहन दे रहे हैं । विभिन्न राज्यों में छोटे पैमाने के उद्योग-क्षेत्र में चल रहे रेडियो बनाने वाले एककों की ठीक संख्या संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

†७७८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लोक प्रशासन संस्था ने इस बीच सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अपना वह अध्ययन समाप्त कर दिया है जो यह पता चलाने के लिए आरम्भ किया गया था कि वहां से कर्मचारियों के छोड़ कर जाने के लिए वेतन-क्रमों तथा सेवा की अन्य सुविधायें कहां तक उत्तर-दायी हैं; और

(ख) यदि हां, उस में मुख्य मुख्य खोजें क्या हैं?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) तथा (ख). अभी नहीं श्रीमान् । आशा है कि यह इस वर्ष के अन्त तक या आगामी वर्ष के आरम्भ में समाप्त होगा।

अमरीका को हथकरघे के कपड़े का निर्यात

†७७९. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका को हथकरघे के कपड़े के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या मद्रास से किसी विशेष किस्म के कपड़े का भी निर्यात हो रहा है?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) "ब्लीडिंग मद्रास" नामक किस्म का कपड़ा भी मद्रास से अमरीका भेजा जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में रेडियो- रिले केन्द्र

†७८१. **श्री बांगशी ठाकुर**: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में एक रेडियो-रिले स्टेशन बनाने में कितना समय लगेगा ;

(ख) क्या इस के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत और आवंटित हो गई है ; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री केसकर)** : (क) त्रिपुरा में अगरतला में रिले-प्रसारण यंत्र संभवत: १९६२–६३ में काम करने लगेगा ।

(ख) चालू और आगामी वित्तीय वर्षों के आय-व्ययक में आवश्यक उपबन्ध किये गये हैं। राशि की स्वीकृति और आवंटन प्राक्कलनों तथा कार्य की आवश्यकता व प्रगति के अनुसार किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां

†७८२. **श्री बलराज मधोक** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बसे पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए अब एक बस्ती बनाई जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य-पाकिस्तान के अधिकृत क्षेत्रों के वे व्यक्ति जो दिल्ली में बस गये हैं मांग कर रहे हैं कि उन के लिये भी एक अलग बस्ती बनाई जायें; और

(ग) यदि हां, तो इस वास्तविक मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) हां।

(ख) प्रतीत होता है कि हाल में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं मिली है । जम्मू तथा काश्मीर के प्रव्रजकों के साथ दिल्ली में मकान / दुकान देने में वही व्यवहार किया गया है जैसा कि पश्चिमी पाकिस्तान के किसी भी विस्थापित व्यक्ति के साथ किया गया है । उन में से अनेक व्यक्तियों के पास सरकार द्वारा बनाये गये और निष्क्रान्त मकान व दुकान आदि हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लाजपत नगर, नई दिल्ली के क्वार्टर

†७८३. **श्री बलराज मधोक** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाजपत नगर क्षेत्र में एक ही किस्म के दो मंजिले क्वार्टरों के लिए विभिन्न मूल्य लिए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) तथा (ख). आज लाजपत नगर क्षेत्र में बने दो मंजिले क्वार्टरों की संख्या बहुत बड़ी है । वे विभिन्न समय पर बनाये गये थे और उनकी लागत भी भिन्न भिन्न है । यदि किसी विशेष ब्लाक के बारे में जानकारी चाहिये, तो वह दी जा सकती है ।

लाजपत नगर, नई दिल्ली में 'सी' टाइप क्वार्टर

†७८४. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाजपतनगर में 'सी' टाइप के क्वार्टरों के बयनामे में उन्हें दो कमरे और रसोई वाले 'ए' टाइप का बताया गया है जब कि वे वास्तव में एक कमरे के छोटे मकान हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि क्वार्टर वालों के प्रार्थना करने पर भी बयनामे ठीक नहीं किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) लाजपत नगर में "सी" टाइप के क्वार्टरों में एक कमरा और 'ए' टाइप के क्वार्टरों में दो कमरे हैं । 'ए' टाइप के क्वार्टरों के बयनामों के फार्म 'सी' टाइप के क्वार्टरों के फार्म से पहिले निश्चित किये गये थे । 'सी' टाइप के क्वार्टरों के कुछ खरीदार अपना बयनामा शीघ्र कराने के लिये बड़े उत्सुक थे । उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिये 'ए' टाइप के क्वार्टरों के लिये निश्चित फार्म कुछ व्यक्तियों के मामलों में प्रयोग किये गये । संभव है कि इस फार्म के शीर्ष में प्रयुक्त शब्द "दो कमरे के क्वार्टर" कुछ फार्मों में न काटे गये हों । परन्तु सम्पत्ति का विवरण सदैव ही बयनामे के साथ संलग्न अनुसूची में दिया जाता है ।

(ख) नहीं । यदि गलती के बारे में बताया जाता तो ठीक कर दी जाती ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पूर्वी जर्मनी में लिपजिग मेला

†७८५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ४ से १३ मार्च, १९६२ तक पूर्वी जर्मनी में होने वाले लिपजिग मेले में क्या भारत भाग ले रहा है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) : हां, श्रीमान् ।

चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति

†७८६. { **श्री अगाड़ी** :
श्री बासप्पा : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूरों के वेतन-क्रमों तथा श्रेणियों सम्बन्धी केन्द्रीय चीनी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को मैसूर राज्य के बेलारी जिले में इण्डिया सुगर्स एण्ड रिफाइनरीज लि०, हास्पेट और क्वापरेटिव सुगर मिल्स, काम्पलिम बेलारी जिला और रायचर जिले में सालार जंग सुगर मिल्स, मुनीराबाद ने पूरी तरह लागू कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उपरोक्त कारखानों के मजदूर संघों ने कार्यान्विति स्वीकार करली है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) से (ग). सूचना मिली है कि पक्षों में बातचीत हो रही है। राज्य सरकार इस मामले में कार्यवाही कर रही है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के मूल्य

†७८७. **श्री कालिका सिंह**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, बंगलोर में बनी घड़ियों के मूल्य उसी किस्म की आयात की गई घड़ियों के विक्रय-मूल्य की अपेक्षा कम है या अधिक है ;

(ख) वहां बनने वाली घड़ियों के विभिन्न नमूने व नाम क्या क्या हैं; और

(ग) वर्ष में घड़ी परियोजना से कम्पनी को कितना लाभ होने की आशा है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) आजकल बहुत ही थोड़ी घड़ियों का आयात होता है। अतः मूल्यों में तुलना नहीं की जा सकती।

(ख) आरम्भ में निम्नलिखित तीन प्रकार की घड़ियां बनाई जायेंगी :

पुरुष :

'एच एम टी सिटीजन'—गोल्ड प्लेटेड

'एच एम टी जनता'—स्टेनलेस स्टील

महिला :

'एच एम टी सुजाता'—गोल्ड प्लेटेड

(ग) इसका पता अभी नहीं लगाया जा सकता कि वर्ष में कम्पनी को घड़ी परियोजना से कितना लाभ होगा।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाएं

†७८८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की तीसरी पंचवर्षीय योजना में अन्तिम रूप से स्वीकार की गई औद्योगिक परियोजनाएं कहां कहां स्थापित होंगी और उन पर कितना व्यय होगा ;

(ख) उपरोक्त परियोजनाओं में से कौन-कौन सरकारी क्षेत्र में और कौन-कौन गैर-सरकारी क्षेत्र में है ;

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये अर्थ-व्यवस्था की क्या योजना है और यदि उनके लिये कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया जायेगा तो वह क्या होगा; और

(घ) योजना-काल में कौन-कौन परियोजनायें पूरी होंगी और कौन-कौन चौथी योजना में जारी रहेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६७]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कोयला खनन उद्योग में मजूरी का पुनरीक्षण

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) : मैं नियम १९७ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और यह प्रार्थना करती हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"कोयला खान पर औद्योगिक समिति के आठवें सत्र में कोयला खनन उद्योग में मजूरी के पुनरीक्षण के बारे में मंत्री जी द्वारा की गई अपील तथा उसका क्या परिणाम निकला"

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : कोयला खनन की औद्योगिक समिति के पिछले सत्र में समिति ने मेरा यह अनुरोध स्वीकार कर लिया था कि कोयला खनन उद्योग में मजूरी पुनरीक्षण के समस्त पहलुओं पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मालिकों तथा श्रमिकों के द्विपक्षीय आधार पर विचार किया जाये । इस्पात, खान और ईंधन मंत्री तथा मेरा भी यह विचार है कि यह उद्योग और अधिक भार वहन करने योग्य नहीं है । तदन्तर मैंने यह सुझाव दिया कि यह द्विपक्षीय संगठन वर्तमान मूल्य व्यवस्था के भीतर ही मजूरी में परिवर्तन करने पर विचार करे ।

द्विपक्षीय समिति की, जिसमें कोयला उद्योग के सभी प्रमुख मालिक और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि हैं, कलकत्ता में दो बैठकें हुई थीं । एक बैठक २५ अगस्त, और दूसरी ५ अक्टूबर १९६२ को ।

द्विपक्षीय समिति की दूसरी बैठक में श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने यह मांग की कि प्रस्तावित नयी मजूरी व्यवस्था आगामी तीन वर्ष के लिये लागू हो जब कि नियोजक यह चाहते थे कि यह व्यवस्था कम से कम पांच वर्ष के लिये अमल में लायी जाये । मजदूरों के प्रतिनिधि यह चाहते थे कि भारतीय श्रम सम्मेलन के पन्द्रहवें सत्र में निश्चित सिद्धान्तों के अनुसार न्यूनतम मजूरी दी जाये । तथापि नियोजक यह नहीं बता सके कि किस स्तर तक मजूरी बढ़ाई जाये क्योंकि कोयले के मूल्यों पर कड़ा नियंत्रण है ।

द्विपक्षीय समिति ने बुनियादी प्रश्नों के बारे में मेरे और इस्पात, खान तथा ईंधन मंत्री के विचार जानने की इच्छा व्यक्त की थी । मुझे आशा है कि संसद् का वर्तमान सत्र समाप्त होने पर मैं इस सम्बन्ध में इस्पात, खान और ईंधन मंत्री से चर्चा कर लूंगा और उसके बाद द्विपक्षीय समिति की बैठक के लिये कोई सुविधाजनक तिथि निश्चित की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम) : क्या औद्योगिक समिति की बैठक के पश्चात् कोयले की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है? क्या यह सच है कि कोयला मालिकों ने कहा है कि बिना कोयले की कीमतें बढ़ाये हुए वे मजूरी में वृद्धि नहीं कर सकते हैं?

†श्री नन्दा : जहां तक कोयले की मूल्य में वृद्धि का सम्बन्ध है अनुमान यह है कि केवल लागत में ही वृद्धि हुई है। प्रश्न के दूसरे भाग के उत्तर में मैं यह बताना चाहता हूं कि मजदूरों के दावों से पूरी तरह इन्कार नहीं किया गया अपितु नियोजक उनकी पूरी मांग इस कारण स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि लागत व्यवस्था में गुंजायश बहुत कम है।

भारत और चीन के संबंधों पर श्वेत पत्र संख्या ५ के सम्बन्ध में वक्तव्य

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं नवम्बर, १९६० और नवम्बर, १९६१ के बीच भारत और चीन की सरकारों द्वारा एक दूसरे को भेजे गये टिप्पणी ज्ञापनों और पत्रों के श्वेत-पत्र संख्या ५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-३३५५/६१]**

†श्री जवाहरलाल नेहरू : आपने हमारे सीमान्त पर विशेषतः चीन की नई कार्यवाहियों तथा सीमा अतिक्रमण के बारे में चर्चा के लिये ४ दिसम्बर निश्चित की है मैं इस सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता हूं। तथापि मैं सदस्यों के सम्मुख कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जिससे कि उनको चर्चा में सहायता मिल सके।

इस श्वेत पत्र में भारत सरकार द्वारा भेजे गये पत्र, आरोप तथा प्रत्यारोप तथा उनके उत्तर इत्यादि दिये गये हैं। इससे दोनों सरकारों के परस्पर संबंधों के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी जो कि स्पष्टतः मैत्रीपूर्ण नहीं हैं। ३१ अक्टूबर १९६१ के पत्र में कई विषयों पर लिखा गया है और उसमें चीन सरकार द्वारा लगाये गये आरोपों का उत्तर भी दिया गया है। इस पत्र में कहा गया है :—

"अगस्त, सितम्बर १९६१ में प्राप्त समाचारों से यह ज्ञात होता है कि चीनी सेनायें लद्दाख में १९५६ के स्थान से भी आगे बढ़ गई हैं और उन्होंने कई नयी चौकियां, जो निम्नलिखित हैं स्थापित कर ली हैं तथा उन्होंने इन चौकियों को पिछले अड्डों से मिलाने वाली सड़कें भी बना ली हैं :—

चौकियां ई ७८.१२, संख्या ३५.१९ यह उस चौकियों की स्थिति का विवरण है।

न्यागजू चौकी

दुम्बुगु चौकी

"भारतीय सीमा के अतिक्रमण की उक्त घटनाओं से स्पष्ट है कि चीन भारत में अग्रेतर आक्रमण के लिये दोषी है, उन्होंने इसके विरुद्ध जो विरोध प्रदर्शित किया है वह इन आक्रामक कार्यवाहियों के छिपाने के लिये ही है।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

तत्पश्चात् हमने उनके उत्तर को अस्वीकार कर दिया। इस मामले के बारे में काफी भ्रांति है। चीन न लद्दाख और अन्य स्थानों में जो आक्रमण कार्य किये हैं उसके बारे में सरकार सभा और देश में व्यापक असंतोष है। सरकार इससे सहमत है और यह भी सही है कि इस मामले में आवश्यक कार्यवाही तत्काल करनी चाहिये। तथापि मैं चाहता हूं कि इस मामलो को सही दृष्टिकोण से देखा जाये।

हमें पता चला है कि गत दो वर्षों में चीनियों की तीन चौकियां स्थापित हुयी हैं। यद्यपि चौकियां सामान्यतः पुलिस चौकियाँ हुआ करती है तथापि यह चौकिया सैनिक चौकियां हैं। जहां तक हमें ज्ञात है वे पिछली गर्मियों में स्थापित की गयीं। इनमें से दो एक दुबुगुरु और दूसरी न्यागजू में तिब्बत और लद्दाख की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर ही स्थित हैं। मेरा आशय यहां वास्तविक सीमांत से है न कि उस सीमा से जहां चीनी घुस आ गये हैं। यह आपत्तिजनक बात है कि चीनियों ने वहां अपनी चौकियां स्थापित कर दी हैं यद्यपि उन्होंने किसी बड़े क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है फिर भी यह चीनियों की आक्रामक मनोवृत्ति की परिचायक है अतः यह बात सही नहीं है कि एक या दो हजार मील के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है, सत्य यह है कि य चौकियां अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त पर थीं, अतः वहां पर चौकियां कायम करना उनकी आक्रमक मनोवृत्ति का परिचायक है तथा वह हमको दिये गये आश्वासनों के भी अनुकल नहीं है।

तीसरी चौकी जो लद्दाख क्षेत्र के उत्तरी भाग में स्थित है, महत्वपूर्ण है। यह चौकी संभवतः ग्रीष्म काल में स्थापित की गयी थी। इसकी सही तारीख देना संभव नहीं है क्योंकि इसका पता प्रेक्षण से ही लगा। संभवतः यह जानकारी सितम्बर माह के आरम्भ में हुई। यह चौकी उनकी पिछली चौकी से कुछ आगे है।

यह चौकी कराकोरम पर्वत माला की तरफ है। हमने कराकोरम दर्रे के निकट एक महत्वपूर्ण चौकी स्थापित की है। यह मार्ग भारत से केन्द्रीय एशिया जाने के लिये एक महत्वपूर्ण मार्ग था। हमने दोलत बेग ओल्दी नामक स्थान में जो कि कराकोरम दर्रे से १० मील पर है १०००० फोट ऊंचाई पर एक महत्वपूर्ण चौकी स्थापित कर दी है। चीनियों ने जो चौकी स्थापित की है वह इसके १० या १२ मील पूर्व की ओर है। यह चौकी पुरानी सीमा से कुछ हट कर स्थित है। अतः इसे पृथक श्रेणी में रखना होगा। इस चौकी पर हमारी आपत्ति इस कारण भी है कि वह दो मील पश्चिम की ओर घुस आये हैं। यद्यपि चीनियों ने अपनी चौकी स्थापित कर दी है तथापि यह कहना सही नहीं होगा कि उन्होंने उसके दायें बायें और पूर्व की ओर भी अधिकार कर दिया है।

जब से सीमान्त में यह उत्पात आरम्भ हुए हैं हमने शीघ्रतापूर्वक लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है। तथापि यह कार्य धीमे हो रहा था अतः हमने ऊंचे पहाड़ों में सड़कें बनाने के लिये सेना का एक विशेष विभाग नियुक्त किया है, इसमें अच्छे इंजीनियर इत्यादि हैं। इन्होंने अल्पाधिक अनुसूची के अनुसार कार्य किया है। तथापि यह कार्य बहुत कठिन है क्योंकि हमें सारा सामान विमानों द्वारा पहुंचाना होता है। इसके लिये हमने विभिन्न देशों से परिवहन के विमान खरीदें हैं। यह कार्य अभी जारी है। हमें कोई प्रभावशाली ढंग से कार्य करने के लिये पूरी तैयारी करने की आवश्यकता है। हम ऐसे रोमांचक कार्यों को नहीं करना चाहते हैं जिनसे बड़ पैमान पर सैनिक संकट पैदा हो जाय।

ऐसे क्षेत्रों में युद्ध का संचालन करना बहुत कठिन है तथापि अनिवार्य होने पर हमें ऐसा करना ही होगा। तथापि इसके लिये आधारभूत आवश्यकता सड़कों की है। हम इन्हें शीघ्रता से तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं वह यह है कि मंत्रियों को उन तैयारियों का जिक्र नहीं करना चाहिये जो कि सीमान्त पर की जा रही हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके विपरीत सभा में यह शिकायत है कि विस्तृत जानकारी नहीं दी जा रही है। यह कहा जाता है कि लोक-हित में जानकारी देना ठीक नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : श्री त्यागी ने ठीक ही कहा है कि हमें विरोधियों को ऐसी जानकारी नहीं देनी चाहिये जिनसे उन्हें सहायता पहुंचने की संभावना हो। निसंदेह प्रत्येक देश को इस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिये। यद्यपि वे हमारी कार्यवाहियों के बारे में काफी जानते होंगे तथापि हमें उन्हें और अधिक जानकारी नहीं देनी चाहिये।

तथापि मेरी सामान्य प्रवृत्ति यह है कि सदस्यों को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाये। इस कारण मैं कभी ऐसी बातें भी कह जाता हूं जो मुझे नहीं कहनी चाहिये। इस दृष्टिकोण से मैं यह विचार कर रहा था कि कुछ पक्षों के नेताओं को निजी तौर पर बुलाया जाये और उन्हें नक्शे की सहायता से यह सारी बातें समझायी जायें। जिन्हें सभा में नही समझाया जा सकता है।

†**श्री त्यागी** : सदन की एक गुप्त बैठक होनी चाहिए।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है ऐसा नहीं किया जा सकता।

मैं एक ऐसी बात कह रहा था, जो कि इतनी गोपनीय नहीं है। स्थान गुप्त हो सकते है, किन्तु हम सारे सीमान्त पर अपनी स्थिति मजबत करते रहे है। वास्तव में, हम १९५० से ऐसा करते रहे हैं। सीमान्त की लम्बाई २००० मील है, और इस पर कई सौ मीलों तक संचार का कोई साधन नहीं है। पुरानी ब्रिटिश सरकार ने इसमें कोई रुचि नहीं ली थी। हम जब आजाद हुए और चीनी तिब्बत में आय, तो हम ने सैनिक और अन्य कदम उठाये जिनमें संचार से साधनों को विकसित करना भी शामिल था। हमने उत्तरपूर्वी सीमान्त एजेन्सी पर अधिक ध्यान दिया, क्योंकि इस को अधिक खतरा था। इसमें हम ने न केवल नियमित प्रशासन और संचार की व्यवस्था की, बल्कि बहुत सी चौकियां भी स्थापित की, जिस से और अतिक्रमण नहीं हुए।

लांगजू का उल्लेख किया गया है, जो कि सीमान्त पर हमारे क्षेत्र में है। चीनी ऐसा नहीं मानते। हमारी चौकियां लांगजू से चार या पांच मील दूर है। इस तक जाने वाला रास्ता पहाड़ी है। पूछा गया है कि हमने इस पर कब्जा क्यों नही किया, जबकि चीनियों ने इसे खाली कर दिया है। मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने क्यों खाली किया है। इसका न हमारे लिये, और न उनके लिए सैनिक दृष्टिकोण से कोई विशेष महत्व है। किन्तु यह हमारा क्षेत्र है। हम इस पर कब्जा कर सकते है, किन्तु ऐसा करने के लिए हमें सारे सीमान्त पर बहुत सी और बातें भी करनी होंगी। तैयार होने पर हम ऐसा करेंगे। हमें अपने सैनिक अध्यक्षों और सलाहकारों के परामर्श से चलना होगा। उनकी राय है कि

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लांगजू का अधिक महत्व नहीं है। लद्दाख अधिक महत्वपूर्ण है । अतः लांगजू को छोड़ कर, जिस पर अब किसी का कब्जा नहीं है, सारा उत्तर-पूर्वी सीमान्त हमारे कब्जे में है और हम इसको पर्याप्त रक्षा करने में सफल रहे हैं और हम इसको मिलाने के लिए सड़कें बना रहे हैं।

लद्दाख में सड़कें बनाना अधिक कठिन है। श्रीनगर से लेह तक सड़क बना दी गई है। जिससे हम सामान और सैनिक भेज सकते हैं। सैनिकों के लिए उपयुक्त स्थानों पर अड्डे भी बनाये गये हैं और अड्डों से आगे चौकियां आदि जाती है।

हमारी सेना आधुनिक है और बिना सोचे समझे खतरे में नहीं पड़ते। हम अपनी शक्ति धीरे-धीरे और नियमित रूप से बढ़ा रहे है ।

श्री त्यागी की बात को ध्यान में रखते हुए, मेरे लिए चौकियों के स्थान बताना उचित नहीं होगा। किन्तु लद्दाख सीमान्त पर हमने आध दर्जन से अधिक चौकियां स्थापित की हैं, जिनमें से एक कराकुरम के पास है। प्रत्येक चौकी में ४० या ५० व्यक्ति होते है, किन्तु खाद्यपदार्थ सामान आदि के संभरण के लिए इससे १० या २० गुणा व्यक्ति और होते हैं। यह याद रखना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सेना को रखना कितना कठिन होता है। यह चीनी सरकार के लिए भी उतना कठिन होगा, जितना हमारे लिये होगा। इसलिए सदन यह आशा नहीं कर सकता कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाये जो पूरा न किया जा सके।

मैं समझता हूं कि पिछले दो वर्षों में इन क्षेत्रों में स्थिति चीनियों के अनुकल नहीं हुई। मैं तो मोट तौर पर यह कहूंगा कि स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है, वह धीरे-धीरे हमारे हक में होती जा रही है। सैनिक दृष्टिकोण से भी और अन्य दृष्टिकोणों से भी। अन्त में हमें आशा है कि जिन क्षेत्रों पर चीनियों ने कब्जा कर रखा है वे हम वापिस ले सकेंगे।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर): यदि चीनियों के अड्डा जमाने से युद्ध नहीं छिड़ा तो हमें यह चिन्ता क्यों हो कि उस अड्डे को नष्ट करने से युद्ध छिड़ जायगा?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: युद्ध छिड़ने का सवाल नहीं है। निस्संदेह हम युद्ध नहीं चाहते। किन्तु जो भी कदम उठाया जाये, उसको पूरा करना ही होता है। सैनिक प्रशासन को इन सब बातों पर विचार करना पड़ता है।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद): चीन ने और कितने क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू**: यह कहना गलत है कि १००० या ५०० वर्गमील पर कब्जा कर लिया गया है। ४० या ५० व्यक्तियों की एक टोली एक विशेष स्थान पर बैठी हैं और वे उस चौकी से आस पास के कुछ क्षेत्र पर प्रभाव डाल सकते है, इससे अधिक कुछ नही।

†मूल अंग्रेजी में

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

उद्योग (विभाग और विनियमन) अधिनियम, १९५१ आदि के अन्तर्गत सूचनाए

†**वाणिज्य और उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : श्री कानूनगो की ओर से, मैं निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८—क की उप-धारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १५ सितम्बर, १९६१ का एस० ओ० संख्या २२४५।

(२) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८—एफ के अन्तर्गत निकाला गया दिनांक २८ सितम्बर, १९६१ का एस० ओ० संख्या २३७८। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३३५६/६१]**

(३) कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ३९६ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक १ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या एम० ओ० २३८४ में प्रकाशित नौवहन निगम निकाला आदेश, १९६१। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-३३५७/६१]**

१९६१ के लिये नमक विभाग का प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं १९६०—६१ के लिए नमक विभाग के प्रतिवेदन की एक प्रति पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—३२६१/६१]**

तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के उत्तर में शुद्धि

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : ३१ अगस्त, १९६१ को पूछे गये, श्री अ० मु० तारिक के तारांकित प्रश्न संख्या १११७ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि काका कालेलकर को दिया गया बंगला संसद सदस्यों के संग्रह में से नहीं था, इसलिए आवास समिति के अध्यक्ष के संबंधित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वास्तव में स्थिति यह है कि वह बंगला राज्य सभा सचिवालय को उन की अविलम्बनीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिया गया था और इसे राज्य सभा की आवास समिति के अध्यक्ष की सिफारिश पर काका कालेलकर को दिया गया था।

†**श्री अ० मु० तारिक** (जम्मू तथा काश्मीर) : मुझे जहां तक ज्ञात हुआ है काका कालेलकर ने उस मकान पर कब्जा नहीं किया अपितु उस अधिकारी ने कब्जा किया जिसे निर्माण, आवास संभरण मंत्रालय ने हटा दिया था।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : राज्य सभा के उस सदस्य ने जिस के नाम पर यह मकान दिया गया था उसने एक विस्तृत पत्र लिखा जिसका आशय इस प्रकार है कि मैं इस बंगले का पूरा उपयोग कर रहा हूं। मेरे विचार से इस पत्र से इस बंगले के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

†मूल अंग्रेजी में

इस से यह भी स्पष्ट है कि राज्य सभा की आवास समिति के अध्यक्ष ने यह सिफारिश की कि यह मकान उक्त सदस्य के नाम पर एलाट कर दिया जाये । अतः इसे उन के नाम में अलाट कर दिया गया । हमारे कार्यालय ने राज्य सभा की आवास समिति द्वारा दिये गये आदेश का पालन किया ।

भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६१

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रेलवे अधिनियम १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि भारतीय रेलवे अधिनियम १८९० में अग्रेतर संशोधन करने वाले एक विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उप-कर विधेयक

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोह अयस्क के खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाने की कार्यवाहियों की वित्त व्यवस्था के लिये लोह अयस्क पर उप-कर लगाने और उसकी वसूली का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

"कि लोह अयस्क के खनन उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाने की कार्यवाहियों की वित्त व्यवस्था के लिये लोह अयस्क पर उप-कर लगाने और उसकी वसूली का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री नन्दा** : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) संशोधन विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि कि टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) अधिनियम १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि टैलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं ।

चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश के बारे में संकल्प तथा चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्री ब्रजराज सिंह द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प और उनके प्रस्ताव पर चर्चा करेगी ।

संकल्प इस प्रकार है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा २९ सितम्बर, १९६१ को प्रख्यापित चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश १९६१ (१९६१ का अध्यादेश संख्या ३) को अस्वीकार करती है ।"

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : सरकार ने जो उपाय खोज निकाला प्रतीत होता है वह इस समस्या का कोई हल नहीं है । उससे चीनी का भाव बढ़ जायेगा और खपत कम हो जायेगी । हमें चीनी का भाव कम करने और उसकी खपत बढाने के लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, खाद्य मंत्री जी के भाषण से दो बातें स्पष्ट नहीं होती हैं । पहली तो यह है कि गन्ने के क्षेत्र को मर्यादित करना है तो इसकी व्यवस्था गन्ने की बुवाई होने से पहले क्यों नहीं की गई । इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि हम गन्ना उत्पादकों को और अधिक खेती योग्य भूमि पर गन्ना पैदा करने की अमर्यादित छूट नहीं दे सकते । कहीं न कहीं कोई मर्यादा निश्चित करनी होगी । इसलिए असल प्रश्न इस प्रकार की रोक लगाने के सिद्धान्त का नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या कृषि और खाद्य मंत्रालय ने व्यावहारिक दृष्टि से उस समय यह कदम उठाया है जब उठाना चाहिये था ? आज हालत यह है कि गन्ना खेतों में खड़ा है और इस आदेश से किसान के मन में बड़ी चिन्ता पैदा हो गई है । मुझे यह सुन कर ताज्जुब हुआ खाद्य और कृषि मंत्री जी के मुहं से कि जो कमी होगी वह चार फी सदी से ज्यादा नहीं होगी । जहां तक मेरे क्षेत्र का प्रश्न है, वहां दो चीनी मिलें हैं, एक बलरामपुर में और एक तुलसीपुर में । तुलसीपुर चीनी मिल के संबंध में मुझे जो आंकड़े मिले हैं, उन से पता लगता है कि पिछले साल तुलसीपुर की चीनी मिल ने ४५ लाख मन गन्ना पैरा था लेकिन इस बार उस से ३६ लाख मन गन्ना पैरने के लिये कहा जा रहा है । इसका अर्थ यह है कि कटौती दस फीसदी की नहीं होगी, बल्कि २० फीसदी की होगी । माननीय मंत्री महोदय इन आंकड़ों के बारे में उत्तर प्रदेश शासन से पता लगा सकते हैं या सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । सभापति महोदय, अब अगर किसी मिल में गन्ने को पेरने में बीस फीसदी की कटौती होने वाली है तो फिर गन्ना पैदा करने वाला जो किसान है उस पर इसका क्या असर होगा, इस बात का भी विचार हो जाना चाहिये ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वाजपेयी]

दूसरी बात जो खाद्य मंत्री जी ने कही है कि अगर प्रति एकड़ गन्ने की पैदावार बढ़ाने की कोशिश की जाती तो यह समस्या खड़ी नहीं होती। लेकिन चूंकि गन्ने का क्षेत्र बढ़ गया है इसलिए हम संकट में हैं। मेरा निवेदन है कि प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाने का सवाल यहां खड़ा करना ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि अगर प्रति एकड़ पैदावार बढ़ जाती है तो शक्कर अधिक पैदा होने का संकट हमारे सामने खड़ा रहता है। किसान चाहे प्रति एकड़ पैदावार बढ़ाते या चाहे इसका क्षेत्र बढ़ाते समस्या गन्ने की अधिक पैदावार से उत्पन्न हुई है। पैदावार किस तरीके से की गई है, यह प्रश्न मुख्य नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस संदर्भ में इस प्रश्न को उठाना कोई अर्थ नहीं रखता है क्योंकि गन्ना अगर अधिक पैदा होता है चाहे वह प्रति एकड़ पैदावार बढ़ने से होता है हो या क्षेत्रफल बढ़ने से, मिलों में गन्ना अधिक जाता है और चीनी उससे अधिक बनती है और चूंकि देश में चीनी की खपत कम है, इसलिए समस्या तो ज्यों की त्यों बनी रहती है। इस वास्ते मैं समझ नहीं पाया हूं कि खाद्य मंत्री जी ने प्रतिएकड़ पैदावार बढ़ाने के सवाल को इस विवाद में क्यों खड़ा किया है। समस्या तो गन्ने की बढ़ती हुई पैदावार से सम्बन्ध रखती है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपने क्षेत्रफल कम कर दिया और क्षेत्रफल को बढने से रोक दिया और उस सूरत में किसान ने पैदावार के अच्छे साधन अपना कर जितनी जमीन में वह गन्ना पैदा करता है, उस में ही अधिक गन्ना पैदा कर दिया तो क्या देश के सामने समस्या खड़ी नहीं होगी ? मेरा निवेदन है कि यह सवाल घनी खेती का और विस्तार की खेती का नहीं है। सवाल तो यह है कि जितना गन्ना चीनी में खप सकता है, आज वह उस सीमा पर पहुंच गया है। अब हमें विचार करना चाहिये कि क्या चीनी की खपत बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये जा सकते हैं . . .

श्री त्यागी (देहरादून) : हलवा खाओ ।

श्री वाजपेयी : जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे देश में चीनी खाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। इसका हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिये कि कितने लोग चीनी खाते हैं और क्या उनकी तादाद बढ़ नहीं सकती है। गांवों में जा कर हम देखें, बहुत से लोगों को चीनी खाने के लिए नहीं मिलती है। वे चीनी खाना भी चाहते हैं, मगर चीनी के दाम इतने अधिक हैं कि उन दामों पर वे चीनी खरीद नहीं सकते हैं।

अभी कंट्रोल हटा है। चीनी के दाम भी कुछ कम हुए हैं। इस के फलस्वरूप चीनी की खपत बढ़ी है। मेरा निवेदन है कि अगर गर्मी के समय में जब ब्याह शादियों का मौका था, अगर यह कंट्रोल हटा दिया जाता तो चीनी की खपत और भी बढ़ सकती थी। इस वास्ते इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि चीनी की खपत बढ़ाई जाए। इसके लिए मैं समझता हूं एक्साइज डयूटी में कुछ कमी करने के सवाल पर सरकार को विचार करना होगा। कुछ दिनों से समाचार पत्रों में इस तरह की बात छप रही है कि सरकार चीनी पर एक्साइज डयूटी कम करने के बारे में विचार कर रही है। अगर ऐसा कोई विचार है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मैं आशा करता हूं कि खाद्य मंत्री जी इस वाद विवाद का उत्तर देते समय इस बारे में कोई घोषणा करेंगे, कोई स्पष्टीकरण करें कि क्या सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करने के बारे में विचार कर रही है ?

इस सम्बन्ध में एक बात का और भी हमें स्मरण रखना चाहिये गन्ना बोने के लिए किसान सहज रूप से तैयार होता है, यह बात तो ठीक है। इसका कारण यह है कि गन्ने से उसे प्राप्ति अधिक होती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं कि जिनमें किसान अगर गन्ना नहीं बोएगा तो वह अपनी आजीविका के लिए भी आवश्यक साधन नहीं जुटा सकेगा। उदाहरण के लिए तराई का इलाका है। जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं वहां गत तीन वर्ष से गेहूं की, धान की, चावल की फसल बरबाद हो रही है, कभी बाढ़ से, कभी सूखे से और कभी ओले गिरने से। उस क्षेत्र में अगर किसान गन्ना नहीं बोएगा तो फिर किसान जीवित रहने के लिए भी सामग्री नहीं जुटा सकेगा। मुझे पता लगा है कि माननीय मंत्री जी ने बिहार के गन्ना उत्पादकों को इस तरह का आश्वासन दिया है कि क्योंकि वहां बाढ़ आ गई थी इसलिए उनका गन्ना खेत में खड़ा रहे, इस प्रकार की स्थिति नहीं होने दी जाएगी। मेरा उनसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में जिन पूर्वी जिलों में बाढ़ आई थी और किसानों को उससे अपार क्षति हुई है, उनके सम्बन्ध में भी विशेष प्रयत्न करके इस बात की कोशिश की जाए कि उनका सारा गन्ना इस बार बिक जाए।

जहां तक खण्डसारी और गुड़ बनाने का सवाल है, आप जानते हैं कि केन्द्रीय सरकार---खण्डसारी के सम्बन्ध में टैक्स लगाने की ऐसी नीति को अपनाने की भूल करती रही है जिसके कारण खण्डसारी उद्योग को बड़ा धक्का लगा है लेकिन अब हम फिर उसी खंडसारी उद्योग की शरण में जा रहे हैं। मेरा निवेदन है खंडसारी उद्योग के विकास के लिए जितना प्रयत्न होना चाहिए नहीं किया गया। लेकिन एक बड़ी कठिनाई यह है कि यह गन्ना अधिक पैदा हो रहा है उन क्षेत्रों में जहां मिलें लगी हुई हैं और नियम के अनुसार मिलों के आसपास के क्षेत्र में खंडसारी उद्योग खड़ा नहीं किया जा सकता। अब नया संकट पैदा हो गया है। किसान का गन्ना खरीदा नहीं जाएगा, खंडसारी वह बना नहीं सकते। तो जो गन्ने की बढ़ी हुई पैदावार है उसे केवल गुड़ बनाने में लगाया जा सके इसकी कोई सम्भावना नहीं दिखायी देती। मैं अन्य क्षेत्रों की नहीं कह सकता लेकिन मैंने अपने क्षेत्र में व्यापक दौरा करके इस बात को अनुभव किया है कि अगर चीनी की मिलों ने गन्ना न खरीदा और गन्ना खेतों में खड़ा रहा तो यह आशा कि किसान उस गन्ने का गुड़ बना लेगा पूरी नहीं होगी। किसान को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

इस सदन में यह प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है कि सरकार चीनी, खंडसारी और गुड़ के उत्पादन की कोई समन्वित योजना बनाए सम्पूर्ण देश के लिए जिसमें योग्य विचार करके चीनी का, खंडसारी का और गुड़ का स्थान नियत किया जाए। लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में शासन की ओर से कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। पिछले साल इस सम्भावना को देख कर कि गन्ना अधिक पैदा होगा, गुड़ बनाने के लिए किसानों को जितना प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए था नहीं दिया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि पिछले साल जितना गुड़ बनना चाहिए था नहीं बना, बाजार में गुड़ बहुत महंगा बिका। किसानों में यह प्रवृत्ति है कि वे अपना गन्ना चीनी मिलों को ले जाना चाहते हैं, लेकिन अगर किसानों को समय पर गुड़ उत्पादन के लिए सहायता मिले और उनमें विश्वास हो कि अगर गुड़ बनाएंगे तो बाजार में अच्छी कीमत पर बिकेगा तो किसान गुड़ बनाने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन आज की स्थिति में किसानों से यह आशा करना कि वह सारा गन्ना गुड़ बनाने में खर्च कर सकेंगे उचित नहीं होगा। यह आशा पूरी नहीं होगी।

[श्री बाजपायी]

मेरा निवेदन है कि यह जो खाद्य मंत्री महोदय ने चार फीसदी की बात कही है वह किस तरह से हर एक चीनी मिल पर लागू होती है इसका विचार होना चाहिए। मुझे पीलीभीत की चीनी मिल से खबर मिली है कि चीनी मिल के आसपास जो गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं वह तो अब चीनी मिल में गन्ना नहीं दे सकेंगे। मगर सरकार का जो फार्म तराई में है उसका गन्ना पीली भीत की चीनी मिल में लाया जाएगा तो कैसे न उन किसानों में असंतोष पैदा न होगा। सरकार का यदि फार्म खड़ा है तो किसानों के हितों को संकट में डाल कर इस फार्म का गन्ना पीलीभीत की मिल में खरीद लिया जाए इस बात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। किसानों के हितों का ध्यान रख कर चलना चाहिए। लेकिन यह आदेश इस तरह लगाया गया है कि इस बात का ध्यान नहीं रखा गया। इसकी खाद्य मंत्री महोदय ने न पुष्टि की है और न इसका खंडन किया है। तो मेरा निवेदन है कि जो अधिकार सरकार प्राप्त कर रही है उसको ठीक तरह से काम में नहीं लाया जाएगा इस बात की आशंका है। इस बात का विचार करना चाहिए कि एक एक चीनी मिल कितने किसानों का गन्ना खरीदेगी, कितना गन्ना बाकी बच रहेगा, और फिर उस गन्ने को पेरने के लिए किसानों के पास साधन हैं या नहीं, और इसके लिए अगर उनको कोई सहायता देने की आवश्यकता हो तो वह सहायता दी जाय, इस प्रश्न का विचार केन्द्रीय सरकार को करना चाहिए। प्रान्तीय सरकारों पर यह मामला छोड़ने से काम नहीं चलेगा। वहां चीनी में कुछ राजनीति काम करती है। केन्द्र के लिए मैं यह नहीं कह सकता। लेकिन अगर सब चीजें प्रान्तों पर छोड़ दी जाएंगी तो गन्ना पैदा करने वाले किसानों और चीनी खाने वाले उपभोक्ताओं के हितों की अवहेलना करके राजनीतिक कारणों से चीनी मिलों को ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी कि अन्ततोगत्वा जनता के हितों की हानि होगी। इसलिए मैं खाद्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि वह इस बात को स्पष्ट करें कि यह आर्डिनेन्स गन्ना बोने से पहले जारी क्यों नहीं किया गया, पहले से किसान को सूचना क्यों नहीं दी गयी, सरकार ने दूरदर्शिता से काम क्यों नहीं लिया, और सरकार की गलती की गन्ना पैदा करने वाले किसान सजा भुगतें यह तो उचित नहीं कहा जा सकता। गन्ना पैदा हो गया है, अगर गन्ना खेत में पड़ा रहा और चीनी मिलों ने उसको न खरीदा तो गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्र में असंतोष की व्यापक लहर फैलेगी और वह किसी के लिए ठीक नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि सत्तारूढ़ दल उन्होंने इस तरह की स्थिति को पैदा किया जाना पसंद करेगा। मगर शासन का आदेश ऐसा है कि किसान में इस बात की आशंका व्याप्त हो गयी है। और मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वह यह ४ प्रतिशत की कटौती की बात किस आधार पर करते हैं। क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रान्तों से अलग अलग पूछा है कि क्या हर एक क्षेत्र का पृथक रूप से विचार किया जाएगा। मैं चाहूंगा कि वह यह आश्वासन दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में जहां बाढ़ आयी थी वहां किसी भी किसान का गन्ना खेत में खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा और उसको पेलने की पूरी व्यवस्था होगी।

†**श्री स० का० पाटिल:** एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। तुलसीपुर कारखाने ने पिछले वर्ष १४९६६ मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया। इस वर्ष उससे केवल १३४६६ टन चीनी का ही उत्पादन करने को कहा गया। वस्तुतः हम १० प्रतिशत से अधिक कटौती नहीं करना चाहते हैं। और यदि माननीय सदस्य यह विश्वास दिला सकें कि कुछ गलती की गयी है तो मैं उसकी जांच करने को तैयार हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित द्वा० ना० तिवारी (केसरिया): सभापति महोदय, कल से इस अध्यादेश पर बहस चल रही है और मैं आश्चर्य से देख रहा था कि इस समस्या के समाधान की तरफ न तो मूवर का ध्यान था और न जो आनरेबल सदस्या मेरे पहिले बोल चुके हैं उनको इसका ध्यान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस समस्या से कुछ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए वह लोग बोल रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इस लाभ को छोड़ें और समस्या के वास्तविक हल पर अधिक ध्यान दें।

आनरेबिल मूवर श्री ब्रजराज सिंह ने कहा कि दूसरे देशों में इतनी अधिक खपत होती है और लोग इतनी ज्यादा चीनी खाते हैं। लेकिन इन बातों का तो यहां पर कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो यह है कि आज जो स्थिति पैदा हो गयी है उसका कैसे समाधान किया जाए।

पहले जब यह अध्यादेश जारी हुआ तो लोगों में बेचैनी पैदा हुई और लोग घबराए, लेकिन कल जो आनरेबिल मिनिस्टर का भाषण हुआ उससे कुछ आशा की झलक दिखायी देती है। वह यह नहीं चाहते कि गन्ना लोगों के खेतों में रहे। वह अधिक से अधिक कोशिश करेंगे कि गन्ना बिक जाए और किसानों को कोई नुक्सान न हो। हमारी आशा है कि ऐसा हो सकेगा और विरोधी दल के सदस्यों को ऐसी ही आशा होनी चाहिए।

श्री वाजपेयी : ऐसी ही आशा है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : मैं मानता हूं कि मन से तो वह भी यही चाहते हैं लेकिन वह कुछ ऐसी बातें इसलिए करते हैं कि लोगों में सरकार के प्रति विरोध पैदा हो। हम में और उनमें यही अन्तर है।

श्री वाजपेयी : सभापति जी, विरोधी दल पर यह आरोप क्यों लगाया जा रहा है। इसका क्या अर्थ है?

पंडित द्वा० ना० तिवारी : मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट को यह देखना है कि किस इलाके में कितना गन्ना पैदा होता है और कहां-कहां उसको रोकना है। ऐसे बहुत से प्रान्त हैं जहां गन्ना पैदा हो रहा है। लेकिन सरकार को देखना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे कहां अधिक गन्ना पैदा हो रहा है। यह देश बहुत बड़ा है और सब जगह एक सी पोजीशन नहीं है। ऐसा न हो कि सब को एक ही डंडे से एक ही लाठी से मार दें। सरकार को यह देखना चाहिये कि किस का कसूर है और किस का कसूर नहीं है किसने अधिक पैदा किया और किस ने अधिक पैदा नहीं किया। जहां तक मेरे अपने प्रांत बिहार का सम्बन्ध है आपने बिहार के वास्ते ४ लाख टन का कोटा फिक्स किया था जब कि वहां पर उन्होंने केवल ३ लाख ८० हजार टन ही पैदा किया जिसका मतलब यह हुआ कि अभी भी उसके कोटे के अनुसार २० हजार टन गन्ना और अधिक पैदा करने की जरूरत है। मेरा कहना यह है कि हर एक क्षेत्र के लिये अलग अलग दृष्टिकोण होना चाहिये। ऐसा न हो कि पहले जमाने में जैसा कि हमने एक राजा के बारे में सुना था कि उसके राज में किसी आदमी ने एक व्यक्ति को जान से मार डाला था तो चूंकि फांसी के तख्ते में उस मुजरम

[पंडित द्वा० ना० तिवारी]

की गरदन नहीं फंस पाती थी तो पकड़ कर किसी अन्य पुरुष की गरदन अटका दी। ऐसा नहीं होना चाहिये ; सरकार को पहले यह देखना चाहिये कि किस क्षेत्र में कितना पैदा हो रहा है और उस क्षेत्र के लिये जो कोटा आप के द्वारा निर्धारित हुआ है उस तक उसको पैदा करने की छूट दी जाय।

मैं बिहार और खास कर उत्तरी बिहार की बात कह रहा हूं जहां कि गन्ने की खेती के अलावा किसानों के पास दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सकें और कुछ पैसा कमा सकें। यह शुगर इंडस्ट्री हो उत्तरी बिहार के किसानों का एक मात्र आधार है जिससे कि उनको पैसा मिलता है। अगर वहां के किसानों के लिये भी आप गन्ने की इस तरह की कैद रहने देते हैं तो वे बर्बाद हो जायेंगे। एक कहावत है कि दुःख कभी अकेला नहीं आता है जब आता है तो सब ओर से आता है यह कहावत हमारे बिहार के किसानों के साथ चरितार्थ हुआ है। गत सितम्बर मास में वहां पर एक भीषण बाढ़ आई और एक बाढ़ नहीं बल्कि तीन, तीन बार वहां पर बाढ़ें आई जिसके फलस्वरूप लोग बर्बाद हो गये। आज उनके घर फिर से बनाने की समस्या है और उनको खिलाने की समस्या है। उनका आगे जीवन कैसे चले उसको ठीक करने की समस्या है। आज उनके खेतों में जो गन्ना तैयार खड़ा है यदि उसको न उठाया जायगा तो सरकार को उन्हें बसाने में ज्यादा दिक्कत आयेगी और उसके वास्ते ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। बिहार का कोई कसूर नहीं। ३ लाख ८० हजार टन गन्ना पैदा हुआ है जब कि कोटे के मुताबिक २० हजार टन वह अभी और पैदा कर सकते हैं। इससे अधिक वहां पर गन्ना पैदा नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि उसको आप इस बिल में क्यों समेट रहे हैं। बिहार को तो इस बंदिश से छुट मिलनी चाहिये। यह क्या इंसाफ हुआ ? हमने आप की बात मानी और उसके मुताबिक हम चले लेकिन दंड आप हमको भी देना चाहते हैं ? यह कोई इंसाफ की बात नहीं है। मंत्री महोदय को यह सोचना चाहिये कि जो प्रांत आपके नियम के मुताबिक काम कर रहा है उस पर आप यह जुल्म क्यों ढा रहे हैं ? उसको तो कम से कम आपको इस कैद में नहीं लाना चाहिये।

अब मान लीजिये महाराष्ट्र या दक्षिण के ऐसे प्रान्त जहां कि गन्ना ज्यादा न हो, सीमित मात्रा में पैदा होता हो वहां आप यह अध्यादेश क्यों जारी करें। जैसे कि कल मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बतलाया था मुझे इसका भरोसा है कि वह इस चीज को देखेंगे कि किसी किसान का गन्ना खेत में पड़ा न रह जाय। यह आगे के लिये रुकावट है जिसको कि वह लागू करना चाहते हैं कुछ नियम लागू करना चाहते हैं ताकि आगे लोग सीमित मात्रा से अधिक गन्ना न बो सकें। मैं इससे इंकार नहीं करता कि सरकार की यह नीयत और मंशा अच्छी है लेकिन जैसा कि और लोगों ने भी कहा यह नियम समय के बाद जारी किया गया है। यह आज से एक वर्ष पहले होना चाहिये था जब कि बुवाई का सीजन था। उसके पहले ही इसको जारी होना चाहिये था ताकि किसान लोग उसी के मुताबिक अपने खेतों में गन्ना बोते। अब मालूम नहीं किस वजह से ऐसा नहीं किया गया। बहरहाल जो भी कारण रहा हो इसमें उन काश्तकारों का तो कोई कसूर है नहीं। इतनी देर के बाद हम जो उन पर नियम लागू कर रहे हैं और उन पर यह बोझ डाल रहे हैं वह किसी तरह से भी उचित नहीं है। आपके लिये उचित यही है कि इस साल तो जितना गन्ना उनके खेतों में खड़ा है उसको आप ले लें। आगे के लिये अलबत्ता आपने जो नियम बनाया है उसके मुताबिक यदि वह नहीं चलेंगे तो वे खुद तकलीफ में पड़ेंगे। लेकिन अब सोइंग सीजन खत्म

हो गया है और गन्ना खेतों में तैयार खड़ा है वह यदि नहीं उठाया जायेगा तो किसानों की भारी क्षति होगी ।

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कुछ बाढ़ आई थी लेकिन वह बिहार के समान भीषण नहीं थी। बिहार में तो बाढ़ के फलस्वरूप भयंकर बर्बादी हुई है। हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने उसके सम्बन्ध में कहा भी था कि उसको बिना देखे कोई अन्दाजा नहीं लगा सकता कि कैसी बर्बादी हुई है। मीलों तक गांव नष्ट हो गया है। अब जाहिर है कि ऐसे स्थानों को और उन स्थानों को जहां कि इतनी बर्बादी नहीं हुई है दोनों को आप बराबर नहीं रख सकते। इसलिये मेरा कहना है कि आप जगह जगह देख कर आप इस तरह की कैद लगायें और जहां भयंकर विनाश हुआ है वहां के लोगों के लिये खास रिआयत देने की कोशिश कीजिये।

दूसरी बात मुझे जो कहनी है वह यह है कि देश में चीनी की खपत बढ़ाने की कोशिश कीजिये और खपत चीनी की तभी बढ़ सकती है जब लोगों के हाथ में कुछ अधिक पैसा हो। अभी एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा था कि चीनी का मूल्य इतना अधिक होता है कि गांव के लोग उसे खरीद ही नहीं सकते। अब यह एक जनरल एकोनामी का सवाल है जो कि इस मंत्रालय या किसी अन्य मंत्रालय का काम नहीं है बल्कि इसके वास्ते तो सारे गवर्नमेंट की जवाब-देही है कि देश के लोगों की आर्थिक अवस्था सुधारी जाय ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने स्टैन्डर्ड को ऊंचा कर सकें। आर्थिक अवस्था सुधरने से इन चीजों की खपत अपने आप बढ़ जायेगी। अब वह तो एक बड़ा सवाल है और वह अकेले इस मंत्रालय से हल होने वाला नहीं है। वह एक दिन में हल नहीं हो सकता है। आज तो आवश्यकता इस बात को देखने की है कि जो गन्ना खेतों में तैयार खड़ा है उसका क्या किया जाय और उसको कैसे खपाया जाय। अब इसके लिये पहले तो हमने कोई कदम नहीं उठाया और आज इतनी देर बाद जब हम कदम उठा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिये ताकि किसानों को घाटा न पहुंचे और आगे के लिये रोक भी लग जाय। यह तो अध्यादेश जारी हुआ और यह जो बिल आया है उसकी वजह से एक हार्ट सर्चिंग हो रही है और लोग सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिये। गवर्नमेंट का जो मकसद है वह आगे चल कर पूरा होगा लेकिन अभी के लिये फिलहाल हमें कोई एसी समुचित व्यवस्था करनी चाहिये ताकि जहां जहां भी गन्ना खेतों में तैयार खड़ा है वह यूं ही खड़ा न रह जाय और तमाम का तमाम बिक जाय। सरकार का यह दृष्टिकोण होना चाहिये और इसी से यह समस्या हल हो सकती है।

श्री मोहन स्वरूप : (पीलीभीत) : सभापति महोदय, यह बिल जो हमारे सामने पेश किया गया है इस के सम्बन्ध में हमारे मंत्री महोदय ने यह कहा है कि इससे किसानों का भला होने जा रहा है लेकिन मेरी तो राय यह है कि किसानों के हित के विरोध में यह बिल पेश किया गया है। यह बिल उस समय पेश किया गया है जब कि गन्ना खतों में तैयार खड़ा है और उसे मिल में जाना है। अगर यह बिल फरवरी या मार्च के महीने में आया होता और उस वक्त यह कैद लगाई होती कि २० परसेंट गन्ना मिलें नहीं पेरेंगी या शुगर के प्रोडक्शन के ऊपर कुछ कैद लगाते तो ज्यादा अच्छा होता। उस वक्त किसान कम गन्ना बोता और वह दूसरी फसलों की तरफ ज्यादा ध्यान देता लेकिन आप यह बिल एक ऐसे वक्त में लाये हैं जब कि किसान के सामने यह समस्या मुंह बाये खड़ी है कि उसका गन्ना जो खेत में खड़ा है उसको वह कैसे खपाये।

[श्री मोहन स्वरूप]

जहां तक खंडसारी और कोल्हू व बेल चलाने वालों का ताल्लुक है उन पर वैसे ही काफी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, ड्यूटी लगी हुई है और उनके हौसले पस्त हैं। वह काम करने में हिचकते हैं। अभी पिछले साल खंडसारी उद्योग में काम करने वाले बहुत से लोगों ने बताया कि उनको घाटा हुआ। अब खंडसारी उद्योग में लगे हुए व्यक्ति गन्ने का काम करते हिचकिचा रहे हैं और दूसरी तरफ खेतों में गन्ना खड़ा है और किसान परेशान हो रहे हैं कि उनके गन्ने का क्या बनेगा। चीनी मिलें कह रही हैं कि हम गन्ने के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते कि क्या होगा। केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं कि हम नहीं जानते कि गन्ने का क्या होगा। इस तरीके की बातें हमारे सामने हैं।

यह गन्ने का सवाल खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के लिये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां के करीब ३६,००० ग्रामों में २० लाख परिवार ऐसे हैं जो कि गन्ने से सम्बन्ध रखते हैं और गन्ना बोते हैं। सन् १९५७-५८ में लगभग ३० लाख १७ हजार एकड़ रकबा गन्ने की काश्त में था जो कि अब बढ़ गया होगा। गन्ने की जो इतनी बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के सामने है उसको सरकार यूं ही टाल देना चाहती है और किसानों के साथ उसकी कोई हमदर्दी नजर नहीं आती है। पिछले सेशन में मंत्री जी ने कहा था कि किसानों को कुछ कुर्बानी करनी चाहिये। उन्होंने यह भी कहा था कि किसानों के गन्ने की जो कीमत है उसमें कमी होनी चाहिये। मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी का यह इरादा था कि चालू सीज़न में ही गन्ने का भाव कम कर दिया जाये, लेकिन इलैक्शन की वजह से--कांग्रेस पार्टी को वोट लेने हैं--गन्ने का दाम इस सीज़न में कम नहीं किया गया।

एक माननीय सदस्य: क्या माननीय सदस्य की पार्टी को वोट नहीं लेने हैं?

श्री मोहन स्वरूप: हम ने भी लेने हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ज्यादा लेने हैं।

हम देखते हैं कि जब इलैक्शन आता है, तो किसानों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, किसान अच्छे हो जाते हैं, लेकिन इलैक्शन के बाद किसान के कपड़ों में बदबू आने लग जाती है, वह बुरा हो जाता है। १९६२ तक तो किसान अच्छा रहेगा। उसको गोद में उठाया जायेगा और गले से चिपकाया जायेगा, लेकिन उसके बाद उस की कोई आवश्यकता नहीं रह जायेगी और उसकी कोई परवाह नहीं की जायेगी।

हमारे सामने यह बड़ी गम्भीर स्थिति है। मंत्री महोदय ने कहा कि किसानों को कुर्बानी करनी चाहिए और गन्ने की कीमत कम होनी चाहिए, लेकिन वह मिल-मालिकों को कुर्बानी करने के लिए नहीं कहते हैं। ऐसे बहुत से मिल-मालिक हैं, जिनकी पहले एक मिल थी, लेकिन अब उन्होंने चार चार मिलें खड़ी कर ली हैं। बड़े मुनाफे उन्होंने उठाये हैं। अभी १९५४-५५ में सरकार ने इस बात को जानने के लिए एक कमेटी बिठाई थी कि एक मन गन्ने की पैदावार पर कितना खर्चा आता है। उस कमेटी की फाईडिंग्ज ये थीं कि एक मन गन्ना पैदा करने में एक रुपया चार आने की लागत आती है। किसानों को मुश्किल से एक दो आने कार्टेज चुकाने के बाद मिलता है। इस के अलावा मजदूरी भी बढ़ रही है। लगान का भी सवाल है, पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने आबपाशी में तीन आने फी रुपया कटौती की थी। अब गुप्ता जी की सरकार ने आबपाशी भी पूरी कर दी है।

इस तरह गन्ने का खर्चा तो बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि उस की कीमत कम होनी चाहिए। आप को यह जान कर ताज्जुब होगा कि जब कि खुश्क लकड़ी, जलाने की लकड़ी की कीमत ढाई तीन रुपये मन होती है, वहां गन्ने की, जिस में सूक्रोस कन्टेन्ट होता है, कीमत एक रुपया दस आने मन है। इस का मतलब यह है कि लकड़ी गन्ने से अच्छी है।

शूगर बनाने पर मिल का करीब २८ पया फी मन खर्च आता है और शूगर की कीमत उस को मिलती है ३८ रुपये फी मन। यह भी बहुत बड़ा मुनाफा है। साउथ में बम्बई की तरफ जो शूगर भेजी जाती है, उस की कीमत १४४ रुपये पर बैग होती है, जब कि हमारे यहां उस की कीमत १०४ पये पर-बैग होती है। इस से मिल-मालिक बड़ा फायदा उठाते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कीमतों में जो यह डिस्पैरिटी है, उस को दूर किया जाना चाहिए। मिल-मालिक यह कहते हैं कि साउथ में शूगर ले जाने के लिए कार्टेज का बहुत भारी खर्चा होता है, लेकिन वास्तव में इतना खर्चा नहीं है। यह मुनाफाखोरी खत्म होनी चाहिए और यह रुपया सरकारी खजाने में जाना चाहिए।

१९५० से १९६० तक मिल-मालिकों को एक रुपया फी मन मुनाफा मिलता था, जब कि उस के बाद से २ रुपये ७० नये पैसे मिलता है। अब टैरिफ बोर्ड की रिपोर्ट में १ रुपया ३३ नये पैसे कास्ट आफ मैनुफेक्चरिंग और बढ़ा दिया गया है। इस तरह से मिल-मालिकों को कुल मिला कर चार रुपये तीन नये पैसे का मुनाफा एलाऊ कर दिया गया है। इतना जबर्दस्त मुनाफा मिल-मालिक उठा रहे हैं, लेकिन इस के बावजूद उन को हर वक्त शिकायत और गिला है कि हमारे पास शूगर भरी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि शूगर आखिर सड़ नहीं जाती है। मंत्री महोदय ने कहा कि वह एक पैरिशेबल गुड है। मैं समझता हूं कि उस में मायस्ट्यर भले ही आ जाये, लेकिन वह सड़ने वाली और खराब होने वाली चीज नहीं है और वह तीन चार बरस रह सकती है। लेकिन अगर शूगर भरी भी है, तो इस में गन्ने के उत्पादकों का क्या कुसूर है? मिल-मालिकों ने इतना मुनाफा उठाया है। अब अगर एक दो बरस बन्द रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? और फर्क पड़े या न पड़े, इस में किसानों का क्या कुसूर है?

सरकार ने एक केन डेवेलपमेंट डिपार्टमेंट खोला हुआ है, जो कि खाद वगैरह की व्यवस्था करता है, गन्ने की वैरायटीज के विकास का प्रबन्ध करता है। प्रोडक्शन बढ़ाना उस का उद्देश्य बताया जाता है, लेकिन उस ने अभी तक यील्ड बढ़ाने की दिशा में कोई काम नहीं किया है। हम देखते हैं कि जावा, हवाई और क्यूबा में एक एकड़ में ६ टन शूगर होती है, जब कि हमारे यहां सिर्फ एक डे टन तक होती है। यील्ड बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं बनाई गई है और न ही कोई सुझाव है। खेती के सम्बन्ध में सरकार की कोई व्यापक योजना नहीं है। हां, इंडस्ट्री के सम्बन्ध में है। मैं ने बार बार सरकार का ध्यान दिलाया है कि यह देश एक खेतिहर देश है और यहां पर खेती के बारे में कोई वाज़ेह पालिसी और प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन वह नहीं है। रबी आन्दोलन, खरीफ आन्दोलन चलाए जाते हैं और खाद के गड्ढे खोदे जाते हैं, लेकिन खेती के विकास के लिए कोई ऐसी व्यापक योजना नहीं है कि खेती का स्ट्रक्चर कैसा हो, किसान क्या करें और गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। हम देखते हैं कि इस देश में किसान के साथ स्टैपमदरली ट्रीटमेंट होता है। उस के बारे में यह समझा जाता है कि वह इस समाज का अंश नहीं है,

[श्री मोहन स्वरूप]

बल्कि आकाश से गिर पड़ा है और उस की तरफ तवज्जह देने की जरूरत नहीं समझी जाती है। जैसा कि मैं ने कहा है, इलैक्शन के वक्त तो किसान अच्छा हो जाता है, लेकिन उस के बाद वह बुरा हो जाता है।

रिकवरी बढ़ाने की तरफ भी सरकार का ध्यान नहीं है। १९३४-३५ में १५·२ टन पर-एकड़ की यील्ड गन्ने की थी, जो कि अब घट गई है और १३·७ टन हो गई है रिसेंट स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है कि वह घट कर १३ टन फी एकड़ रह गई है। पैदावार और रिकवरी घट रही हैं, लेकिन उन को बढ़ाने की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है।

सरकार की तरफ से कहा जाता है कि मिल-मालिक बड़ी मुसीबत में हैं। मेरी कांस्टी-ट्युएन्सी में एक मिल पहले से मौजूद है और एक खुलने जा रही है। मुझे मालूम है कि पीलीभीत की शूगर मिल में किसानों का लगभग बीस पच्चीस लाख रुपया बाकी है, लेकिन उस तरफ न तो सरकार और न ही केन डिपार्टमेंट तवज्जह देता है। किसान अजीब मुसीबत में हैं। उन्होंने मिलों में गन्ना डाल दिया है, लेकिन उस का मूल्य उनको नहीं मिला है। इस के अलावा उन के खेतों में जो गन्ना है, उस की पिराई की कोई शक्ल नहीं है।

इस स्थिति में मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह से कैसे काम चलेगा और किसानों की मुसीबत कैसे रफ़ा होगी। अगले साल चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त किसानों की गन्ने की फसल खड़ी हुई है। सरकार का फर्ज है कि वह उस को डालने के लिए इन्तजाम करे और इस सिलसिले में केन डिपार्टमेंट और सूबों की सरकारों को इस तरह के डायरेक्टिव दे कि जो गन्ना इस साल खड़ा है, वह मिलों में ले लिया जाये और उस का मूल्य किसानों को मिल जाये। अगले साल जब सोइंग का समय आयेगा --१५ फरवरी से गन्ना बोने का समय आता है--उस वक्त सरकार कह दे कि गन्ने की फसल कम होनी चाहिए। जब किसान यह समझेगा कि गन्ना नहीं पिराया जा गा, मिलों को नहीं जायेगा, तो वे ख्वाह-म-ख्वाह पैदावार कम कर देंगे। इस तरह से एकड़ेज कम हो जायेगा।

गवर्नमेंट का यह कहना बिल्कुल गलत है कि एकड़ेज ब रहा है। मेरे पास जो फिगर्स हैं, उन से मालम होता है कि १९५९-६० में ५१,७८ हजार एकड़ रकबा था और १९६०-६१ में ५१,५७ हजार एकड़ रह गया। इस से साफ जाहिर है कि रकबा कम हुआ है, जब कि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि रकबा बढ़ गया है। समझ में नहीं आता कि वह कहां के फिगर्स क्वोट कर रहे हैं।

यह कहना कि गन्ना ज्यादा बोया जाता है एक मजाक है। तराई में ऐसे इलाके हैं, जहां कोई फसल अच्छी तरह से नहीं होती है। गे वहां अच्छा नहीं होता है, न काफी बोया जाता है, लेकिन बा से वह तबाह और बर्बाद हो जाता है, वर्षा कम होती है तो सूख जाता है। इस वास्ते गन्ना ही ऐसी फसल है जिस पर सैलाब का असर अधिक नहीं होता है, ओले का या अधिक पानी का असर ज्यादा नहीं पड़ता है। सके उन लोगों को कुछ पैसा भी मिल जाता है और उनके आंसू पूंछ जाते हैं। अगर यह गेहूं बोते हैं, तो तैयार होने पर कभी कभी ओला गिर जाता है और समस्त फसल खत्म हो जाती है। गन्ने की फसल

कैश क्राप है और उनको इससे कुछ पैसा मिल जाता है । सरकार इसको अच्छा नहीं समझती है कि उसको पैसा मिले। सरकार तो यही चाहती मालूम देती है कि किसान भूखा मरता रहे, फाका करता रहे और तबाह और बर्बाद होता रहे । केवल गन्ना ही नहीं बोया जाता है, दूसरे सीरियल्ज भी बोये जाते हैं। गन्ना के मुकाबले में सीरियल्ज कहीं अधिक बोये जाते हैं। गवर्नमेंट के ही स्टेटिसटिक्स में यह बताया गया है । सारे देश को खेती वाली भूमि में केवल एक प्वाइंट कुछ प्रतिशत में गन्ने की खेती होती है और बाकी दूसरे सीरियल्ज की खेती होती है । यह इंतजाम लगाना कि गन्ना ज्यादा बोया जाता है, गलत है और यह कोई माने नहीं रखता है ।

जहां तक शक्कर का संबंध है, जब भी पार्लिमेंट का सैशन होता है, इसका जिक्र आता है, इस पर तजकिरा होता है। मैं चाहता हूं कि इसका कोई मुस्तकिल हल सोचा जाये। शक्कर की कीमतें घटनी चाहियें। वे आज अधिक हैं। खुशी की बात है कि कंट्रोल सरकार ने हटा दिया है। इससे वाकई में शक्कर की कंजम्पशन अधिक होने लगेगी। अगर लोगों को शक्कर न मिले तो वे खायें कहां से लेकर। अब उनको शक्कर मिलने लग गई है तो वे खाने भी लग जायेंगे। अगर यह कहा जाता है कि गांवों के लोग शक्कर नहीं खाते हैं तो यह गलत बात है। अगर उनको शक्कर मिले तब तो वे खायें। सभापति महोदय, आप जानते ही हैं कि जब कंट्रोल था तो दूकानों पर कितनी लम्बी लम्बी लाइनें शक्कर खरीदने वालों की लग जाया करती थीं। कितने ही घंटे लाइनों में खड़े रहने पर भी लोगों को शक्कर नहीं मिलती थी। लोग शक्कर खाते हैं और जैसे जैसे देश की आबादी बढ़ रही है, मेरे ख्याल में शक्कर का कंजम्पशन भी बढ़ेगा।

इसी के साथ साथ हम को दुनिया की मार्किट में अपनी शक्कर को खपाना होगा और इसके लिये मार्किट तलाश करनी होगी। अमरीका की मार्किट हमको मिली थी लेकिन वह भी टैम्पोरेरी मार्किट है। अगर अमरीका का क्यूबा के साथ समझौता हो गया और उसके साथ उसके सम्बन्ध दुरुस्त हो गये तो अमरीका क्यूबा की शक्कर लेगा, हिन्दुस्तान की नहीं। इस वास्ते मैं समझता हूं कि एक्सपोर्ट के लिये हमें मुस्तकिल मार्किट की तलाश करनी होगी। पिछले दिनों मैंने एस० टी० सी० के बारे में एक सवाल पूछा था। एस० टी० सी० ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम विदेशों को शक्कर का एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने पूछा था कि क्या वजह है कि आप पाकिस्तान से और ईरान से अपना फैसला नहीं कर सके हैं कीमत के बारे में और क्यों झगड़ा पड़ा हुआ है। इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि उन देशों ने क्यूबा से फैसला कर लिया और क्यूबा की शूगर लेनी शुरू कर दी। हमको इस काम में ढिलाई नहीं बरतनी चाहिये। जो भी बातचीत हो जल्दी से उसको पूरा करना चाहिये और किसी समझौते पर पहुंचना चाहिये।

रिकवरी और पर एकड़ यील्ड का भी हमें खयाल रखना चाहिये, उस तरफ भी खास तवज्जह देनी चाहिये। यदि ऐसा किया गया तो शूगर का मसला, गन्ने का मसला हल हो सकता है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गन्ना जो खेत में खड़ा हुआ है, उसकी पिराई का बन्दोबस्त आपको करना चाहिये।

श्री रामम्: (नरसापुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो यह बिल इंट्रोड्यूस किया है, इसको देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ है। हमारे देश में १९५८ तक चीनी की कमी

[श्री रामम्]

रही है। लेकिन उसके एक दो साल के बाद ही चीनी का उत्पादन ज्यादा होने लग गया और आज हालत यह है कि हम समझने लग गये हैं कि उत्पादन इतना ज्यादा हो गया है कि इसको खपाया नहीं जा सकता है और हमारे सामने एक भयंकर समस्या उत्पन्न हो गई है। मैं समझता हूं कि हमें इस समस्या की बुनियाद में जाना होगा।

१६५८ के पहले पांच बरसों में हम को ५० करोड़ रुपये का फारेन एक्सचेंज खर्च करके बाहर से चीनी का इम्पोर्ट करना पड़ा है। आज हालत यह हो गई है, जैसा कि मंत्री महोदय बताते हैं कि उत्पादन इतना अधिक हो गया है कि इसको खपाया नहीं जा सकता है।

जो हमारे देश में चीनी की कमी थी, उसको हम कैसे पूरा कर सके हैं, इसकी बात आप सुन लीजिये। माननीय मंत्री जी ने बताया है कि किसानों को गन्ने के जो भाव दिये जाते थे, उसमें तीन आना प्रति मन की बढ़ोतरी किये जाने के फलस्वरूप और साथ ही साथ मिल मालिकों को भी और कुछ फायदा पहुंचा कर, उत्पादन बढ़ा सकने में वह समर्थ हुये हैं। इस सब का नतीजा यह हुआ है कि दो ही साल में हमारे यहां इतनी चीनी पैदा होने लग गई है, कि यह हमारे लिये एक समस्या बन गई है और हमें पता नहीं चलता है कि इसको कैसे डिसपोज आफ किया जाये। माननीय मंत्री जी ने पिछले सैशन में गन्ने के भाव घटाने के लिये एक प्रयोजन रखा था। सौभाग्यवश उस सैशन में उस प्रयोजन को मदद नहीं मिली।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : यह बात नहीं है। उन्होंने यह कहा था कि गन्ने का मूल्य कम करने के लिये मैंने कोई संकल्प रखा था।

†**श्री ब्रजमोहन स्वरूप** : लेकिन आपने तो सभा में सुझाव दिया था।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैंने कभी नहीं कहा था।

श्री रामम् : मेरे पास अखबार के कटिंग हैं जिसमें माननीय मंत्री जी की स्पीच छपी है। माननीय मंत्री जी ने बम्बई में गन्ने के भाव घटाने के बारे में कहा था। इस कटिंग को मैं आपके सामने पेश करने के लिये भी तैयार हूं। इस सदन में भी उसी के ऊपर काफी बहस हुई थी। इसको सभापति महोदय, आप भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं।

लेकिन बाद में क्या किया जाता है, इसको आप देखें। उसको घटाने के लिये आर्डिनेंस जारी कर दिया जाता है और अब एक बिल उसी सम्बन्ध में पेश कर दिया गया है—मेरा ख्याल है कि चीनी तैयार करने के लिये, उसको रेग्युलेट करने के लिये, यह बिल लाया गया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। चीनी आज देश में खप नहीं रही है, तो इसका कारण यह है कि चीनी के भाव बहुत ज्यादा हैं, और उनको नीचे लाया जाये। मैं समझता हूं कि आज देश में उत्पादन को कंट्रोल करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि उत्पादन को और बढ़ाया जाये और उस सबकी खपत देश में हो सकती है। भारत में सभी लोगों को काफी मात्रा में चीनी नहीं मिल रही है। मेरे ख्याल में ३०–४० प्रतिशत से ज्यादा आज हमारे देश में लोग चीनी नहीं खाते हैं। ६०–७० फीसदी लोग हमारे देश में आज भी ऐसे हैं जिनको चीनी नहीं मिलती है। ये लोग चीनी खाना न चाहते हों, ऐसी बात नहीं है। वे चीनी खाना

†मूल अंग्रेजी में

चाहते हैं लेकिन जिस भाव पर वह बिक रही है, उस भाव पर वे इसे खरीद नहीं सकते हैं। ये लोग चीनी खा सकें इसके लिये यह बहुत आवश्यक है कि चीनी के भाव कम किये जायें और साथ ही साथ चीनी के उत्पादन को बढ़ाया जाये।

किसान को गन्ने का जो भाव दिया जा रहा है, उसको घटाने की आपको चेष्टा नहीं करनी चाहिये। जो मुनाफा मिल मालिकों की जेब में जा रहा है, उसको आपको कम करना चाहिये। पिछले सैशन में भी इसके बारे में काफी बहस हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितना अधिक मिल वाले मुनाफा कमा रहे हैं। देश में शूगर फैक्ट्री वाले कितना मुनाफा कमा रहे हैं, इसका हम को ठीक-ठीक पता नहीं है क्योंकि वे ठीक-ठीक एकाउन्ट नहीं रखते हैं, कुछ इनकम टैक्स वालों के डर की वजह से और कुछ जो दूसरे डर हैं, उनकी वजह से। लेकिन आंध्र प्रदेश में एक शूगर फैक्ट्री है जिसका नाम निजाम शूगर फैक्ट्री है। वह बोधन में है। १९६० में ९० लाख का प्राफिट दिखा पाई है। ९० लाख का प्राफिट एक साल में एक शूगर फैक्ट्री को हुआ है। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि मिल मालिकों के प्राफिट्स को घटाया जाये और चीनी की कीमतों को कम किया जाये। अगर दाम घट जाते हैं तो देश में ही शूगर का खर्चा बढ़ जायेगा, शूगर की खपत बढ़ जायेगी। इस वास्ते उत्पादन को कंट्रोल करने के बजाये शूगर के दाम घटाने की तरफ आपको खास ध्यान देना चाहिये।

जो एक्साइज ड्यूटी आपने शूगर पर लगाई है वह भी बहुत अधिक है। माननीय मंत्री जी ने कल बताया है कि शूगर अधिक खाने से सेहत ठीक नहीं रहती है, तन्दुरुस्ती अच्छी नहीं रहती है। मेरी राय इसके बरखिलाफ है। भारत में सभी के लिये, बच्चों और बीमार और वर्कर्स इत्यादि सभी के लिये यह मुफीद है। जो मेहनत करके थक जाता है, उसको थोड़ी शूगर देने से, मिठाइ देने से, शक्कर को पानी में, घोल कर देने से, उसकी थकावट दूर हो जाती है और फिर से वह ताकत का अनुभव करने लग जाता है। मेहनतकश लोगों को आज शूगर नहीं मिलती है। और हम शूगर प्राडक्शन को कम करने जा रहे हैं यह ज्यादा अच्छा होगा कि शक्कर का दाम घटा कर देशी मारकेट में उसको ज्यादा खपाने का प्रबन्ध किया जाये। चीनी खाद्य वस्तुओं में अव्वल दरजे की चीज है। मेरे खयाल से इसके उत्पादन पर रोक नहीं लगानी चाहिये। इसलिये मेरी मंत्री महोदय से विनती है कि वह इस बिल को वापस ले लें। बल्कि किसानों को ज्यादा गन्ना पैदा करने के लिये मदद दी जानी चाहिये।

अगर अभी से चीनी पर कंट्रोल लगाया गया और इसका रेग्युलेशन किया गया तो इसका परिणाम यह होगा कि दो तीन साल में देश में लोगों के लिए चीनी की कमी पड़ जाएगी। इस लिए मेरी मंत्री महोदय से विनती है कि वह इस बिल को वापस ले लें नहीं तो प्रोडक्शन का क्षय होगा। लोगों के लिए चीनी की काफी सप्लाई होनी चाहिए। अभी इसकी काफी सप्लाई नहीं है। इसलिए इस पर रोक नहीं लगानी चाहिए।

सरकार मिल मालिकों का मुनाफा कम नहीं करना चाहती। सरकार खुद ३० परसेंट एक्साइज लेती है और ३० परसेंट मिल मालिक को मुनाफा देती है। किसानों को केवल ४० प्रतिशत मिलता है जब कि मंत्री महोदय कहते हैं कि किसानों को ७० प्रतिशत मिलता है। मैं कहता हूं कि अगर वह इसकी जांच करने के लिए कोई कमेटी नियुक्त करेंगे उनको मालूम होगा कि किसान को ४० पर सेंट से ज्यादा नहीं मिलता। ६० पर सेंट से ज्यादा तो मिल वालों के मुनाफे में और एक्साइज में चला जाता है।

[श्री रामम्]

इसलिए मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय इस बिल को वापस ले लें क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है।

†**श्री टं० सुब्रह्मणयम्** (बल्लारी): कारखानों में तथा भांडारगृहों में भारी भांडार होने तथा उद्योग को स्थिर बनाने तथा जनता की सहायता करने की दृष्टि से मंत्रालय ने आगामी वर्ष में चीनी का उत्पादन नियमित करने के लिये यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस सिलसिले में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि प्रति एकड़ उत्पादन में कमी नहीं होनी चाहिये। तृतीय योजना अथवा किसी अन्य योजना की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ना चाहिये। दक्षिण भारत में प्रति एकड़ उत्पादन उत्तर भारत में व्याप्त प्रति एकड़ उत्पादन की तुलना में अधिक है।

उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में १९५९-६० की अपेक्षा १९६०-६१ में गन्ने का उत्पादन अधिक हुआ है। लेकिन दक्षिण भारत में उत्पादन नहीं बढ़ा है। किन्तु मेरे पास बेल्लारी जिले के रैय्यतों से तार प्राप्त हुए हैं कि वहां प्रतिवर्ष गन्ने का उत्पादन बढ़ रहा है। और दक्षिण भारत के किसानों ने यह सुनिश्चित करने में अत्यन्त रुचि दिखाई है कि उत्पादन बढ़े तथा उन्हें कोई कठिनाई न उठानी पड़े। मेरा निवेदन है कि आने वाले महीनों में निर्यात तथा अन्तर्देशीय खपत बढ़ाने की दशा में प्रयत्न किये जाने चाहियें। हमें अपने वितरण की पद्धति में भी सुधार करना चाहिये। मूल्यों में भी कमी हुई है। यह बात तो अच्छी है लेकिन मूल्यों के मामले में उपभोक्ताओं के हितों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। यदि मूल्यों में गिरावट आये तो इसका लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाना चाहिये तथा दूसरों को नहीं। अंत में मेरा यही निवेदन है कि रैय्यत तथा किसानों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होनी चाहिये।

†**श्री शि० ला० सक्सैना** (महाराजगंज): सरकार ने जब चीनी पर से नियंत्रण हटाया तो मुझे प्रसन्नता हुई लेकिन जब उसने अध्यादेश जारी किया तो मुझे दुख हुआ क्योंकि चीनी संकट को दूर करने का यह साधन नहीं है।

विधेयक में कहा गया है कि चीनी के उत्पादन में १० प्रतिशत की कमी की जायेगी। इसका अभिप्राय यह होगा कि ८½ करोड़ मन गन्ना नहीं पेरा जायेगा। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यह गन्ना खंडसारियों द्वारा उपयोग में लाया जायेगा। लेकिन इस सिलसिले में मेरा निवेदन है कि यदि सरकार खंडसारी उद्योग को उन्नत होते देखना चाहती है तो उसे उत्पादन शुल्क को तुरंत हटा देना चाहिये ताकि गन्ना पेरने वाली चालू ऋतु में कम से कम १७ करोड़ मन फालतू गन्ने के कुछ भाग को तो अवश्य पेर सके। उत्तर प्रदेश में बहुत सी मिलों ने अभी तक गन्ना पेरना शुरू नहीं किया है। इस वर्ष वे एक महीना लेट हो गयी है यदि स्थिति यही रही तो, और इस सम्बन्ध में कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई तो मार्च के महीने में गन्ने के मूल्य बहुत कम हो जायेंगे जब तक कि सारा गन्ना पेरा जा चुका होता है। यह गन्ना उत्पादकों के प्रति बहुत अन्याय होगा। सरकार चाहे तो आश्वासन दे सकती है कि गन्ने का मूल्य ऋतु के अन्त पक स्थिर रखा जायेगा तथा कारखाने वालों को जून तक गन्ना पेरने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। केवल तभी खेतों में उगा सभी गन्ना पेरा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में बेचारे गन्ना उत्पादक सदैव मिल मालिकों पर निर्भर करते हैं।

†मूल अंग्रेजी में

यदि पहले का गन्ना पेरा ही नहीं जाता तो यह उनके प्रति विश्वासघात होगा । सरकार गुड़ के मूल्यों को रक्षित करने के लिये भी कुछ करे। उसने ऐसा केवल चीनी के सम्बन्ध में ही किया है। खंडसारी तथा गुड़ चीनी उद्योग के लिये संरक्षण के साधन हैं अतः हमें उन्हें अवश्य ही रक्षित करना चाहिये। खंडसारी के उत्पादन मूल्य को कम किया जाना चाहिये। अन्त में मेरा निवेदन है कि अच्छा तो यही होगा कि सरकार इस अध्यादेश को वापस ही ले ले।

श्री रामजी वर्मा (देवरिया) : सभापति महोदय, अपोजीशन से अथवा सरकारी बेंचेज की तरफ से जिन भाइयों ने इस विषय पर बोला है उन सब ने गन्ने की काश्त करने वालों के इंटरैस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए सरकार से कहा है। सबने इस चीज के ऊपर जोर दिया है कि केनग्रोअर्स का जो गन्ना खेतों में तैयार खड़ा है वह वैसे ही खड़ा न रह जाय और उन्होंने कहा है कि उस तमाम गन्ने को खपाने का आश्वासन मंत्री महोदय को अवश्यक देना चाहिए।

सरकार के इस आर्डिनेंस का परिणाम यह हुआ है कि किसानों में शंका हो गई है कि यह जो शूगर के प्रोडक्शन में दस फीसदी की कटौती की जायगी तो उसी प्रपोरशन से गन्ना पेरने के परसेंटेज में भी कमी हो जायगी । अब इसके लिए केन डेवलपमेंट की जो सरकार ने मशीनरी खड़ी की है उसने इसके लिए गांवों में पड़ताल करनी शुरू कर दी है : अब पड़ताल में वह किसानों को तरह तरह से हैरेस करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारा इतना ही गन्ना लेंगे। देवरिया जिले जहां से कि मैं आता हूं वहां पर १४ चीनी की मिलें हैं और वहां पर केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाले इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि पिछले पांच सालों में जो तुमने गन्ना बोया था उसका एब्रेज क्या है । उतना गन्ना हमले लेंगे बाकी तुम्हारा पड़ा रहा जायगा। मैं समझता हूं कि हमारे अपोजीशन में और सरकारी बैंचेज पर बैठने वाले सब लोग इस बात को जानते हैं कि गर्नमेंट मशीनरी कितनी करप्ट है और इस जांच पड़ताल के बहाने वह अर्थ सरकारी मशीनरी आज किसानों से क्या सलूक कर रही है। उनके जिम्मे यह काम है कि वह यह तय करें कि कितना परसैंट गन्ना मिलों में जायेगा और कितना गन्ना किसान का खेत में बेकार खड़ा रह जायगा और जाहिर है कि किसान इस बात के लिए बहुत उत्सुक है कि उसका ज्यादा से ज्यादा गन्ना शीघ्र बिक जाये और उस दस परसेंट कट के बाद जितना उसका प्रपोरशन होता है छिपा दे। किसान को आज इस आशंका को लेकर बड़ी परेशानी हो रही है कि कहीं उसका काफी गन्ना खेत में पड़ा ही न रह जाय। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से यह अनुरोध है और जैसा कि अन्य सदस्यों ने भी कहा है और नेशनल इंटरैस्ट का भी तकाजा है कि हम चीनी का उत्पादन बढ़ायें। चूंकि मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं उसमें अधिक नहीं जाऊंगा लेकिन मैं एक चीज साफ तौर से कहना चाहता हूं कि जब हमारे किसान भाई किसी तरह से चीनी के लिये गन्ने की पैदावार बढ़ाते हैं तो आप उनको इस प्रकार से निरुत्साहित न कीजिए । ऐसे मौके पर जबकि खेतों में गन्ना तैयार खड़ा है और सीजन शुरू हो गया है उस समय यदि इतनी प्रचंड कटौती का आर्डिनेंस लागू किया जायगा तो इसको लेकर किसानों में बड़ी परेशानी और असन्तोष फैलेगा। मैं समझता हूं जैसे और एक मेम्बर साहब ने कहा कि आम चुनाव नजदीक हैं और सन् १९६२ में सरकार बदलेगी तो आपके खुद के इंटरैस्ट में है कि किसानों को इस तरह से बर्बाद न होने दें क्योंकि जाहिर है कि इसको लेकर उनमें आपके प्रति बड़ा असन्तोष फैलेगा। अलबत्ता यदि आपकी खुद यह शंका हो कि पता नहीं

[श्री रामजी वर्मा]

कौन सरकार चुनावों के फलस्वरूप आये और उसके आने के पहले ही हम किसानों को हजामत बना दें तब तो दूसरी बात है और आप इसको कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा यह स्वयं आपके हित में है और देश के हित में है कि आप यहां पार्लियामेंट के फ्लोर से इस बात का साफ तौर से ऐलान करें कि कहीं पर भी एक भी गन्ना खेत में बेकार नहीं पड़ा रहने दिया जायगा और तमाम गन्ने को पिरवा दिया जायगा।

जहां तक चीनी के प्रोडक्शन का सवाल है आप कहते हैं कि उसका उत्पादन बहुत अधिक हो गया है और हमारी चीनी के लिए वर्ल्ड मार्किट नहीं मिल रहा है और साथ ही हम अपने देश में भी उसकी खपत नहीं बढ़ा पा रहे हैं इसलिए चीनी का प्रोडक्शन कम किया जाय और आप उस पर यह बन्दिशें लगा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज भी हमारे देश में उतनी चीनी अन्दरूनी खपत के लिए उपलब्ध नहीं है जितनी कि हिन्दुस्तान की आबादी को देखते हुए होनी चाहिए। चीनी का दाम इतना रक्खा है कि गरीब गांव के रहने वाले उसको खा नहीं पाते। अब आज आपके लिए खाली यह कह देना कि हमारे देश के गरीब गांव वालों की चीनी खरीदने की कैपेसिटी नहीं है काफी नहीं है क्योंकि अगर उनकी पर-चेजिंग कैपेसिटी नहीं है तो उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी भी तो आप पर ही आती है। आज हकीकत यह है कि हमारे मुल्क में इतनी चीनी पैदा नहीं होती है कि हम तमाम अपने देश-वासियों को उसे खिला सकें। एक भाई ने जैसे कहा कि चीनी खाना केवल अमीर लोगों के लिए ही नहीं बल्कि मजदूरों के लिए भी जरूरी है मैं भी उसको मानता हूं कि सबको चीनी खाने को मिलनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि प्राडक्शन के लिये जिम्मेदारी मिल-मालिक, कैपिटलिस्ट्स और सरकारी मशीनरी की है। यू० पी० में केन डेवेलपमेंट सोसाइटी हैं। स्टेट्स में केन पर सेस लिया जाता है ताकि गन्ने का विकास किया जाये और उस को प्राडक्शन बढ़ाई जाये, लेकिन वह प्राडक्शन और योल्ड बढ़ानेयमें कहां तक सहायक हुआ है, यह आप जानते हैं और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। करोड़ों रुपया स्टेट्स से डेवेलपमेंट के लिये आता है और सरकारी रेवेन्यू बनता है, लेकिन फिर भी डेवेलपमेंट का महकमा एक छटांक गन्ना भी बढ़ा नहीं सका है। जो डेवेलपमेंट हुआ है, या उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, वह किसानों के द्वारा उसकी मेहनत से हुई है। पंच-वर्षीय योजनाओं के द्वारा कृषि का एरिया बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है और इस सम्बन्ध में जो सफलता हुई है, उस पर हम गर्व करते हैं, लेकिन गंवार किसानों के द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर हम ऐसे पग कदम उठा रहे हैं, जिनसे उन को हानि हो होगी।

जहां तक शगर फ़ैक्ट्रियों का प्रश्न है, वे पच्चीस तीस बरस से प्राडक्शन में लगी हुई हैं। उनका का स्टग्राफ प्राडक्शन कम होना चाहिये, लेकिन उनकी चोनी महंगाई होती है, जिसकी वजह से हम किसी बाहर को मार्केट में नहीं जा सकते। जब किसानों ने किसी तरह से प्राडक्शन बढ़ा दिया है, तो उनको आश्वासन देना चाहिये और उनको एनकरेज करना चाहिये। जिन लोगों ने प्राडक्शन बढ़ाने में रुकावट डाली है, उनको पनिशमेंट मिलना चाहिये।

अन्त में मैं फिर कहना चाहता हूं कि आर्डिनेंस से जो हवा फैली है, सरकार को उसका विचार करना चाहिये और इस तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिये। बिल नहीं आना चाहिये अगर इसके बावजूद सरकार ग़लती करती है, तो ज़िम्मेदारी उसकी होगी। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको समय से चेता दें।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि इस प्रस्ताव पर होने वाली बहस में हिस्सा लेने वाले सभी वक्ताओं ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की है कि इस तरह के कानून से देश के किसानों का अहित होगा। मैं विश्वास करता हूं कि खाद्य मंत्री महोदय सदन को इस चिन्ता से अवगत हो गए होंगे। सदन में सर्व-सम्मति से, बिना राजनैतिक भेदभाव के कांग्रेस पार्टी और विरोधी दल के सदस्यों ने यह आशंका प्रकट की है कि यदि इस आर्डिनेंस को कानून की शक्ल दी जाती है, तो देश के किसानों का बहुत बड़ा अहित होगा। कम से कम उन किसानों का जरूर नुक्सान होगा जिन्होंने इस ख्याल से कि मिलें गन्ना खरीदेंगी, अपने खेतों में गन्ना बोया हुआ है। सरकार की ओर से शूगर के प्राडक्शन में दस परसेंट कमी--जिसको माननीय सदस्य के अनुसार फिलहाल चार परसेंट कर दिया गया है--होने से उन लोगों का बहुत सा गन्ना पड़ा रह जायगा। इस सारी बहस के निचोड़ को देखते हुये खाद्य मंत्री महोदय के लिये एक मजबूत केस हो गया है कि वह यह कानून न लायें और हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लें। इससे उन करोड़ों किसानों को आश्वासन मिलेगा, जिन्होंने अपने खेतों में गन्ना बोया हुआ है और जिनको आशंका हो गई है कि उनका गन्ना रह जायगा। जैसा कि श्री रामजी वर्मा ने कहा है, दस परसेंट काटने का जो हुक्म है, उससे किसानों को चिन्ता हुई है कि उनका कौन सा गन्ना रह जायगा और इसकी पड़ताल हो रही है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाये और इस कानून को वापस ले लिया जाये। जब किसानों को इस विषय में सूचना होगी, तो वे आगे के लिये, उसी के मुताबिक अपनी फसल को नियत करेंगे और उनका नुक्सान नहीं होगा। बिना सूचना दिये हुए यह कानून बनाना किसानों के हित में नहीं होगा।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से फिर निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें और इस बिल को वापस ले लें।

†**श्री स० का० पाटिल** : जिन माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है उन्होंने यह चिंता व्यक्त की है जो गन्ना आज कल खेतों में खड़ा हुआ है उसका उपयोग यदि चीनी बनाने, खंडसारी अथवा गुड़ बनाने के काम न आया तो लगभग ५० लाख किसानों का क्या हाल होगा। मैं यह कभी नहीं देख सकता कि यह खड़ी हुई फसल किसी भी रूप बर्बाद हो जाये। अगर मान लीजिये कि किसी तरीके से किसान की बर्बादी होती है तो उसके बचाने के लिये कुछ न कुछ किया जायेगा। इस समय मैं जो कुछ काम कर रहा हूं वह उनको बर्बाद करने के लिये नहीं बल्कि उनको बचाने के लिये ही कर रहा हूं। अब मैं आपको वह स्थिति बताऊंगा कि अगर यह विधेयक न बना तो क्या स्थिति होगी।

हमारे पास आजकल १२ लाख टन चीनी का भांडार है। अगर इस वर्ष कुछ न किया गया या यह अधिनियम बनाया गया तो इस चालू वर्ष में चीनी का ३३ लाख टन से अधिक ही उत्पादन होगा हमारी खपत अधिक से अधिक २३ या २४ लाख टन है अर्थात् इस प्रकार हमारे पास लगभग १० लाख टन चीनी बच जायेगी। इस प्रकार कुल बचत २२ लाख टन होगी जिसका मूल्य उत्पादन शुल्क को निकाल कर १५४ करोड़ रुपये होता है। अब सोचिये कि क्या यह उचित है कि इतना रुपया व्यर्थ ही ब्लाक करके रखा जाये। यह संभव हो सकता था कि बशर्ते कि यह चीनी आगामी तीन या चार-वर्षों में खतम हो जाती।

मेरा विचार है कि इस बारे में सभा में कोई मतभेद नहीं है कि सरकार को गन्ने की खेती के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्रफल को विनियमित करने के अधिकार मिलने चाहिये। और ऐसा करना आवश्यक है। यह बात दूसरी है कि यह आप कब करते हैं। यह अभी क्यों किया गया, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। यह इसलिये किया गया कि यदि यह नहीं किया जाता तो इसका

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० का० पाटिल]

प्रभाव दूसरी फसलों पर भी पड़ता तथा असलियत तो यह है कि देश में भूमि उपलब्ध नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां भूमि के सब से अधिक भाग में अर्थात् ४१ प्रति शत भाग में खेती की जाती है। गन्ने का अधिक उत्पादन कपास की फसल पर प्रभाव डालता है।

मैंने यह अधिनियम किसानों को दंड देने के लिये नहीं अपितु कारखानों में अधिक भांडार जमा हो जाने तथा कारखानों का रुपया फंस जाने के कारण प्रस्तुत किया है। किसान को कष्ट तो तब होता है जब कि उसे गन्ने का मूल्य भी न मिले, आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जब कि उसे गन्ने का मूल्य मिलना भी कठिन है। किसानों को इस प्रकार की कठिनाइयों से बचाने की दृष्टि से ही मैंने यह किया है। चाहे निर्णय की घोषणा का समय कुछ भी हो, यह स्पष्ट है कि बुआई तथा पेरने में २ या ३ वर्ष लग जायेंगे। परन्तु सभा इस सिद्धान्त को मानले कि सरकार को एकड़ संख्या के विनियमन के सम्बन्ध में शक्ति प्राप्त होनी चाहिये।

यह बात ठीक है कि शुरू में मैंने अधिक गन्ना उत्पादन करने की बात कही थी—लेकिन इसका उद्देश्य यही था कि चीनी बनाने के लिये कुछ अधिक गन्ना प्राप्त होने लगे किन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं था १० लाख अधिक एकड़ भूमि में गन्ना उत्पादन किया जाने लगे। मैं यह मानता हूं कि किसानों के हितों की रक्षा की जाने लगे। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वह अधिक भूमि में गन्ना उत्पादन करे। यदि प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि हुई होती तो कोई कठिनाई नहीं थी। अधिक एकड़ भूमि में गन्ना उत्पन्न करके गन्ना अधिक उत्पादन करना एक बात है और प्रति एकड़ अधिक गन्ना उत्पादन करना दूसरी बात है। इन दोनों स्थिति में बहुत अन्तर है।

अब सवाल तो यह है कि क्या इस में १५४ करोड़ रुपया फंसा कर रखना उचित है। वैसे हम अधिक से अधिक निर्यात करने का प्रयत्न करेंगे किन्तु प्रश्न यह है कि कौन खरीदेगा। यह बात ठीक है कि हमें अपने देश में अधिक से अधिक चीनी की खपत करनी चाहिये। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्रों में यह प्रचार करें कि चीनी की खपत अधिक से अधिक मात्रा में की जाये। चीनी की खपत अपने देश में कुछ बढ़ी है। अब सवाल यह है कि चीनी का मूल्य उत्पादन शुल्क आदि के कारण काफ़ी अधिक बढ़ गया है। यह शुल्क १३ रुपये प्रतिमन के हिसाब से बढ़ा है। अब मैं इस प्रश्न पर विचार कर रहा हूं। लेकिन कठिनाई यह है कि क्या यह संभव हो सकेगा कि उत्पादन शुल्क में कमी हो सके। यही कठिनाई है। चीनी पर उत्पादन शुल्क में कमी करने का सवाल वित्त मंत्रालय से मिल कर विचाराधीन है। यदि चीनी के परिवहन को अधिक गति से करना सुनिश्चित हो सके तो इस शुल्क के कमी के फलस्वरूप हानि के अतिरिक्त खपत पर लगे शुल्क द्वारा किया जा सकता है योजना को पूरे दिल से समर्थन प्राप्त होगा। हम सोच रहे थे कि राज सरकारों को न केवल गन्ने की एकड़ संख्या अपितु अन्य फसलों की एकड़ संख्या को विनियमित करने के भी अधिकार होने चाहिये ताकि दो प्रकार की फसलों में परस्पर कोई हानिकारक प्रतियोगिता न हो। उत्पादन शुल्क बढ़ाने से निश्चय ही गन्ने के उत्पादन पर रोक लगेगी। चीनी मिलें कम गन्ना पेरेंगी। जहां तक इस वर्ष का सम्बन्ध है प्रत्येक स्थान की स्थिति को ध्यान में रख कर निर्णय किया जायेगा। उत्तर बिहार तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के बारे में विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा क्योंकि इन स्थानों का ६० प्रतिशत गन्ना चीनी बनाने के काम आता है।

जहां तक चीनी की स्थिति का सम्बन्ध है आतंक का कोई कारण नहीं है। यह एक केवल समर्थकारी विधेयक हैं। इस समय जो कुछ करना अपेक्षित है उसे आने वाले चुनावों का विचार नहीं होना चाहिये।

विधेयक के अन्तर्गत जो अधिकार दिये गये हैं उसके द्वारा नियम बनाये जाने हैं। उसमें भी हमने गुंजाइश रखी है, जिस पर कुछ सख्ती होती हो वह हमें बताये हम उसे पूरा संरक्षण देंगे। कोई असामान्य स्थिति भी कहीं पैदा होगी तो उसका पूरा ध्यान रखा जायेगा। परन्तु हमें यह भी देखना है कि यदि इस प्रकार गन्ने का उत्पादन बढ़ता ही गया तो इतनी चीनी हो जायेगी कि उसे सम्भालना कठिन हो जायेगा। मेरा निवेदन यह है कि इस दिशा में कोई मतभेद नहीं कि सरकार को गन्ने की खेती के अन्तर्गत भूमि के क्षेत्रफल को विनियममित करने का अधिकार मिलना ही चाहिए। ऐसा न किया गया तो इसका प्रभाव अन्य मामलों पर पड़ेगा। इस बात की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि देश में भूमि भी उपलब्ध नहीं है। जहां तक चीनी की स्थिति का सम्बन्ध है मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भयभीत होने का कोई कारण नहीं। यह विधेयक केवल समर्थकारी विधेयक है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा २९ सितम्बर, १९६१ को प्रख्यापित चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश, १९६१ (१९६१ का अध्यादेश संख्या ३) को अस्वीकार करती है।"

सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में ९ और विपक्ष में ९६

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

संकल्प अस्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जनसाधारण के हित में चीनी के उत्पादन का विनियमन और किसी कारखाने द्वारा इस योजन के लिए निर्धारित अम्यंश से अधिक तैयार की गई चीनी पर विशेष उत्पादन शुल्क लगाने और उसे वसूल करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ८ तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ से ८ तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री स० का० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाय।"

†**श्री सिंहासन सिंह** : यदि सरकार का यही विचार है कि चीनी मिलों को गन्ना पेरने के लिए विवश किया जायेगा तथा खेतों में कुछ खड़ा नहीं होने दिया जायेगा तो विधेयक में इस अभिप्राय का कोई उपबन्ध रखा जाये। वर्तमान उपबन्धों में कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। इसका परिणाम यह होगा कि मिलें निश्चित अभ्यंश से अधिक मात्रा को न पेलने में सतर्क रहेंगी।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं मंत्री महोदय को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर राज्य का कुछ नियंत्रण होना चाहिए। इस बारे में मेरा निवेदन एक यह भी है कि विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के--विशेषतः भूमि--सम्बन्ध में हमारे देश में बड़ा असंतुलन विद्यमान है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस समय केवल ४ प्रतिशत भू-भाग में भूसा पैदा होता है। मेरा विचार यह है कि इसके लिए कम से कम १० प्रतिशत भूमि सुरक्षित रखी जानी चाहिए। यदि हम अपने पशु धन में और दूध के उत्पादन के सम्बन्ध में स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो ऐसा करना बड़ा आवश्यक है। मेरा तो यह मत है कि राज्यों में खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं के सन्तुलित उत्पादन सम्बन्धी अधिकार मिलने चाहिएं ताकि देश की अर्थ व्यवस्था में सुधार हो सके। इस दृष्टि से ही मैं ने मंत्री महोदय को मुबारकबाद दी है।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, कई दोस्तों ने इस कानून के बारे में जो डर जाहिर किया है, वह इसलिए नहीं कि वे कोई किसानों की हमदर्दी में ज्यादा भाषण दे रहे हैं, बल्कि जो कुछ उन्होंने कहा है, वह आने वाले चुनाव के बारे में अन्दाज लगा कर कहा है। इसीलिये बावजूद चेयरमेन के प्रार्थना करने पर उन्होंने चाहा कि इस बारे में जरूर गिनती की जाये। और डिवीजन हो, हालांकि वे सिर्फ नौ माननीय सदस्य थे।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं--कौन नहीं जानता --कि जब से श्री एस० के० पाटिल मंत्री बने हैं, उन्होंने एक रुपया सात आने के बजाये एक रुपया दस आने फी मन के दाम गन्ने के किसान को दिलाये। गन्ने की तरक्की के लिए और किसान के फायदे के लिए उन्होंने सेस को कम किया। अगर किसान के फायदे के लिये आज वह यह समझते हैं कि इस बिल को पास किया जाये और यह कदम उठाया जाये, तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान का किसान उनकी सलाह को मानेगा और इस बात का उनके दिल में ख्याल रहेगा। जैसा कि उन्होंने कहा है, वह अपने हाथ में अख्तियार रख रहे हैं।

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि जहां तक शूगर कोआपरेटिव फैक्ट्रीज का सम्बन्ध है, उन पर कटौती न लगाई जाये। इसी तरह से वाटरलागड एरियाज में, खास तौर पर पंजाब के वाटरलागड एरिया में, जहां गन्ने के सिवाये कुछ पैदा नहीं हो सकता, जो कारखाने चलते हैं, वहां भी कटौती न लगाई जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे पूरी उम्मीद है कि किसान के गन्ने को वह बचायेंगे और किसानों का नुक्सान नहीं होने देंगे ।

इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में संकल्प

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन में इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा होगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड की वर्ष १९५९-६० के वार्षिक प्रतिवेदन और समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा पर, जो १० मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

मैं चर्चा को आरम्भ तो कर रहा हूं परन्तु दुविधा में हूं। आज देश में तेल सम्बन्धी जो स्थिति है वह लगभग हरेक को ज्ञात है । मेरा मत यह है कि सरकार ने देश में तेल की खोज सम्बन्धी सम्भावनाओं के बारे में कोई सूचना नहीं दी । न ही उसके शोधने और वितरण के बारे में ही कोई नवीनतम सूचना दी है। जैसे कि हम अन्दमान तथा देश के कुछ दूसरे भागों सम्बन्धी स्थिति को नहीं जानते हैं। तेल की खोज के मामले में जम्मू और काश्मीर राज्य प्रायः उपेक्षित रखा गया है । मेरी यह मांग है कि लोगों को इस दिशा में पूर्ण जानकारी देने वाला एक विवरण दे कर सूचित किया जाना चाहिए। मुझे यह बात कहने में संकोच नहीं कि इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड का दूसरा प्रतिवेदन बहुत भद्दे ढंग से तैयार किया हुआ अपर्याप्त दस्तावेज है । इससे कुछ भी हासिल नहीं होता ।

इस दिशा में मुझे यह बात बड़ी आश्चर्यजनक दिखाई दे रही है कि समवाय के प्रबन्ध संचालक बड़ी तेजी के साथ बदल दिये जाते हैं। मेरा मत यह है कि यदि हम उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं जो कि हमने अपने समक्ष रखे हैं तो हमें इस प्रथा को शीघ्रातिशीघ्र बन्द कर देना चाहिए इससे बहुत उलझनें पैदा हो रही हैं। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सभा को गौहाटी तथा बरौनी तेल शोधन कारखानों से सम्बद्ध विभिन्न कारखानों में जो प्रगति हुई उसके बारे में वास्तविक जानकारी दी जाये, और उसके विविध अंगों की प्रगति से सूचित किया जाये। बारूनी तेल शोधक कारखाने सम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन हुआ, इस के बारे में भी प्रकाश डाला जाय । यह भी बताया जाये कि सोमान और कर्मचारियों को भर्ती के सम्बन्ध में स्थिति क्या है ?

तेल की खोज के कार्य को तेल के शोधन और वितरण के कार्य से अलग रखा जाना चाहिए था । इस बारे में जो निर्णय किया गया है वह ठीक ही है और मैं स्वागत करता हूं । आप लोगों की राय भी यही थी अतः इस निर्णय को लोगों की इच्छा के अनुरूप ही कहा जाना चाहिये । परन्तु मेरा विचार है कि जिस गति से हम प्रगति कर रहे हैं वह सन्तोषजनक नहीं । यदि हमारे विस्तार की गति यही रही तो मुझे भय है कि हमारी बढ़ रही आवश्यकतायें पूरी नहीं ही पायेंगी ।.इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए। सरकार यदि इस दिशा में कुछ कार्यवाही कर रही हो तो उसे बताया जाना चाहिए। तेल के सम्बन्ध में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

हमें शीघ्र ही आत्मनिर्भरता की स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। इस मामले में हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरे देशों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। देश में तेल उद्योग के विकास के लिए उत्तरोत्तर प्रयत्न होने चाहिएं। और हो सके तो इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाना चाहिए।

इन शब्दों से मैं प्रतिवेदन को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव (खम्मम्) : मैं इस बात से पूर्णत: सहमत हूं कि प्रस्तुत प्रतिवेदन में पर्याप्त जानकारी नहीं दी गयी है। इसके अतिरिक्त जो समीक्षा सरकार द्वारा की गयी है वह भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें भी जानकारी का नितान्त अभाव है। इस दिशा में मेरा निवेदन है कि हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिवेदन के प्रति उन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है जो यहां कि शोधनशालाओं के विदेशी मालिक हैं। इसके साथ ही हमें इस प्रतिवेदन के प्रसंग में तेल के मूल्यों सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखना चाहिए।

दो शोधनशालाओं का प्रतिवेदन में उल्लेख हैं। इनके बारे में स्थिति यह है कि नूनमती तेल शोधक कारखाने का काम विलम्ब से शुरू होगा क्योंकि पाइप-लाइन डालने में विलम्ब हो रहा है। बरौनी तेल शोधक कारखाने का काम १९६४ में शुरू होना है। आइल इंडिया के साथ किये गये अलाभप्रद करार के फलस्वरूप इस कारखाने को ३ करोड़ रुपये का घाटा होने की आशंका है। सरकार बताये कि क्या वह निर्धारित कार्यक्रम को नियत समय में पूरा कर सकेगी। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि "इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड" बहुत ही धीमी चाल से चल रही है। जितनी गति से काम होना चाहिए उतनी गति से हो नहीं रहा है। दूसरी ओर अवस्था यह है कि विदेशी समवाय अपनी क्षमता को बढ़ाते चले जा रहे हैं। सरकार को इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को यह सब मालूम है कि विदेशी समवाय यह सब किस प्रकार कर पा रहे हैं।

गुजरात के तेल शोधक कारखानों को 'इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड' के नियन्त्रण से बाहर रखने के क्या कारण हैं? खम्भात–बम्बई पाइप लाइन पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है परन्तु मेरा मत है कि परियोजना अलाभप्रद सिद्ध हो सकती है। मेरा अनुरोध तो यह है कि इसे तीसरी योजना के अन्त तक स्थगित कर दिया जाय। मैं सरकार से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सरकार विदेशी तेल शोधक कारखानों से प्राप्त कुछ कमीशन के बदले में उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने देती है? इसके साथ ही मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूँ कि इस दिशा में दक्षिण भारत की उपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा। दक्षिण भारत में भी एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने की ओर सहानुभूति के साथ विचार किया जाना चाहिए। मैं तो यह मांग करना चाहता हूं कि सभी विदेशी तेल समवायों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय ताकि इस दिशा में रास्ता साफ हो जाय यदि सरकार को ऐसा करने का साहस नहीं तो उसे सरकारी क्षेत्र की शोधनशालाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : तेल के बारे में मैं एक बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह कि हमें यह निश्चित करना चाहिए कि तेल उद्योग में एकाधिकारी हितों का अस्तित्व न रहे और सरकारी क्षेत्र में तेल उद्योग का अधिक से अधिक विकास हो। मैं बड़े जोरदार शब्दों में सरकार से मांग करूंगा कि यदि विदेशी तेल समवाय दामले समिति की सिफारिशें कार्यान्वित न करें तो सरकार को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के उपबन्ध काम में लाने चाहिएं। तेल के वितरण के लिए भी समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

मुझे इस बात का काफी सन्तोष है कि एक जनवरी, १९६२ को नूनमती तेल-शोधक कारखाने का उद्घाटन हो रहा है। परन्तु उसे पाइप-लाइन डाली जाने तक अर्थात् अगली १५ मई तक नहरकटिया से तेल के परिवहन के लिए रेल पर निर्भर रहना होगा। इससे कठिनाइयां उत्पन्न होने की आशंका है कि बावजूद आश्वासनों के रेलवे के लिए परिवहन की व्यवस्था करना सम्भव न हो। मेरा विचार यह भी है कि नहरकटिया के अशोधित तेल के बारे में सरकार ने बर्मा शैल कम्पनी के साथ जो करार किया है उससे हमें हानि होगी। नूनमती तेल शोधक कारखाने को अपने काम के प्रारंभिक ३ वर्षो में ३ करोड़ रुपये का घाटा होने की सम्भावना ह ।

एक अन्य बात बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। और वह यह कि नूनमति से बरौनी तेल शोधक कारखाने तक डाली जाने वाली पाइप—लाइन कहीं कहीं ऐसे स्थानों से होकर जायेगी जो पाकिस्तान की सीमा से पांच मील की दूरी पर स्थित है। पाकिस्तान के साथ हमारे वर्तमान सम्बन्धों को देखते हुए यह एक खतरनाक बात है, यदि पाइन-लाइन अब हटाई नहीं जा सकती तो पाइप-लाइन की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। नूनमती तेल शोधक कारखाने में सेवायोजन के बारे में न कोई नीति है और न कार्यक्रम। वहां औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प भी कार्यान्वित नहीं किया गया है। सरकार को यह देखना चाहिए कि यदि कोई मजदूर वहां नौकरी से हटा दिये गये हों तो उन्हें किसी अन्य स्थान पर रोजगार दिलाने में सहायता की जाय।

[श्री मूल चन्द दुबे पीठासीन हुए]

एक बात पर हमें बिलकुल निश्चित रहना चाहिए वह यह कि हमें विदेशी तेल समवायों को स्पष्टतः यह बता देना चाहिए कि उन्हें अपनी नीति और कार्यक्रम हमारे देश की राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार बनाये। मैं तो इस मत का हूं कि समूचे तेल उद्योग का ही राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बरसाट) : मेरे विचार में आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। मेरे विचार में तेल शोधनशालायें और हिन्दुस्तान. स्टील यह सरकारी क्षेत्र के दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण उपक्रम हैं। इस विषय पर चर्चा करते हुए हमें दो-तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

प्रथम बात यह है कि जब तक नूनमती से नहरकटिया तक पाइप—लाइन डालने का कार्य पूरा नहीं होता तब तक सरकारी क्षेत्र को तेल में घाटा उठाना ही पड़ेगा। यह

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

जानकर आश्चर्य होता है कि "आयल इंडिया" द्वारा इंडियन रिफाइनरीज को जो अशोधित तेल बेचा जायेगा उसका मूल्य भारत में उत्पादन की लागत के अनुसार नहीं वरन् "पर्शियन गल्फ" में विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने आयल इंडिया के साथ किये गये करार में उसे पूंजी पर १३ प्रतिशत लाभ देने की गारन्टी दी है। इसके परिणामस्वरूप, नूनमती तेल शोधक कारखाना जब तक अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन न करे तब तक तीन करोड़ रुपये का घाटा रहेगा।

मुझे इस बात पर बहुत ही रोष है कि दामले समिति की सिफारिशों के असन्तोषजनक होते हुए भी विदेशी तेल समवाय उन्हें लागू नहीं कर रहे हैं। और इससे भी आश्चर्य इस बात पर है कि जब तक तेल उन्हें तेल की अधिक मात्रा का शोधन नहीं करने दिया जाता तब तक वे हमें बता देने के लिए भी तैयार नहीं है। इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अशोधित तेल आसानी से मिलने लगा है अतः हमें अपने सभी तेल-शोधक कारखानों को चलाने के लिए सभी सम्भव कदम उठाने चाहिएं और इस मामले में आत्म निर्भर हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे कि सरकार यह बताये कि गुजरात स्थित तेल-शोधक कारखाने को इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के अन्तर्गत क्यों नहीं रखा गया है। आगे से इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि तेल शोधक कारखानों के प्रतिवेदनों में अधिक जानकारी दी जानी चाहिए। मैं अपने से पूर्व वक्ताओं का समर्थन करती हूं कि देश में तेल का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा है प्रतिवेदन में बहुत कम जानकारी दी गयी है। और तेल शोधक कारखानों के प्रतिवेदनों में अधिक जानकारी दी जानी चाहिये। मेरा निवेदन है कि तेल का मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन व लगी पूंजी का उचित ध्यान रखा जाये। हमें यह भी समझ लेना चाहिये कि आयल इंडिया के साथ किये गये करार से हमें लाभ नहीं होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विदेशी तेल समवायों में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञ भारतीय इंजीनियरों को पूरी प्रविधिक जानकारी दे।

मेरी इच्छा तो यह है कि हमें विदेशी तेल समवायों द्वारा उत्पादित तेल की कोटि का तेल उत्पादन करे। कोई कारण दिखाई नहीं देता कि हम ऐसा न कर सकें। परन्तु इस दिशा में हमें कुछ सचेत रहना चाहिये। तेल के मूल्य के बारे में अन्य देशों से वार्ता आदि करने में शीघ्रता से काम नहीं लेना चाहिये। दामले समिति के बारे में बहुत कुछ कहा गया है परन्तु मुझे पूरी आशा है कि सभी विदेशी समवाय दामले समिति की सिफारिशों को लागू कर देंगे। इस बारे में सरकार को यह बात निश्चित कर देनी चाहिये कि बरौनी और नूनमती तेल शोधक कारखानों को अशोधित तेल का संभरण होता रहे। मुझे विश्वास है कि हमारे मंत्री महोदय राष्ट्र-हित में जो कुछ भी अपेक्षित होगा वह करने में सफल हो ही जायेंगे।

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : इस विषय में चर्चा बड़ी मनोरंजक रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय तेल-शोधक कारखानों के कार्य संबंधी तीसरा

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिवेदन सभा में शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा। सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि प्रतिवेदनों में अधिक जानकारी दी जाये। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नूनमाटी तेल शोधक कारखाने के प्राक्कलनों की राशि में जो वृद्धि हुई है वह कई चीजों के अधिक मूल्य के कारण हुई है जबकि प्राक्कलन तैयार करते समय उनके मूल्य कम देने पड़ेंगे, ऐसी आशा थी। कारखाने की स्थिति के अनुसार पुनः इस दिशा में मूल्यांकन करना पड़ा और इस प्रकार १०·५ करोड़ रुपये का मूल प्राक्कलन बढ़ा कर १७ करोड़ रुपये करना पड़ा है। और इसीलिये अन्तिम प्राक्कलन २१.७ करोड़ रुपये होगा।

द्वितीय प्रतिवेदन में जो काल लिया गया है, वह हमारी कार्यवाहियों के बढ़ने का काल है। लेकिन मैं उसके बारे में नहीं जाना चाहता क्योंकि माननीय सदस्य द्वारा चर्चा की पूर्व सूचना देने के दस महीने बाद उससे कोई लाभ नहीं होगा। अब तो हम सभा के सामने तृतीय प्रतिवेदन रखने जा रहे हैं, जिससे श्री शर्मा और अन्य माननीय सदस्यों को "इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड" की कार्यवाही की एक स्पष्ट जानकारी हो जाये।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा की गई आलोचना का उत्तर देता हूं। विरोधी दल के माननीय सदस्य चुनाव आंदोलन शुरू होने से पहले जितनी भी आलोचना करते हैं वह चुनाव को ही ध्यान में रखकर की जाती है। कभी कभी मुझे ऐसा ही लगता है मैं यह सिद्धकर सकता हूं। श्री दी० चं० शर्मा को इस प्रतिवेदन का अध्ययन करने और सभी अनुसूचियों की तुलना करने का समय नहीं मिला। परन्तु श्री शर्मा और श्री मुनिस्वामी और विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने भी दो-तीन संगत बातें कही हैं। मुझे उनका उल्लेख करना ही चाहिये।

श्री मुनिस्वामी ने परिष्करिणी के व्यय की अनुमित राशि को बढ़ाकर रखने की बात की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उनका ख्याल है कि व्यय का प्राक्कलन ६ या ७ करोड़ रुपये अधिक रखा गया है। मैं इसका स्पष्टीकरण आवश्यक समझता हूं। काल्टैक्स परिष्करिणी भी लगभग इतनी बड़ी है, उसकी अनुमित लागत से मैं इसकी तुलना करता हूं।

काल्टैक्स परिष्करिणी का कुल विनियोजन १४·१३ करोड़ रुपये था, जबकि हमारा पहला प्राक्कलन २० करोड़ और बाद में पुनरीक्षित प्राक्कलन १७ करोड़ रह गया था। हमने काल्टैक्स के मुकाबले ३ करोड़ रुपये इसलिये अधिक रखे थे कि हमारी परिष्करिणी की क्षमता उससे कुछ अधिक थी। इस नूनमाटी परिष्करिणी का मूल प्राक्कलन १०·५ करोड़ रुपये था, जो रूमानिया भेजे गये हमारे सरकारी शिष्टमंडल के प्रतिवेदन के आधार पर रखा गया था। प्रतिवेदन में उन्होंने कहा है कि उस समय रूमानिया में उपकरणों की लागत के आधार पर वह प्राक्कलन किया गया था। रूमानिया के विशेषज्ञों ने ही परिष्करिणी की लागत के बारे में सुझाव दिया था। उस समय शिष्टमंडल ने अपना सारा प्राक्कलन इस धारणा के आधार पर किया था कि विदेशों से आयात की जाने वाली सामग्री और उपकरण की लागत पूरी परियोजना की लागत की लगभग ६० प्रतिशत बैठेगी। शिष्टमंडल की एक धारणा यह भी थी कि परिष्करिणी के लिये आवश्यक भूमि राज्य सरकार से निःशुल्क मिल जायेगी। उन्होंने समुद्र तट से निर्माण स्थल तक उपकरण के परिवहन व्यय को भी कम आंका था। परन्तु जब 'इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड' ने कुल परियोजना की लागत का पुनर्मूल्यांकन किया, तो महसूस किया गया कि व्यय कुछ अधिक होगा। उसने लागत सम्बन्धी आंकड़ों की छान-बीन के लिये एक उपसमिति बना दी। इस तरह मूल प्राक्कलन २०·७५ करोड़ रुपये था। अन्त

[श्री के० दे० मालवीय]

में निदेशक बोर्ड और बाद में सरकार ने लागत प्राक्कलन १७·७० करोड़ रुपये रखने का अनुमोदन किया। काल्टैक्स परिष्कारिणी की लागत को देखते हुये, यह काफी उचित भी मालूम पड़ता है।

लागत-वृद्धि के दो मुख्य कारण हैं। एक तो यह कि देश के अन्य भागों की तुलना में उस भाग में निर्माण-लागत अधिक पड़ती है। अन्य भागों में यदि १०० रुपये पड़े तो उस भाग में १६० रुपये पड़ेगी। वहां निर्माण-सामग्री और परिवहन का व्यय भी अधिक पड़ेगा। इन सभी बातों पर, शुद्ध वाणिज्यिक दृष्टि से विचार करते हुये, यही निष्कर्ष निकलता है, कि गोहाटी की परिष्करिणी, देश की अन्य परिष्करिणियों की तुलना में, कहीं अधिक व्यय-साध्य होगी।

कई माननीय सदस्यों ने लाभ देयता और कुछ करारों के कारण हुई हानि का उल्लेख किया है। उसके ब्योरे पर चर्चा करने के लिये कोई दूसरा अवसर आयेगा। वैसे मैं भारत सरकार और बर्मा आयल कम्पनी के बीच हुये करार को काफी अच्छा करार मानता हूं। उस करार को देखकर अन्य विदेशी तेल समवाय विचार करते हैं कि उनको भारत में तेल उद्योग के विकास को किस दृष्टि से देखना चाहिये। सामान्यतया हम यह भूल जाते हैं कि परिष्करिणी जितनी ही बड़ी होगी, उसकी लाभदेयता भी उतनी ही अधिक होगी। हम यह भूल जाते हैं कि मध्यपूर्व के देशों में परिष्करिणियों की बिना साफ किये तेल की संस्थापित वार्षिक क्षमता लगभग ८०० लाख टन तक होती है। कम से कम तीन परिष्करिणियों की परिष्करण क्षमता १२० लाख टन प्रतिवर्ष है। एक की परिष्करण क्षमता २०० लाख टन प्रतिवर्ष है। अब आप तुलना कीजिये २०० लाख टन प्रतिवर्ष परिष्करण क्षमता वाली एक परिष्करिणी की लाभदेयता की उस परिष्करिणी के साथ जो देश के एक कोने में स्थित है और जिसकी परिष्करण क्षमता ७·५ लाख टन प्रतिवर्ष है। फिर भी यह गलत है कि हमें उस पर ३ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की हानि होगी। वार्षिक लाभ का हिसाब लगाते समय कई बातों को देखना पड़ता है। लाभ की गणना का संबंधी परिष्करिणी में मौजूद तेल की मात्रा से भी होता है। उसका संबंध बिना साफ किये हुए तेल के संभरण-कर्त्ताओं से भी रहता है। हम उसमें भी आधे के साझेदार हैं। बहुधा माननीय सदस्य यह भी भूल जाते हैं कि 'आयल इंडिया लिमिटेड' को भी तो न्यूनतम लाभ देना पड़ेगा।

हम इस पर विचार कर रहे हैं कि यदि पहले अठारह या चौबीस महीनों में परिष्करिणी को अनुमित मात्रा से कम तेल मिले तो परिष्करिणी को होने वाली हानि किस प्रकार न्यूनतम की जाये। सबसे आसान तो यही रहेगा कि हम अठारह महीनों या चौबीस महीनों को अवधि न रखकर पांच या दस वर्ष की रखी जाए। उस दशा में ३ करोड़ रुपये की हानि पांच या दस वर्ष में फैल जायेगी, उसका प्रभाव क्रमिक होगा। तब फिर 'इण्डियन रिफाइनरीज' लिमिटेड को अपने खाते में वह हानि नहीं दिखानी पड़ेगी।

माननीय सदस्यों ने तेल अनुसंधान परिष्करण क्षमता, तेल की खपत, पंजाब में सक्रियता की कमी, इत्यादि कुछ बुनियादी प्रश्न उठाये थे। वे सभी प्रश्न इस प्रतिवेदन से सीधे-सीधे सम्बन्धित नहीं हैं, जिस पर अभी हम सभा में विचार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन प्रश्नों पर चर्चा हो। वे बड़े दिलचस्प प्रश्न हैं, परन्तु समय के अभाव में मैं उन सभी के सम्बन्ध में अपने विचार नहीं रख सकता। फिर भी, उनमें से कुछ का स्पष्टीकरण करने का प्रयास करता हूं।

निजी क्षेत्र की परिष्करण क्षमता ६० लाख टन है। हम विदेशी मुद्रा की बचत के विचार से पिछले कुछ वर्षों में उनको प्रसार को अनुमति देते रहे हैं। विदेशी मुद्रा के व्यय और बिना साफ किये हुए तेल के आयात के बीच कुछ अनुपात तो रखना ही पड़ेगा। निजी क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने की अनुमति देकर हमें कम विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इसीलिये निजी क्षेत्र को १८ लाख टन से २७ लाख टन तक क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। स्टैण्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी को इसीलिये विदेशी मुद्रा की बचत की दृष्टि से ही, बिना साफ किये हुए तेल की क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी। यह सब एक योजना के अनुसार किया गया था, अव्यवस्थित ढंग से नहीं। वे अपनी परिष्करण क्षमता काफी बढ़ाने की अनुमति चाहते हैं। उसका इस अनुमति से कोई सम्बन्ध नहीं।

अब हमारे देश के सरकारी क्षेत्र में तीन परिष्करिणियां हैं। उनसे पर्याप्त लाभ करने के लिये आवश्यक है कि उनका विस्तार किया जाये। सरकारी क्षेत्र की एक परिष्करिणी का प्रबन्ध तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के हाथ में है, और अन्य दो का 'इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड' के हाथ में। नूनामती और बरौनी की परिष्करिणियां इंण्डियन रिफाइनरीज लिमिटेड के हाथ में हैं। वे आसाम आयल कम्पनी के तेल का ही परिष्करण करेंगी। हमने आसाम आयल कम्पनी से करार कर लिया है कि वह अपना सारा तेल हमारे हाथ ही बेचेगी। उस करार के समय तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अपनी कोई परिष्करिणी बनाने का विचार नहीं किया था।

बाद में आयोग ने सरकार से कहा कि क्या वह तेल का अनुसंधान भर करता रहे और इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के हाथ तेल बेचकर ही थोड़ा बहुत लाभ उठाता रहे और क्या उसे अधिक मुनाफा कमाकर उसकी राशि को तेल—अनुसंधान कार्य में लगाने की आवश्यकता नहीं? आयोग की बात काफी ीक मालूम पड़ी। इसीलिये मैंने यह प्रबन्ध कराया कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास भी परिष्करिणीयां रहें और वह अपने तेल के परिष्करण के साथ ही पेट्रोलियम के रासायनिक उद्योग भी खड़े करके उनसे मुनाफा कमा सके। इसीलिये यह दो प्रकार के प्रबन्ध मौजूद हैं। वैसे है तो दोनों ही सरकारी क्षेत्र के।

माननीय सदस्यों ने भावी योजनाओं इत्यादि का भी उल्लेख किया है। हम उसका पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन अभी से यह बताना मुश्किल है कि तेल की खोज का काम कितना बढ़ेगा या यह कि बिना साफ किये हुए तेल का उत्पादन कितना बढ़ जायेगा। यह सब स पर निर्भर करेगा कि हम काम कितना करते हैं। मैं माननीय सदस्य, श्री दी० चं० शर्मा की अधीरता को समझता हूं, जब वह कहते हैं कि—तेल की खोज में और शीघ्रता करो। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी एक अपनी सीमा है। हम अपनी कार्य—क्षमता, कुशलता और अनुभव को देखते हुए, काफी तेजी से आगे चल रहे हैं। यदि हमें अपने प्रयास में और अधिक सफलता मिली, तो हम सभा को सूचित करेंगे। हम अपनी कुशलता किस तरह बढ़ाते जा रहे हैं। इसक एक उदाहरण देखिये। अंकलेश्वर में हमने पहला कुंआ ४५ दिन में तैयार किया था; अब उसमें केवल ७ या ११ दिन लगते हैं, पहले की भांति ४५ या ६० दिन नहीं।

[श्री के० दे० मालवीय]

सभा मानेगी कि हमारे कार्यकर्ता बड़ी खूबी से काम कर रहे हैं । मैं मानता हूं कि अभी भी अपनी दक्षता में सुधार करने की गुंजाइश है। हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। मैंने भी वहां जाकर बहुत सी चीजें सीखी हैं ।

सरकार इन सभी चीजों की ओर से बेखबर नहीं है। प्रथम और द्वितीय प्रतिवेदनों पर ही हमें अभी विचार करना है । लागत-प्राक्कलन कुछ बढ़ गये हैं । इसलिये कि हमें समुद्र तटों से काफी हटकर अपनी परिष्करिणियां संस्थापित करनी पड़ी हैं । इसका कारण यह कि हमारी नीति है कि उद्योगों का विकेन्द्रीकरण किया जाये । नये उद्योग देश के पिछड़े क्षेत्रों में विकसित किये जायें। हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। केवल मुनाफा तो हमारा उद्देश्य नहीं है । औद्योगिक परियोजनाओं की स्थिति का निर्णय करते समय हमें इन सभी बातों पर विचार कर लेना पड़ता है। नूनामती परिष्करिणी का निर्माण अब लगभग पूरा हो चुका है। पहली जनवरी को वह चालू हो जायेगी । श्री हेम बरुआ की बात बिलकुल सही हैं। नूनामती परिष्करिणी निर्धारित समय से तीन महीने पहले चालू हो रही है। निर्धारित तिथि मार्च, १९६२ थी। श्री दी० चं० शर्मा को अवश्य इससे प्रसन्नता होगी।

बिना साफ किये हुए तेल के सम्भरण का भी प्रश्न उठाया गया है। यह सही है कि पाइप लाइनें बिछाने में कुछ विलम्ब हुआ है। परन्तु विलम्ब के कारण कार्यकर्ताओं के बस से बाहर के थे। हां, थोड़ी बहुत शीघ्रता तो की जा सकती थी। लेकिन विलम्ब तो हो ही गया है। पर मुझे यह बताते बड़ी खुशी हो रही है कि पहले जितना अनुमान था, अब उतना विलम्ब नहीं होगा। मार्च से पहले पाइप लाइन तैयार हो जायेगी। पम्पों की जांच करने में २५–३० दिन और लग जायेंगे। फिर पाइपों में बिना साफ किया हुआ तेल भरा जायेगा। यानी कुल मिलाकर मार्च तक सारा काम पूरा हो जायेगा।

†श्री हेम बरुआ : निर्धारित तिथि १५ मार्च थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि १५ मई तक हो सकेगा।

†श्री के० दे० मालवीय : मैं अधिक सही सूचना दे सकता हूं। मार्च के तीसरे–चौथे सप्ताह तक पाइप लाइन परिष्करिणी तक तेल पहुंचाने के लिये तैयार हो जायेगी। मार्च के तीसरे या चौथे सप्ताह तक तेल पहुंचने लगेगा। इसलिये हमें तेल का स्टोर जनवरी से मार्च तक ही रखना पड़ेगा। तब तक के लिये हमने परिष्करिणी को बिना साफ किया हुआ तेल पहुंचाने का पूरा प्रबंध कर दिया है।

उस स्थान से बिना साफ किये हुए तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के भाड़े का प्रश्न भी उठाया गया था। ये पेचीदा से सवाल हैं, जिनको हम बाद में देखेंगे । परिष्करण-क्षमता बढ़ने के साथ साथ भाड़ा भार भी कम होता जायेगा ।

बरौनी परिष्करिणी की पहली यूनिट अब सितम्बर-अक्टूबर की बजाय, दिसम्बर, १९६२ से काम चालू कर पायेगी। मैं नहीं कह सकता कि इससे अधिक बिलम्ब नहीं होगा। हो सकता है कि मानसून वगैरह की कठिनाई के कारण, निर्माण-कार्यक्रम में कुछ

सप्ताह का विलम्ब हो जाये। बहुत हुआ तो निर्धारित तिथि से तीन-चार महीने और अधिक लग जायेंगे। दूसरी यूनिट के लिये उपकरण देने की निर्धारित तिथि वही रहेगी—जुलाई १९६२ में, और वे १९६३ की अप्रैल तक काम चालू कर देंगी। १९६३ के अन्त और जनवरी १९६४ तक परिष्करिणी, और एक मशीनी तेल के कारखाने का भी निर्माण पूरा हो जायेगा। उसके ६ महीने बाद गुजरात परिष्करिणी भी तेल का उत्पादन शुरू कर देगी।

†**श्री हेम बरुआ** : पाकिस्तानी सीमा के निकट वाली परिष्करिणी का क्या होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम कर ही क्या सकते हैं वह तो पाकिस्तानी सीमा के पास की संकरी पट्टी से गुजरेगी ही। लेकिन मेरा ख्याल है कि प्रतिरक्षा की दृष्टि से अब ५ मील दूर हो या ५० मील, उस से कोई अन्तर नहीं पड़ता। जो भी हो, मैं इस के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि विशेषज्ञों ने काफी सोच-विचार के बाद ही उस पाइप लाइन को उस संकरी पट्टी से ले जाने को सलाह दी है। गोहाटी में परिष्करिणी रखने के बाद, कोई और मार्ग ही नहीं रह जाता। हम उसकी रक्षा का भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री राव ने खम्भात से बम्बई तक पाइप लाइन बिछाने के औचित्य पर शंका प्रकट की है। अभी उसकी कोई पुख्ता योजना नहीं बनी है। परियोजनाओं की सूची में वह है अवश्य, पर उस पर बाद में विचार किया जायेगा। अभी तो वहां से बम्बई भेजने के लिये तेल की अतिरिक्त मात्रा सुलभ ही नहीं है।

श्री मुनिस्वामी की इस बात पर मुझे आश्चर्य हुआ कि खम्भात का स्रोत सदा बना रहेगा। यह तो संसार के किसी भी स्रोत के बारे में नहीं कहा जा सकता। इसीलिये मैंने खम्भात के बारे में हर वक्तव्य बड़ी सावधानी से दिया है। मैंने अभी तक यह नहीं कहा कि खम्भात क्षेत्र या अंकलेश्वर का प्रतिवर्ष अनुमित उत्पादन कितना होगा। विशेषज्ञ परियोजनाओं के बारे में जो अनुमान लगाते हैं, वे भी निरंतर पुनरीक्षित होते रहते हैं। ठीक-ठीक पता तो तभी लगता है जब तेल निकलने लगता है।

अभी तक यह निश्चित नहीं हो सका है कि खम्भात में तेल और गैस का अनुपात कितना है। मेरा ख्याल है कि गैस का अनुपात अधिक है।

†**श्री हेम बरुआ** : नूनामती में छंटनी हुई है।

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमारी नीति है कि परिष्करिणी के सभी मजदूरों को कहीं न कहीं काम जुटाया जाये। हम इस के लिये प्रयत्नशील रहते हैं?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री अधिक स्पष्टीकरण नहीं कर पाये हैं। मैं तो उस दिन की बाट जोह रहा हूं जब भारत तेल के मामलों में आत्म-निर्भर बनेगा। हम कब तक आत्म-निर्भर बन सकेंगे—इस प्रश्न का माननीय मंत्री ने अभी कोई उत्तर नहीं दिया है। मैं इतना जानता हूं कि माननीय मंत्री अपने काम में बड़ी तत्परता और लग्न के साथ लगे हुए हैं।

अन्त में, मैं यही कहूंगा कि यदि हमारी जानकारी सर्वथा अद्यतन नहीं है, तो उसका यही कारण है कि ये प्रतिवेदन हमारे पास कई महीनों बाद आते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय :**

"कि यह सभा इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन और समवाय के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा पर, जो १० मार्च, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इस के पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २९ नवम्बर, १९६१/८ अग्रहायण, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २८ नवम्बर, १९६१
७ अग्रहायण, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	८९१—९१४

तारांकित
प्रश्न संख्या

३६६	दिल्ली के स्कूलों में टेलिविजन .	८९१—९३
३६७	केन्द्रीय प्रशासन समिति	८९३–९४
३६८	संयुक्त राष्ट्र संघ के नक्शों में काश्मीर का स्थान गलत दिखाया जाना	८९४–९६
३६९	राष्ट्रीय औजार कारखाना, कलकत्ता . .	८९६—९८
३७०	कपड़ा मजूरी बोर्ड पंचाट	८९८—९०१
३७१	भारत-चीन सीमा विवाद . .	९०२—०६
३७२	देहाती क्षेत्रों में उद्योगीकरण . . .	९०६—०८
३७३	कालिम्पोंग में चीनी व्यापार अभिकरण पर प्रतिबन्ध .	९०८—१०
३७४	कोयला खान श्रमिकों के लिए मकान . .	९१०–११
३७५	मशीनों और उपकरण का निर्माण . .	९११
३७७	बिहार में "पाइराइट" के निक्षेप . . .	९११–१२
३७८	सीमेंट उत्पादन सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन .	९१३–१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . ९१४—६४

तारांकित
प्रश्न संख्या

३७६	भारतीय चाय . . .	९१४
३७९	अन्तर्मंत्रालय परियोजनाएं . .	९१४
३८०	लाग्रोस	९१५
३८१	औषधियों की आवश्यकता . . .	९१५
३८२	केरल में शुद्ध मापक यंत्रों का कारखाना . . .	९१५-१६

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)	
तारांकित प्रश्न संख्या	
३८३ अन्तर्राष्ट्रीय अणु-शक्ति अभिकरण निधि	९१६
३८४ सीमेन्ट का मूल्य	९१७–१८
३८५ भारत-पाक अदायगी करार	९१८
३८६ कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान . . .	९१८–१९
३८७ केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार . .	९१९
३८८ पाकिस्तान द्वारा सीमा पर धावे	९१९–२०
३८९ निर्यात संवर्द्धन	९२०
३९० शुद्ध मापक यंत्रों का कारखाना	९२०–२१
३९१ डूम डूमा चाय बागान के अंश	९२१–२२
३९२ जहाजों के डीज़ल इंजन . . .	९२२
३९३ गोआ में पुर्तगालियों की गतिविधियां . . .	९२३
३९४ बेरोजगारों के लिए निधि	९२४
३९५ नागा विद्रोहियों की गतिविधियां . . .	९२४
३९६ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रम समस्याएं . .	९२४–२५
३९७ औद्योगिक विवाद	९२५
अतारांकित प्रश्न संख्या	
७१० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थायें	९२५
७११ कोयला खानों में घातक दुर्घटनाएं . . .	९२५–२६
७१२ पिंजोर में मशीनरी औजार परियोजना . . .	९२६
७१३ यंत्रिक अभियांत्रिकी (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) .	९२६
७१४ पंजाब में तिब्बती शरणार्थियों को बसाना . .	९२७
७१५ आस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय राष्ट्रजन . . .	९२७
७१६ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में श्रमिक प्रोत्साहन योजनाएं .	९२७–२८
७१७ मुद्रण स्तर में सुधार	९२८
७१८ सरकारी उपक्रमों का प्रशासन	९२८
७१९ जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कागज बनाने का कारखाना .	९२८–२९
७२० चाय का उत्पादन	९२९
७२१ हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल . . .	९२९–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर: (क्रमशः)

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
७२२	ढले हुए लोहे के सांचों का निर्माण . . .	९३०–३१
७२३	पंचकुइयां रोड, नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर . .	९३१–३२
७२४	आकाशवाणी के केन्द्र . . .	९३२
७२५	लाओस के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के चेयरमैन पर दक्षिण वीयतनाम प्रवेश पर प्रतिबन्ध . . .	९३२
७२६	औद्योगिक उत्पादन प्रविधियों संबंधी उत्पादिता दल .	९३३
७२७	कलकत्ता में गन्दी बस्तियों की सफाई	९३४
७२८	राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन	९३४–३५
७२९	कपड़ा मिलें	९३५
७३०	काजू की गिरी का निर्यात .	९३६
७३१	वाणिज्यिक संस्थापनों के कार्य के नए समय .	९३६-३७
७३२	लंका में भारतीयों पर कर . . .	९३७
७३३	कलकत्ता के ऊपर रेडियो सक्रिय धूल .	९३७–३८
७३४	ईरान के साथ व्यापार	९३८
७३५	पंजाब में सीमेंट और कागज की लुग्दी के कारखाने .	९३९
७३६	जूट के बोरों का निर्यात . . .	९४०
७३७	गुजरात स्थित विस्थापित व्यक्तियों के दावे . . .	९४०
७३८	ब्रिटेन को ऊन का निर्यात	९४१
७३९	इंजीनियरिंग निर्यात संवर्द्धन परिषद् . . .	९४१–४२
७४०	चाय का नीलाम बाजार . .	९४२
७४१	प्रेस सूचना विभाग .	९४३
७४२	प्रकाशन विभाग .	९४३–४४
७४३	दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाना . . .	९४४–४५
७४४	इस्पात का उत्पादन और वितरण . .	९४५
७४५	आकाशवाणी . . .	९४५
७४६	आकाशवाणी के स्पोर्ट कमेन्टेटर . . .	९४५–४६
७४७	पटसन का उत्पादन . . .	९४६
७४८	उत्पादकता केन्द्र सम्मेलन	९४६–४७
७४९	राष्ट्रीय आय समिति . .	९४७–४८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

७५०	कांगड़ा जिला में सीमेंट का कारखाना	९४८
७५१	डिप्लोमेटिक एन्क्लेव	९४८–४९
७५२	बीड़ियों का निर्यात	९४९
७५३	जूतों का निर्यात	९४९–५०
७५४	पटसन का मूल्य	९५०
७५५	संयुक्त स्कन्ध समवाय	९५०–५१
७५६	कारों और ट्रकों का निर्माण	९५१
७५७	केन्द्रीय सूचना सेवा	९५१–५२
७५८	वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पुनर्गठन	९५२
७५९	बर्मा का औद्योगिक मिशन	९५२–५३
७६०	मिकिर पहाड़ के शरणार्थियों का पुनर्वास	९५३
७६१	दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाना	९५३
७६२	उर्वरकों का उत्पादन	९५४
७६३	ऊन के आयात के लिए लाइसेन्स	९५४
७६४	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दो कमरों वाले क्वार्टर	९५४
७६५	सरकारी क्वार्टरों का किराया	९५४–५५
७६६	मद्रास राज्य में उर्वरक कारखाना	९५५
७६७	क्वार्टरों का दिया जाना	९५५–५६
७६८	केरल का औद्योगिक विकास	९५६
७६९	सोडियम हाइड्रोसल्फेट	९५७
७७०	ईराक में भारतीय चाय का प्रचार	९५७
७७१	अशोका होटल, नई दिल्ली	९५७–५८
७७२	पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग	९५८
७७३	बाल तथा रोलर बीयरिंग परियोजना	९५८
७७४	दुर्गापुर में उर्वरक कारखाना	९५९
७७५	कलकत्ते में जस्ता पिघलाने का कारखाना	९५९
७७६	जूट उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड की अन्तिम रिपोर्ट	९५९
७७७	रेडियो बनाने वाले एकक	९५९–६०
७७८	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	९६०

विषय-सूची पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर : (क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७७९ अमरीका को हथकरघे के कपड़े का निर्यात . ९६०
७८१ त्रिपुरा में रेडियो रिले केन्द्र ९६१
७८२ विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियां . ९६१
७८३ लाजपत नगर, नई दिल्ली के क्वार्टर . ९६१-६२
७८४ लाजपत नगर, नई दिल्ली में "सी" टाइप क्वार्टर . ९६२
७८५ पूर्वी जर्मनी में लिपज़िग मेला ९६२
७८६ चीनी मज़ूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति ९६२-६३
७८७ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों के मूल्य ९६३
७८८ उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परियोजनाएं ९६३-६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ९६४--६८

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा कोयला खानों संबंधी औद्योगिक समिति के आठवें अधिवेशन में कोयला खनन उद्योग में मजूरी के पुनरीक्षण के बारे में की गई अपील, और उसके परिणाम की ओर उनका ध्यान दिलाया।

श्रम और रोजगार तथा योजना मन्त्री (श्री नन्दा) ने इस बारे में एक वक्तव्य दिया।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने भारत और चीन की सरकारों के सम्बन्धों के बारे में एक श्वेत-पत्र सभा पटल पर रखा. जिसमें टिप्पण, ज्ञापन तथा अन्य पत्र दिये हुये हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ९६९

(१) नवम्बर, १९६० और नवम्बर, १९६१ के बीच भारत और चीन की सरकारों द्वारा एक दूसरे को भेजे गये टिप्पणों, ज्ञापनों और पत्रों के श्वेत-पत्र संख्या ५ की एक प्रति।

(२) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति —

(एक) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८-क की उपधारा (२) के अन्तर्गत दिनांक १५ सितम्बर, १९६१ का एस० ओ० संख्या २२४५।

(दो) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ की धारा १८-एफ के अन्तर्गत निकाला गया दिनांक २८ सितम्बर, १९६१ का स० ओ० संख्या २३७८।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र : (क्रमशः)

(तीन) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ३९६ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक १ अक्तूबर, १९६१ को अधिसूचना संख्या एस० ओ० २३८४ में प्रकाशित नौवहन निगम मिलाना आदेश, १९६१ ।

(३) नमक विभाग को १९६०–६१ के प्रतिवेदन की एक प्रति।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ९६९–७०

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) ने संसद्-सदस्यों को बंगलों को अलाटमेंट के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १११७ पर श्री ए० एम० तारिक द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के ३१ अगस्त, १९६१ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिए एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक पुरस्थापित ९७०–७१

(१) भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६१

(२) लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उप-कर, विधेयक. १९६१

(३) टेलीग्राफ को तारें (अवैध रूप से रखना) संशोधन विधेयक, १९६१

चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प —अस्वीकृत . . . . ९७१—९१

चीनी (उत्पादन का विनियमन) अध्यादेश के बारे में संविहित संकल्प पर, जिस पर चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक पर विचार के साथ साथ विचार किया गया था, अग्रेतर चर्चा जारी रही । संकल्प अस्वीकृत हुआ

विधेयक पारित ९९०–९१

चीनी (उत्पादन का विनियमन) विधेयक पर, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के बाद विधेयक पारित किया गया ।

इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ९९१—१०००

श्री दी० चं० शर्मा ने प्रस्ताव किया कि सभा इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करती है । चर्चा के बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बुधवार, २९ नवम्बर, १९६१/७ अग्रहायण १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

संघ लोक सेवा आयोग के दसवें प्रतिवेदन के प्रस्ताव पर चर्चा

GMGIPND—LSIII—1608 (ai) LS—30-12-61—125